लोक-सभा

वाद-विवाद

बुधवार
१७ नवंबर १९५४

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में विदेशी उपक्रम

*८८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार भी कर लिया गया है कि भविष्य में भारत में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना अथवा विस्तार चाहने वाले किन्हीं भी विदेशी हितों के लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि वे कुल पूंजी में से कम-से-कम एक तिहाई भारत में अर्जित पूंजी भारतीय जनता को लगाने का अवसर दें; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसका क्या परिणाम हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). इस प्रकार का कोई विशिष्ट सुझाव तो प्राप्त हुआ नहीं जान पड़ता, किन्तु समय-समय पर विदेशी विनियोग की नई परियोजनाओं में विदेशी पूंजी तथा भारतीय पूंजी के अनुपात के सम्बन्ध में एक सीमा निर्धारित कर देने के सुझाव दिये गये हैं। इन सुझावों के मूल उद्देश्य को भारत सरकार सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार कर चुकी है, और साधारणतः सरकार यह चाहती है कि स्वामित्व में बहुमत तथा ऐसे उपक्रम का प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारतीयों के ही हाथों में रहे; किन्तु कट्टरता के साथ कोई प्रतिशत नहीं निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणों के अधार पर की जाती है, और सामान्य नियमों में अपवाद अधिकांशतः वहीं पर लागू किये जाते हैं जबकि ऐसा करना राष्ट्र के हित की दृष्टि से आवश्यक एवं लाभदायक जान पड़ता है।

श्री एस० एन० दास : इस वर्ष के विदेशी हितों के विनियोग की सीमा तथा उस पर दी गई सुविधायें क्या हैं?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री एस० एन० दास : क्या विदेशी हितों को भारत में पूंजी विनियोग के लिये हाल के कुछ मासों में अथवा चालू वर्ष में कोई विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं?

श्री सी० डी० देशमुख : कोई अतिरिक्त विशेष सुविधायें नहीं प्रदान की गई हैं।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा है कि विनियोग की गई अथवा विनियोग की जाने वाली पूंजी के लिये कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये हैं। क्या सारभूत घोषित किये गये उद्योगों में विदेशी पूंजी पर नियंत्रण लगाने के लिये कोई विशिष्ट सुझाव रखे गये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे ऐसे किन्हीं सुझावों के विषय में जानकारी नहीं है। निश्चय ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने समय-समय पर इस प्रकार के सुझाव रखे हैं।

औद्योगिक वित्त निगम

*८९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनके चुकाये जाने की आशा नहीं है; और

(ख) अब तक चुकाये गये ऋणों की कुल राशि कितनी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) निगम द्वारा दिये गये ऋणों में से ऐसे ऋणों की संख्या, जिनके अन्तिम रूप से चुकाये जाने की आशा नहीं है, तब तक नहीं निश्चित की जा सकती जब तक कि निगम द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों का निबटारा न हो जाये, तथा इन प्रतिभूतियों से वसूल की गई राशि निगम पर बाकी राशि से कम न हो। अब तक के किसी भी ऋण में ऐसी स्थिति नहीं आने पाई है।

(ख) ३० जून, १९५४ तक १,२८,८५,६०६ रुपये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अब तक कौन-कौन सी कम्पनियों अथवा सार्थों ने भुगतान नहीं किया है, और क्या सरकार की ओर से कोई कार्यवाही अवशेष राशि को वसूल करने के लिये की गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि कम्पनियों के नाम बताना उनके हित में नहीं होगा। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि दस कम्पनियों ने ही अपनी कुल किश्तों का नहीं वरन् कुछ किश्तों का भुगतान नहीं किया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन कम्पनियों पर अभी कुल कितनी राशि बाकी है ?

श्री ए० सी० गुहा : एक कम्पनी पर अथवा सभी कम्पनियों पर ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : सभी कम्पनियों पर।

अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य भुगतान न करने वाली कम्पनियों से है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी हां, भुगतान न करने वाली कम्पनियों की ही।

श्री ए० सी० गुहा : ब्याज की राशि ११,४२,००० रुपये तथा मूलधन की राशि १९,८८,००० रुपये होगी। मैं समझता हूं कि इस राशि की तुलना जितनी राशि बाकी है उससे करनी चाहिये अर्थात् ब्याज के रूप में बाकी १ करोड़ रुपये में से ११,४२,००० रुपये तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के रूप में बाकी लगभग २ करोड़ रुपयों में से १९,८८,००० रुपये देय हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या ऋण का भुगतान समय समय के अन्दर न कर सकने वाले सार्थों के लिये सरकार द्वारा कोई अर्थ-दण्ड निर्धारित किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : अर्थदण्ड से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है, मैं नहीं समझ सका; किन्तु राशि को वसूल करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इनमें से सोनेपुर ग्लास वर्क्स को निगम ने अपने अधिकार में लिया है।

श्री सारंगधर दास : कलकत्ता की इस ग्लास वर्क्स की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

श्री ए० सी० गुहा : माननीय सदस्य एक ऐसे प्रश्न का अनुमान कर रहे हैं जो आगे आयेगा ।

कराधान जांच आयोग

*९१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराधान जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ; तथा

(ग) आयोग ने अब तक कितने राज्यों का भ्रमण किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) दिसम्बर, १९५४ तक ।

(ग) सभी भाग 'क' तथा 'ख' राज्य; भाग 'ग' राज्यों के प्रतिनिधियों ने आयोग से भाग 'क' तथा उनसे मिले हुए भाग 'ख' राज्यों में भेंट कर ली थी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार उस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही तत्काल उसे प्रकाशित करने का विचार रखती है, अथवा उसका विचार अभी उसे सुरक्षित रख कर आय-व्ययक काल में प्रकाशित कराने का है ?

श्री सी० डी० देशमुख : दोनों में से कुछ भी नहीं, श्रीमान् । हम रिपोर्ट के प्रकाशन के लिये उचित अवसर चुनेंगे ।

श्री एम० एम० लिंगम : : क्या आगामी वर्ष के आय-व्ययक का प्रस्ताव बनाते समय आयोग की सिफारिशों पर भी विचार किया जायगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, ऐसा करने के लिये प्रयत्न किया जायगा ।

श्री भवनजी : क्या भाग 'ग' राज्य कच्छ का भी कोई प्रतिनिधि आयोग से मिला था ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस रिपोर्ट को उचित समय पर प्रकाशित करने के लिये सरकार के पास क्या कसौटी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : बुद्धिमत्ता, श्रीमान् ।

भाषा सम्बन्धी शिकायतें

*९५. **श्री साधन गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री २३ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उर्दू के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतें किस प्रकार की हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें किसी अन्य राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि ऐसा है, तो ऐसे राज्यों की संख्या तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें किस प्रकार की हैं ; तथा

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकार को निर्देश किये जाने के अतिरिक्त इस मामले में स्वतन्त्र रूप से क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग) सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]

(घ) सामान्यतः ऐसी शिकायतों का निर्देश राज्य सरकारों को कर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त अगस्त, १९४९ तक प्राप्त

शिकायतों को शिक्षा मन्त्रियों के एक सम्मेलन में रखा गया था, तथा उक्त सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में जिस नीति का पालन करना निश्चित हुआ था, उसका निर्देश राज्य सरकारों को कार्यान्विति के लिये दिया गया।

श्री साधन गुप्त : शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री सम्मेलन में कौनसी नीति अपनाने के लिये प्रस्ताव पास किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : यह अगस्त, १९४९ में हुआ था।

श्री साधन गुप्त : नीति क्या थी ?

डा० एम० एम० दास : यह एक लम्बी सूची है। क्या मैं पढ़ कर सुनाऊं।

अध्यक्ष महोदय : वह संक्षेप में बता दें।

डा० एम० एम० दास : बैठक में तय यह हुआ था कि जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रत्येक छात्र को उसकी मातृ-भाषा में पढ़ाये जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी स्कूल में छात्र की मातृ-भाषा उस प्रदेश की भाषा नहीं है, ऐसी दशा में यदि एक कक्षा में ऐसे छात्रों की संख्या १० है और सम्पूर्ण स्कूल में कुल चालीस, तो उस स्कूल में उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये अलग प्रबन्ध कर दिया जायगा। जहां तक प्रादेशिक भाषा का सम्बन्ध है, कक्षा ३ से पूर्व तथा जूनियर बेसिक शिक्षा काल की समाप्ति के बाद उसे लागू नहीं किया जाना चाहिये। यदि माध्यमिक अवस्था में, उस भाषा के छात्रों की संख्या, जिसके जानने वाले कम हैं, इतनी है कि अलग स्कूल चलाया जा सकता है, और यदि ऐसा स्कूल प्राइवेट रूप से चलाया जा रहा है तो सरकार को अन्य शिक्षा संस्थाओं की भांति ही उसे अनुदान तथा अन्य सुविधायें देनी होंगी।

श्री साधन गुप्त : विवरण में पश्चिमी बंगाल के विषय में कहा गया है कि सारस्वत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में उर्दू भाषा भाषियों के लिए एक वर्ष के लिये उर्दू जारी रखी गई है। क्या मैं यह समझूं कि इस काल के पश्चात् पश्चिमी बंगाल सरकार इसे समाप्त करने का विचार रखती है, और ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

डा० एम० एम० दास : इस संस्था विशेष में, उर्दू जानने वाले छात्रों की इतनी कम संख्या है कि उर्दू पढ़ाने के लिये अलग प्रबन्ध करना उचित नहीं होगा। अतः जब इस मामले का निर्देश राज्य सरकार को किया गया था, राज्य सरकार ने कहा था कि वे एक वर्ष तक उर्दू का पढ़ाना जारी रखेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या द्विभाषा-भाषी क्षेत्रों के लिये एक भाषा के चुने जाने के विषय में कोई निर्णय किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैं कह चुका हूं, शिक्षा मन्त्री सम्मेलन के निर्णय में ये सभी मामले आ चुके हैं।

अननुज्ञप्त अग्न्यस्त्र

*९६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत विश्व युद्ध में ग्रामीणों के पास रह गये अननुज्ञप्त अग्न्यस्त्रों को एकत्र करने के लिये आसाम के पहाड़ी ज़िलों में कार्यवाही आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने अब तक अपने अननुज्ञप्त अग्न्यस्त्र दे दिये हैं ; और

(ग) कितने अग्न्यस्त्र अब तक पुलिस को सौंप दिये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) आसाम सरकार और आसाम

के राज्यपाल के परामर्शदाता से जानकारी मांगी गई है, और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

डा० राम सुभग सिंह : यह कार्यवाही कब आरम्भ की गई थी और यह कब तक जारी रहेगी ?

श्री दातार : इसी प्रयोजन से जानकारी मांगी गई है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है ?

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि वहां अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है ग्रामीणों को अनुज्ञप्तियां देने के लिये नियमों में ढील देने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री दातार : ढील देने की ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। सरकार यह विचार कर रही है कि नियमों में संशोधन न करने की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं ।

अमरीका की शिल्पिक और आर्थिक सहायता

*९८. **श्री गिडवानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत को दी जाने वाली शिल्पिक और आर्थिक सहायता की अपनी योजनाओं में संशोधन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). संयुक्त राज्य अमरीका की ओर से भारत को दी जाने वाली शिल्पिक तथा आर्थिक सहायता का उपबंध दोनों सरकारों के बीच दिसम्बर १९५० और जनवरी १९५२ में हस्ताक्षरित हुए करारों (जिन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं) के अनुसार किया गया है। जनवरी १९५२ में हस्ताक्षरित करार में यह उपबन्ध किया गया था कि यह सहायता सहायता-अनुदान और ऋण के ऐसे अनुपात रूप में दी जायेगी जिस पर दोनों सरकारें सहमत होंगी। १९५३–५४ तक अमरीका की सहायता १०० प्रति शत अनुदान के आधार पर थी। चालू वर्ष में, अर्थात १ जुलाई, १९५४ से ३० जून, १९५५ तक के राजकोषीय वर्ष में, सहायता का स्वरूप यह है कि विकास सहायता का अधिकांश भाग ऋण के रूप में होगा और कुल सहायता का लगभग ५० प्रतिशत गेहूं और कपास जैसी अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के रूप में होगा ।

श्री टी० एन० सिंह : मार्च, १९५३–५४ तक के गत वर्षों में अनुदानों और ऋण के उपयोग में न लाये गये भागों की क्या स्थिति होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह प्रायः वाग्बद्धतायें हैं, अर्थात सामग्री और उपकरणों इत्यादि के खरीदने के लिये संविदा इत्यादि किये गये हैं और मुझे संदेह है कि उन के कुछ अनुपयुक्त भाग होंगे अथवा नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : पंच वर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, कतिपय अनुदानों का उपयोग उस देरी के कारण, जिस का उस समय होना स्वाभाविक होता है जब कि योजना तैयार न हो और अनुदान दे दिये जायें, नहीं किया जा रहा है। मैं उस स्थिति की ओर निर्देश कर रहा हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा अभिप्राय यह था कि यद्यपि धन राशि वस्तुतः न ली गई हो, परन्तु किये गये करारों के अनुसार, जिन में धन राशि सम्बन्धी वाग्बद्धता की गई हो, कुछ संविदायें कर ली जाती

हैं चाहे उन को लिया न जाये । संभव है कि माननीय सदस्य का निर्देश वाग्बद्ध परन्तु न ली गई राशि की ओर हो ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या अमरीका ने प्रविधिक और आर्थिक सहायता अधीन भारत में दो इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं श्रीमान । ये अनुदान किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिये नहीं दिये गये हैं । हम को कुल अनुदान बता दिये जाते हैं ।

पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय मुद्रा

*९९. **श्री रघुरामैया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है जिस में भारत के रक्षित बैंक को विदेशी बैंकों को संघ के क्षेत्र से भारत में स्थित पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय मुद्रा भेजने से रोक देने का अनुदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया हो; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). भारत सरकार तटकर-व्यापार विरोधी कार्यवाही के रूप में इस देश के बैंकों द्वारा भारत की पुर्तगाली वस्तियों को धनराशि भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । ऐसे प्रति-बन्धों के लगाये जाने के सुझाव भी मिले हैं ।

श्री रघुरामैया : भेजी जाने वाली धन राशियों की इस समय ठीक स्थिति क्या है ? क्या उन पर किसी प्रकार का कोई परिसीमन है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उत्तर में यह बताया गया है कि इस समय धन राशियां भेजी जा सकती हैं, और उन को प्रतिबंधित करना है ।

शब्दवर्ग पहेलियां

*१०१. **श्री डाभी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शब्द वर्ग पहेलियों और इसी प्रकार की अन्य पारि-तोषिक प्रतिस्पर्धाओं के रोग को समाप्त करने के लिये कब तक प्रस्तावित विधान के संसद् में पुरःस्थापित किये जाने की संभा-वना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : उपयुक्त केंद्रीय विधान के प्रश्न पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है ।

श्री डाभी : क्या यह विधान शब्द वर्ग पहेलियों को सर्वथा समाप्त कर देगा या केवल उन का विनियमन करेगा ?

श्री दातार : इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; संभावना तो यही है कि उन का नियमन किया जायेगा ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि प्रेस आयोग ने एक मत से यह सिफ़ारिश की है कि शब्द-वर्ग पहेलियों पर विधि द्वारा रोक लगाई जानी चाहिये ?

श्री दातार : हमें विभिन्न निकायों की ओर से सिफारिशें मिली हैं और उन सब पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें अब अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

श्री नम्बियार : वह बहुत गंभीर प्रश्न है ।

भाग (ख) के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालय

*१०२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने भाग (ख) में के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों के कार्य-कौशल को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) भाग (ख) में के राज्यों की भाषा सम्बन्धी कठिनाई को कहां तक हल किया जा चुका है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भाग (ख) के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों में कार्यकरण को सुधारने के लिये यह कार्यवाइयां की गई हैं :

(१) भाग (क) के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों से अर्ह कर्मचारियों और पदाधिकारियों को भाग (ख) के राज्यों के कार्यालयों में स्थानान्तरित तथा प्रति-नियुक्त करना, और भाग (ख) में के राज्यों के लिये भर्ती किये गये कर्मचारिवृन्द को अन्य लेखा-परीक्षा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना ;

(२) भाग (क) के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों की कार्य पद्धति के अनुसार भाग (ख) में के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों के कार्यकरण का पुनर्संगठन करना; और

(३) भाग (क) के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों की अपेक्षा भाग 'ख' के राज्यों के लेखा-परीक्षा कार्यालयों का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन निरीक्षण निदेशक द्वारा अधिक बार निरीक्षण किया जाना ।

(ख) अनुमानतः प्रश्न का सम्बन्ध भाग (ख) के राज्यों में लेखा-परीक्षा कार्यालयों द्वारा अनुभव की जाने वाली भाषा सम्बन्धी कठिनाई से है । कुछ भाग (ख) के राज्य लेखा परीक्षा के लिये भेजे जाने वाले लेखों और लेख्यों में बहुत सीमा तक अभी तक प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उन के कर्मचारी जो भूत-पूर्व राज्यों के कर्मचारिवृन्द में से लिये गये हैं प्रादेशिक भाषा के सिवाय अन्य भाषाओं से अनभिज्ञ हैं । लेखा-परीक्षा कार्यालयों में सभी राज्यों से लिये गये कर्मचारी हैं जिन्हें संभव है कि सम्बन्धित प्रादेशिक भाषा विशेष का पर्याप्त ज्ञान न हो । संवैधानिक स्थिति यह है कि लेखा-परीक्षा के लिये भेजे जाने वाले लेखे और लेख्य अभी अंग्रेजी में ही होने चाहियें, परन्तु नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने अनुविहित कर्त्तव्यों का पालन करते हुए निरन्तर यह प्रयत्न करते रहे हैं कि यथा संभव राज्य सरकारों को असुविधा न हो और जहां कहीं भी व्यावहारिक कठिनाईयां पैदा हुई हैं उन्होंने संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर के इस सम्बन्ध में प्रबन्ध किये हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार हिन्दी को लागू करने का भी विचार रखती है ?

श्री एम० सी० शाह : उस में समय लगेगा । संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) और (२) के अधीन अंग्रेजी भाषा को १५ वर्ष तक प्रयोग में लाना है । लेखा-परीक्षा एक केंद्रीय विषय है । अतएव जहां कहीं भी हिन्दी का प्रयोग होता है, वहां नियंत्रक महालेखा परीक्षक यथासंभव हिन्दी जानने वालों को नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा अनुवादों की मांग की जाती है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या हैदराबाद राज्य में ऐसे कुछ व्यक्ति अभी भी नौकर हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या संबंधित प्रदेशों के लेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग संविधान के विरुद्ध है ?

श्री एम० सी० शाह : लेखा-परीक्षा एक केंद्रीय विषय है और संविधान के अनुच्छेद २४३ में यह उपबन्ध है कि १५ वर्ष की कालावधि तक लेखे अंग्रेजी में रखे जायेंगे। परन्तु जहां जहां कठिनाइयां हैं—और मध्य भारत और सौराष्ट्र जैसे एक दो राज्यों में कठिनाइयां थीं—वहां नियंत्रक महालेखा परीक्षक इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या आंकड़ों में हिन्दी अंक रखने का विचार है ।

गैर-अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१०३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त अन्य सुपात्र निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब तक लागू होगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). जी हां । सभी जातियों के सुपात्र निर्धन छात्रों को मैट्रिक श्रेणी के पश्चात् की शिक्षा के लिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की की एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो बैकवर्ड क्लास के लोगों के अलावा और लोगों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी इनके लिए आबादी का ख्याल रखते हुए सरकार रुपया देगी या कुछ कम रक़म देगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : अभी मामले पर सोच विचार हो रहा है। कोई साफ़ बात नहीं कही जा सकती ।

श्री विभूति मिश्र : यह विचार करने में सरकार कितना समय लेगी ?

मौलाना आज़ाद : नहीं कहा जा सकता ।

सरदार ए० एस० सहगल : यह योजना कब से चालू की जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : योजना इस समय योजना आयोग के पास है और उसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

संस्कृत विश्वविद्यालय

*१०४. **डा० रामा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन से एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की योजना प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन ने ऐसी कोई योजना सरकार को प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उस योजना का पूरा विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

डा० रामा राव : संस्कृत के अध्यापक पदों की संख्या में वृद्धि करने अथवा विश्वविद्यालयों में उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

डा० एम० एम० दास : हमने पहले ही एक विश्वविद्यालय में, सम्भवतः आन्ध्र विश्वविद्यालय में, संस्कृत के एक अध्यापक पद की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त सरकार कई ऐसी संस्थाओं को अनुदान दे रही है जो संस्कृत में गवेषणा कार्य कर रही हैं।

श्री के० के० बसु : क्या पश्चिमी बंगाल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की कोई प्रस्थापना है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हमें इस प्रकार की कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री ने इस सवाल के भाग (क) के उत्तर में बतलाया कि गवर्नमेंट को संस्कृत सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वतन्त्र रूप से इस पर भारत सरकार विचार कर रही है कि भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से एक संस्कृत का विश्वविद्यालय भारत में होना नितान्त आवश्यक है ?

डा० एम० एम० दास : यह तो एक बिल्कुल दूसरा ही प्रश्न है। मैंने कहा है कि अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन से हमें कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

अण्डमान द्वीप को नरतत्वीय खोज संबंधी यात्रायें

***१०५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या अंडमान द्वीप समूह में विशेषतः लघु द्वीपों में आदिवासियों की नरतत्वीय खोज करने के लिये हाल ही में कुछ यात्रायें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि ओंगेओं के रक्त का परीक्षण किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या उनका जातीय सम्बन्ध संसार के किसी भी भाग में रहने वाली किसी भी जाति से पाया गया ; और

(ङ) इन द्वीपों की उन 'मित्रवत आदिम-जातियों' का, जो कि कभी सहस्रों की संख्या में थीं, क्या हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) ओंगेओं के साथ मैत्री सम्बन्ध केवल तटीय भाग में ही नहीं अपितु लघु अंडमान द्वीप के भीतरी भागों में भी स्थापित कर लिये गये हैं। प्रथम बार लघु अंडमान को पूर्व से पश्चिम तक पार किया गया। ओंगेओं के रहन सहन के कुछ तरीकों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की गई है। इसके अतिरिक्त मानव आकार तथा रक्त सम्बन्धी भी कुछ परीक्षण किये गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) रक्त परीक्षणों के परिणामों से यह संकेत मिलता है कि ओंगेओं का जातीय सम्पर्क ओशिनिया की और विशेष रूप से पापुआन्स की श्यामवर्ण की जातियों से है।

(ङ) दुर्भाग्यवश बड़े अंडमान के निवासियों की संख्या (जारवा और उत्तर सेन्टीनलियों को निकाल कर) बहुत कम रह गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पोर्ट ब्लेयर में इस विभाग का कोई उपकेन्द्र स्थापित किया गया है, और यदि हां, तो क्या जारवा तथा अन्य जातियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : नरतत्वीय विभाग का एक उपकेन्द्र पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया गया है और अण्डमान द्वीप समूह में नरतत्वीय खोज का काम जारी है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या ओंगेज़, जिनके साथ सम्पर्क बढ़ाया गया है, इस्पात के प्रयोग तथा कृषिकार्य से भिज्ञ हैं ? उनके जीवन यापन का तरीका क्या था और वह किस प्रकार का भोजन करते थे ?

डा० एम० एम० दास : इन बातों के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

डा० रामा राव : प्रश्न के भाग (ग) के के सम्बन्ध में, क्या सरकार ने ओंगेज़ों के रक्त को संसार में वर्तमान चार अभिज्ञात वर्गों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष वर्ग का पाया है ?

डा० एम० एम० दास : किये गये रक्त परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि इन ओंगेज़ों का कुछ जातीय सम्बन्ध ओशिनिया की श्याम वर्ण की जातियों तथा पापुआनों से है ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

*१०६. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को देहरादून से हटा कर पूना के समीप खड्गवसला ले जाने के निश्चय के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उस नगर में विशेष सैनिक प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). सन् १९४५ में स्थापित की गई एक समिति की सिफारिशों पर सन् १९४८ में यह निर्णय किया गया था । भारत के राजपत्र में २ अप्रैल, १९४८ को एक संकल्प के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था । इसका मुख्य कारण यह था कि एक अकादमी का होना वांछनीय समझा गया जहां तीनों सेवाओं के सैनिक-छात्र एक साथ आरम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । समिति की सिफारिशों के अनुसार खड्गवसला को चुना गया । खड्गवसला की परियोजना के पूरे होने के समय तक के लिये ही देहरादून में पूर्णतः अस्थायी रूप से ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग शुरू किया गया था । खड्गवसला की नवीन अकादमी में काम शुरू होते ही इसको बन्द कर दिया जायेगा ।

यह प्रश्न, कि क्या मिलिटरी विंग को जहां ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् सैनिक छात्र आखिरी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, खड्गवसला को हटा दिया जाये या उसे देहरादून में ही रहने दिया जाए, अभी विचाराधीन है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस विभाग के देहरादून से हटाये जाने का सम्बन्ध है, इस पर कितना और खर्चा केन्द्रीय सरकार को करना पड़ेगा और कितना अब तक खर्च हो चुका है ?

श्री त्यागी : क्या आप यह जानना चाहते हैं कि देहरादून से इस मिलिटरी विंग के खड्गवसला ट्रांसफर करने में कितना खर्च होगा ?

सेठ गोविन्द दास : जी नहीं, मेरा मतलब है कि इस विभाग के वहां देहरादून से खड्गवसला हटाने में कितना खर्च होगा, कितना हो चुका है और कितना और होगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अगर आप इसके लिये दूसरा सवाल करें तो आपको ये रकमें बता दी जायंगी कि कितना अब तक खर्च हो चुका है और कितना और खर्च होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि देहरादून में जो स्थान खाली होंगे उनका उपयोग करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई निर्णय किया गया है ?

श्री त्यागी: देहरादून का यह ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग जिन मकानात में है वह आरज़ी किस्म के बने थे लड़ाई के ज़माने में, लेकिन फिर भी उनके खाली हो जाने पर उनको इस्तेमाल में लाने के लिये कोई न कोई इन्तज़ाम किया जायगा । इस वक्त मैं नहीं बता सकता कि

कोई मज़बूत इन्तज़ाम होगा लेकिन एक मेंटर के भेजे जाने की तजवीज़ पर सरकार गौर कर रही है ।

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

*१०८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३० सितम्बर, १९५४ तक सरकार ने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के आलेखन पर कितना खर्चा किया है ;

(ख) काम के समाप्त होने की कब तक सम्भावना है ; और

(ग) इस काम के लिए पूरे समय काम करने वाले कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २,०५,६५१ रु० ५ आने ।

(ख) १९५५–५६ के अन्त तक ।

(ग) ३० ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस काम के लिये कुल कितनी धन राशि नियत की गई है ?

डा० एम० एम० दास : इस वर्ष के बजट में १·५ लाख रुपये की कुल धनराशि नियत की गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : भारत के 'स्वतन्त्रता आन्दोलन' के इतिहास का आलेखन करने वाली समिति में कौन कौन व्यक्ति हैं ?

डा० एम० एम० दास : इन व्यक्तियों का एक सम्पादक मंडल स्थापित किया गया है :

डा० सैयद महमूद, संसद् सदस्य, सभापति ।
आचार्य नरेन्द्रदेव, ससद् सदस्य
श्री बलवन्तराय मेहता ।
डा० एस० एन० सेन
प्रो० एम० हबीब
प्रो० नीलकंठ शास्त्री
श्री डी० पी० पोद्दार
श्री फीरोज़ चन्द, और
श्री एस० एन० घोष, सदस्य तथा अवैतनिक सचिव ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और क्या कुछ अध्याय पूरे भी किये जा चुके हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं, यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है । परन्तु जहां तक काम की प्रगति का सम्बन्ध है सन् १८८४ तक से सम्बन्ध रखने वाला प्रथम खण्ड पूरा हो चुका है और उसकी परीक्षा तथा अंतेतर जांच की जा रही है । सम्पादक मंडल ने बहुत अधिक मूल्यवान सामग्री एकत्रित कर ली है और अब भी एकत्रित कर रहा है ।

श्री साधन गुप्त : प्रेस के संवाद के अनुसार शिक्षा मंत्री ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि इस इतिहास से एक विचित्र कहानी का पता चलेगा कि किस प्रकार एक राष्ट्र ने अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की । क्या इससे हम यह समझ लें कि राष्ट्रीय सरकार ने इतिहास का अवलोकन करने वाले इस मण्डल से एक विशेष नीति का अनुपालन करने के लिये कह दिया गया है, अर्थात् यह कि वह इस इतिहास के द्वारा यह सिद्ध करे कि एक विशिष्ट सिद्धान्त के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई है ?

डा० एम० एम० दास : इस देश के स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित प्रश्न की जांच करने का कार्य पूर्णतया मण्डल पर ही निर्भर है और उसी को इस बात के निर्णय करने का अधिकार है कि कौन सी विशिष्ट कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री नम्बियार: कोई यूरोप गया था .....

अध्यक्ष महोदय: यह तो तर्क में जाना है। अगला प्रश्न ।

नरतत्वीय खोज

*११२. **श्री एन० एम० लिंगम:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में नरतत्वीय तथा अन्य विषयों के केंद्रीय अध्ययन के लिये किन किन क्षेत्रों तथा जातियों में अनुसन्धान कार्य किया गया ;

(ख) इन अध्ययनों का क्या परिणाम हुआ; और

(ग) सरकार इन अध्ययनों के परिणामों का उपयोग किस प्रकार करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

श्री एन० एम० लिंगम: मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर एक विवरण में इस प्रकार दिया गया है कि "इन अनुसन्धानों के परिणाम स्वरूप संगृहीत आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा रहा है, और प्रतिवेदन तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा।" अन्डमान के प्राणकीय खोज विषयक अभियान के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर में बताया गया कि इन अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप अन्डमान द्वीप समूह की ओन्जेस आदिम जाति और उन के पड़ोसियों के बीच मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि कैसे यह दोनों उत्तर एक दूसरे का खण्डन करते हैं ?

डा० एम० एम० दास: वर्त्तमान प्रश्न के उत्तर में दिये गये "आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण" उन सभी अनुसन्धानों पर लागू होता है जो भारत के विभिन्न भागों में किये गये हैं। जहां तक अन्डमान का सम्बन्ध है, अभी भी अनुसन्धान जारी है, पर जो, आंकड़े संगृहीत किये जा चुके हैं उन के आधार पर हम कुछ विशेष निश्चयों पर पहुंच चुके हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम: क्या मैं जान सकता हूं कि अनुसन्धान के लिये क्षेत्रों और आदिम जातियों के चुनाव करने में सरकार के क्या उद्देश्य हैं, और इन आदिम जातियों के कल्याण के लिये कैसे उन का प्रयोग किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास: उस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । प्रतिवेदनों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा रहा है । अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद एक दूसरा प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा और तब आवश्यक कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

श्री एन० एम० लिंगम उठे—

अध्यक्ष महोदय: अनुसन्धान कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। उस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

राष्ट्रीय स्मारक

*११३. **श्री सी० आर० नरसिंहन्।** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाग 'ख' और भाग 'ग' राज्यों में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का चुनाव करने में किन सामान्य आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है ; और

(ख) क्या इस बात का कोई उदाहरण है कि किसी राष्ट्रीय स्मारक का प्रबन्ध

सम्बन्धित राज्य सरकार के सहयोग से हो रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) इतिहास, वास्तु-कला और परातत्व के दृष्टिकोण से जो बहुत ही अधिक राष्ट्रीय महत्व के हों।

(ख) जी नहीं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या कुछ राज्यों में सभी स्मारक, जिन में छोटे स्मारक भी सम्मिलित हैं, सम्पूर्ण रूप से मिला लिये गये हैं, जब कि अन्य राज्यों में से केवल थोड़े से स्मारक मिलाये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं बता भी चुका हूं कि यह इस बात पर निर्भर है कि क्या वह स्मारक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या नहीं। हो सकता है कि किसी राज्य में उन में से अधिकांश स्मारक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हों; और अन्य राज्यों में अधिकांश ऐसे न हों ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्वालियर के सभी स्मारक मिला लिये गये हैं, जब कि मैसूर राज्य से, जिस में अति प्राचीन, ऐतिहासिक और बहु-मूल्य स्मारक हैं, केवल कुछ स्मारक ही मिलाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह मामला विवाद-ग्रस्त है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं केवल तथ्य जानना चाहता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : पुरातत्व विभाग की एक परामर्शदात्री समिति है, जिस में लोक सभा के भी कुछ सदस्य लिये जाते हैं। क्या किसी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की नीति का निश्चय वही समिति करती है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मेरी जानकारी है और इस में कुछ गलती भी हो सकती है, इस का निश्चय अधिनियम द्वारा किया जाता है । जैसा कि मैं बता चुका हूं, उस अधिनियम के अनुसार कई ऐसी बातें हैं जिन के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि अमुक स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : कितने स्मारक मैसूर में मिला लिये गये हैं और कितने ग्वालियर में ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस के लिए पूर्व सूचना दिये जाने की प्रार्थना करता हूं ।

ओटावा सम्मेलन

*११४. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अक्टूबर १९५४ में ओटावा में जो कोलम्बो योजना सलाहकार सम्मेलन हुआ था उस में क्या निश्चय किये गये ; और

(ख) इन निश्चयों से भारत की डालर सम्पत्ति पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक का मुख्य प्रयोजन उस प्रदेश के विकास का एक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना और भविष्य के लिये कार्यक्रम निश्चित करना है। सलाह-कार समिति की बैठकों में इस प्रकार के कोई भी निश्चय नहीं किये जाते। सत्र द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक किसी

ऐसी तिथि को, जिसे सभी सदस्य सरकारें स्वीकार करेंगी, प्रकाशित किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० के० चौधरी: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोलम्बो योजना सलाहकार सम्मेलन, पुनर्निर्माण तथा विकास अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक और राष्ट्र मण्डलीय वित्त मंत्री सम्मेलन के बीच में हुआ था, और दोनों बैठकों में हमारे वित्त मंत्री उपस्थित भी थे, क्या हमारे वित्त मंत्री एक ऐसा सुस्पष्ट वक्तव्य दे सकेंगे जिस में इन सम्मेलनों में किये गये निश्चयों, जो पौण्ड परिवर्त्तनशीलता तथा हमारे पौण्ड और डालर सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्य प्रश्नों से सम्बन्धित हों, का समावेश हो ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वित्त मंत्री से सम्बन्ध रखता है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं माननीय सदस्य के पूछने का अर्थ समझता हूं; इस कारण, क्या मुझे परिवर्त्तनशीलता पर एक वक्तव्य देना पड़ेगा ?

श्री टी० के० चौधरी: मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या यह संभव हो सकेगा . . . . . .

अध्यक्ष महोदव: मैं समझता हूं कि यदि वह एक विशेष पूर्व सूचना देते तो अधिक अच्छा होता। यदि वह ग्राह्य हो, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब स्वीकृति हो जायेगी तो वे वक्तव्य देंगे।

हिन्दी

*११६. **श्री केशवैयगार**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद ३४४ के अन्तर्गत सरकार हिन्दी की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के बारे में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) और (ख), उचित समय पर इस मामले पर विचार किया जायेगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद ३४४ कहता है कि राष्ट्रपति अपने आदेश से, एक आयोग नियुक्त करेगा; अतः इस में सरकार की इच्छा का कोई भी प्रश्न नहीं है। सरकार को आयोग नियुक्त करना है। और प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में इस आयोग की शर्तों के बारे में हमारे संविधान के उसी अनुच्छेद के खण्ड (२) में विस्तृत वर्णन किया गया है।

श्री केशवैयंगार: क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर के बीच के पत्र व्यवहार में कुछ प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास: हां, श्रीमान। कुछ प्रगति हुई है।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक इस कमीशन का सम्बन्ध है, क्या इस बात का भी कोई विचार हो रहा है कि इस में ऐसे ही महानुभाव मुकर्रर किये जायें जिन पर कि हिन्दी संसार का विश्वास हो ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): जब वक्त आयेगा तो इन सारी बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

ऋण के बकाया दावों (ब्रिटेन सम्बन्धी) का निबटारा

*११८. **श्री मुरारका**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक-लेखा समिति के नवें प्रतिवेदन में की गई

इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया है कि लंदन स्थित हमारे उच्च आयुक्त को आदेश दिया जाय कि वह ब्रिटेन सरकार पर हमारे ऋण के बकाया दावे जो मार्च, १९५३ के अन्त तक ३,७८८,१०० पौण्ड के थे, के शीघ्र निबटारे के प्रश्न को उठायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ३,७८८,१०० पौण्ड की सम्पूर्ण राशि में से अब तक ६३२,९०० पौण्ड की राशि का भुगतान हो चुका है और शीघ्र ही ३५,४०० पौण्ड का भुगतान होने की आशा है । शेष ३,११९,८०० पौण्ड में (१) २,५५८,००० पौंड की राशि १ अप्रैल, १९४७ के बाद, एच० एम० जी० की ओर से, सामान भेजने का जहाज़ी व्यय और (२) ५६१,८०० पौंड की राशि के विविध प्रकार के अन्य दावे, सम्मिलित हैं । ब्रिटेन की सरकार ने अभी तक जहाज़ी व्यय के दावों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि इन दावों के समर्थन में जो सूचना भेजी गई थी वह उन को इस लिये सन्तुष्ट करने में असमर्थ थी कि वह व्यय उन के जिम्मे नहीं था और इन दावों में ऐसी भी मदें जोड़ दी गई हैं जिन के लिये वे स्पष्टरूप से उत्तर-दायी नहीं। अतः इन दावों को स्वीकार करने के पूर्व वे अग्रेतर विवरण चाहते हैं । ब्रिटेन की सरकार द्वारा मांगे गये आवश्यक विव-रणों और वाउचरों को इकट्ठा करने के लिये विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है । और आशा है शीघ्र ही कार्य पूर्ण हो जायेगा । ज्यों ही आवश्यक आंकड़ें उपलब्ध हो जायेंगे लंदन स्थित हमारे उच्च आयुक्त को उपयुक्त आदेश भेजा जायेगा कि वह ब्रिटेन की सरकार से इस मामले पर पुनः उचित स्तर पर बातचीत शुरू करे ।

विविध प्रकार की मदों के सम्बन्ध में जो ५६१,८०० पौंड की राशि का ऋण है उस के भुगतान की बाचचीत, उच्च आयुक्त द्वारा राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क कार्यालय के परामर्श से की जा रही है ।

श्री मुरारका : हमारे अनुसार, यह राशि कब ब्रिटेन की सरकार द्वारा हमें देय बनी ?

श्री ए० सी० गुहा : यह १९४७-४८ की अवधि से सम्बन्धित राशि है, हम ने ब्रिटेन की सरकार के पास अपने दावों को १९४९ में भेजा था, तब से बातचीत चल रही है ।

श्री मुरारका : यह राशि १९४७-४८ में देय थी और १९५४ तक यह नहीं चुकाई गई, तो क्या ब्रिटेन की सरकार उस दिन से चुकाये जाने वाले दिन तक की अवधि का ब्याज देगी ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता । मेरे विचार से ऐसे मामलों में कोई ब्याज नहीं लिया जाता । कुछ भी हो, इस विषय पर चर्चा होगी तथा अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

श्री मुरारका : ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों और कुछ अग्रेतर प्रमाणों जिन के दिये जाने की आवश्यकता थी, को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को बहुत दिनों से अप्राप्त इस राशि का निपटारा कराने के लिये प्रमाण देने में क्यों सात वर्ष लगे ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं कह चुका हूं कि यह दावे वर्ष १९४७-४८ के हैं। तथा हम ने अपने दावों को ब्रिटेन की सरकार के पास १९४९ में भेजा और तब से बातचीत चल रही है; उन्होंने कुछ अग्रेतर जानकारी मांगी है; और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस

बात से सहमत होंगे कि उन दिनों, जब कि सत्ता हस्तांतरित की जा रही थी, समस्त विस्तृत सूचनायें उपलब्ध नहीं थीं। किन्तु लोक लेखा समिति ने यह सुझाव दिया था कि इसे ऊंचे स्तर पर लिया जाय; और सरकार भी इस मामले को ऊंचे स्तर पर लेने का विचार कर रही है।

श्री के० के० बसु: ब्रिटेन की सरकार ने हमारे दावों के प्रस्तुत होने के कितने समय पश्चात् आपत्तियां प्रकट कीं ?

श्री ए० सी० गुहा: यह पूछे गए प्रश्न की पुनरावृत्ति है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमने अपने दावे १९४९ में भेजे तथा उन्हों ने १९५०-५१ में उत्तर दिया होगा। १९५१-५२ में भी इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हुआ तथा यह अभी तक निरंतर चर्चा के रूप में चल रहा है। यह एक पेचीदा मामला है।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

लिमिटेड समवाय

*१२०. **श्री एस० एन० दास**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कितने लिमिटेड समवायों ने ऋणपत्र जारी करने के लिये सरकार की अनुमति मांगी है, तथा चालू वर्ष में कितनी राशि के लिये यह अनुमति मांगी गई है;

(ख) कितने मामलों में अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इन मामलों में कुल कितनी राशि के ऋणपत्रों का अंशभात्र चुकाया गया है; और

(घ) इन ऋणपत्रों पर ब्याज की दर क्या है?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) १ जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९५४ की अवधि में ऋणपत्र जारी करने के २५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिन का कुल मूल्य १७·४६ रुपये था।

(ख) १७।

(ग) सरकार को अभी सभी सम्बन्धित समवायों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) ४-१/२ प्रतिशत से ७-१/२ प्रति शत तक; किन्तु अधिकांश मामलों में ब्याज की दर ५ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक है।

श्री एस० एन० दास: क्या केंद्र में लिमिटेड समवायों द्वारा सरकार की अनुमति तथा उस के बिना जारी किये गये कुल ऋण पत्रों के आंकड़े जमा करने की कई कार्य-प्रणाली है; यदि हों, तो इस अवधि के दौरान कितनी राशि के ऋण पत्र जारी किये गये ?

श्री एम० सी० शाह: प्रत्येक वर्ष में ?

श्री एस० एन० दास: इस अवधि में।

श्री एम० सी० शाह: इस अवधि में मैं पहिले ही बता चुका हूं कि १७ आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये, तथा यह राशि १५ करोड़ रुपयों के लगभग है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): उठे--

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे विचार से प्रश्न यह था कि क्या हमारे पास कोई ऐसी कार्य-प्रणाली है। सहमति आदेशों के नीचे लिखी गई नियमोचित शर्तों में दी गई शर्त संख्या २ के अनुसार सहमति का अधिकार, जारी करने के दिन से २४ महीनों की अवधि तक वैध है। इन सहमतियों पर दी गई तथा

चुकता पूंजी की रिपोर्टों को प्रथम बारह महीनों के अन्त तक प्रस्तुत हो जाना चाहिये, तत्पश्चात् प्रत्येक छमाही के अन्त में प्रस्तुत हो जाना चाहिये । हमें अब तक केवल एक ही समवाय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस ने ७५ लाख रुपये का अंशभाग दिया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या किसी समवाय के सुझाव पर ब्याज की दर को घटाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो ब्याज की दर कितनी घटाई गई ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे सूचना की आवश्यकता है; हो सकता है कि मैं सही न हूं किन्तु ब्याज की दर घटाने का कोई मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

श्री मुरारका : इन १७ समवायों को कुल कितनी राशि की अनुमति दी गई ?

श्री एम० सी० शाह : मैं कह चुका हूं कि यह १५·९६ करोड़ रुपये राशि की है ।

युद्धास्त्र फैक्टरियां

*१२३. **श्री अमजद अली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सैनिक पिस्तौलें तथा शिकार की बन्दूकें युद्धास्त्र फैक्टरियों में निर्मित होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन का निर्माण करने वाली फैक्टरियों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(घ) सैनिक पिस्तौलों तथा शिकार की बन्दूकों का मूल्य अनुमानतः क्या है ; और

(ङ) क्या इन वस्तुओं का आयात पूर्णतः बन्द कर दिया गया है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) क्योंकि सैनिक पिस्तौलों की कोई मांग नहीं है, इसलिये यह अस्त्र नहीं बनाया गया, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसके हिस्सों को निर्मित्त कर लिया जाता है । जहां तक बन्दूकों का सम्बन्ध है, सैनिक बन्दूकों की मांग युद्धास्त्र फैक्टरियों से पूरी की जाती है, नागरिकों के उपयोग की, शिकार खेलने तथा ·२२ इंच की चांदमारी की बन्दूकों के निर्माण में प्रगति हो रही है ।

(ख) राइफल फैक्टरी, इशापुर तथा लघु युद्धास्त्र फैक्टरी, कानपुर ।

(ग) शिकार खेलने के अस्त्रों का उत्पादन ही मांग से सम्बन्धित होगा । शिकार खेलने की बन्दूकों का वार्षिक उत्पादन २,५०० तथा शॉट गन का मासिक उत्पादन ५०० के लगभग होगा । वर्तमान मासिक उत्पादन २०० बन्दूकें हैं ।

(घ) ·३१५ इंच की बन्दूक.... २२५ रुपये

१२ बोर डी० बी० बो० एल० शॉट गन .....४०० रुपये

(ङ) स्वदेशी १२ बोर की बन्दूकों की प्रतिद्वंदिता करने वाली शॉट गनों के आयात को रोकने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ;

श्री अमजद अली : भाग (ग) के सम्बन्ध में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

श्री सतीश चन्द्र : मशीनों की क्षमता पर्याप्त है जो कि हमारे द्वारा लिये गये प्रत्येक मद की मांग को पूरा कर सकती है ।

डा० लंका सुन्दरम् : सार्वजनिक हितों को पूरा करने के लिये ।

विदेशी प्रकाशन

*१२५. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मिशनों अथवा उन के दिल्ली स्थित सूचना सेवाओं के द्वारा इस समय बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी प्रकाशनों को रक्षा कर्मचारियों में परिचालित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा कर्मचारियों में अपने प्रकाशनों को परिचालित करने वाले विदेशी मिशनों तथा उन की सूचना सेवाओं के नाम क्या क्या हैं; और

(ग) क्या रक्षा कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का साहित्य प्राप्त करने के लिये विदेशी मिशनों तथा उन की सूचना सेवाओं में स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

डा० राम सुभग सिंह: रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को विदेशी प्रचार सामग्री का संभरण करने के लिये सरकार ने क्या प्रक्रिया बनाई है ?

श्री त्यागी: बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सभी टुकड़ियां एवं इकाइयां इस प्रकार की सामग्री के लिये अपनी प्रार्थनाएं सामान्य सरकारी नियमों के अनुसार भेजती हैं फिर उन्हें छांटा जाता है। सैनिक बल मुख्यालय में उन प्रार्थनाओं के अनुसार उन का बंटन किया जाता है और तदुपरांत यह प्रचारात्मक सामग्री टुकड़ियों में भेजी जाती है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस का यह अभिप्राय है कि प्रार्थना करने के बाद ही रक्षा सेवा के कर्मचारियों को विदेशी प्रचारात्मक सामग्री मिल जाती है ?

श्री त्यागी : वास्तव में, तथ्य तो यह है कि प्रचार के उद्देश्य से भेजी गई विदेशी प्रचारात्मक सामग्री बिना जांच के नहीं दी जाती, किन्तु कुछ साहित्य, जिस का सम्बन्ध प्रशिक्षण, शिक्षा, आदि से होता है, के बारे में विभिन्न टुकड़ियों की ओर से की गई मांगों की जांच सैनिक बल का मुख्यालय करता है और उस के बाद वह सामग्री उन टुकड़ियों को भेज दी जाती है।

डा० राम सुभग सिंह: विदेशी प्रचारात्मक सामग्री की जांच किये बिना न देने की नीति सरकार ने कब से अपनाई है ?

श्री त्यागी: फरवरी, १९५२ में वैदेशिक कार्य मंत्रालय से हमें ऐसा सुझाव मिला था और तभी से यह नीति अपनाई गई है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं कि विभिन्न टुकड़ियों की नाम सूची का निर्देश किये बिना विदेशी मिशनों द्वारा रक्षा कर्मचारियों को वह प्रचारात्मक सामग्री सीधे भेजने का प्रयत्न नहीं किया जाता अथवा उन के लिये ऐसा करना संभव नहीं हो सकता ?

श्री त्यागी: कभी कभी भारत स्थित विभिन्न दूतालयों के सूचना विभागों द्वारा पाक्षिक तथा अन्य मैगज़ीन भेजी जाती हैं ; किन्तु टुकड़ियों को आदेश दिया गया है कि सैनिक बल मुख्यालय की आज्ञा ले कर ही उन को वे अपने पुस्तकालय में ले जायें।

डा० लंका सुन्दरम् : मेरा प्रश्न यह था कि क्या विदेशी दूतालयों तथा मिशनों से हमारी रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा ली जाती है अथवा नहीं ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान्। जब विभिन्न दूतालयों में नये सैनिक सहचारी आते हैं और उन का सद्भावना पूर्ण निरीक्षण हम अपने यहां उचित समझते हैं तो वे हमारे यहां निरीक्षण के लिये आते हैं; और इसी प्रकार के सद्भावनापूर्ण निरीक्षण हम भी करते हैं। मैं समझता हूं कि इस के अतिरिक्त हमारी टुकड़ियों से उन का और कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री गिडवानी : क्या इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि कुछ पत्रिकाओं तथा मैगजीनों को परिचालित किया गया था, यह प्रकट नहीं होता कि कुछ प्रकाशित सामग्री सेना को सीधे ही भेजी जा रही थी ?

श्री त्यागी : इन सार्वजनिक सूचना कार्यालयों की कुल शाखाएं विभिन्न दूतालयों से संलग्न होती हैं, जो स्वेच्छानुसार इन शाखाओं को कोई भी प्रकाशित सामग्री भेजने के लिए स्वतन्त्र होती हैं, और इसीलिए कभी कभी कुछ पत्र-पत्रिकाएं इस प्रकार प्राप्त हुई।

श्री गिडवानी : क्या अमरीकन दूतालय से भी मिली हैं ?

श्री त्यागी : विभिन्न दूतालयों से।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं एक विशेष प्रश्न पूछ सकता हू ? क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा रक्षा सेवा के प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त होने वाली उस सामग्री की, जिसकी कि हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, जांच की जाती हो ?

श्री त्यागी : हमारे यहा एक गुप्तचर विभाग है और की की इस प्रकार इन मामलों सम्बन्धी सभी सूचनाएं सैनिक वल मुख्यालय में आती हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं .....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

बर्मा को दिया गया ऋण

***१२७. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हमने बर्मा को जो ऋण दिया था उसमें से कितनी धन राशि का समायोजन बर्मा द्वारा हमको दिये गये चावल के मूल्य में दिया गया है ; और

(ख) अब क्या बाकी रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) सम्भवतः प्रश्नकर्ता उस ऋण का उल्लेख कर रहे हैं जो बर्मा भारत को देगा।

बर्मा ने लगभग ३ लाख ९० हज़ार टन चावल भारत को दिया है जिसका मूल्य लगभग ६ करोड़ ७० लाख रुपये हैं और उसका समायोजन उसके ऋण से हो जायगा।

(ख) लगभग १३ करोड़ रुपये शेष हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या अवशिष्ट की किश्तों के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जो वायदा किया गया है उसमें किश्त की बात भी शामिल है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या बकिया रुपया अगली चावल की सप्लाई में मिनहा होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह चावल की बिक्री पर मुनहसिर है।

डा० रामा राव : मूल ऋण में से जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, कितना धन वट्टे खाते में डाल दिया गया है तथा कितना धन

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हमारे अंशदान के रूप में दिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमख : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न की व्याख्या करने वाला पूरा विवरण किसी उपयुक्त समय पर सरकार द्वारा सभा-पटल पर रखना ठीक रहेगा । ऐसा होना चाहिए, यह तो मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है कि भूतकाल में ऐसा किया गया भी था अथवा नहीं । ४८ करोड़ १५ लाख रुपया ऋण था जिसे घटा कर २० करोड़ कर दिया गया है । किन्तु ये सभी विस्तृत बातें मैं उस विवरण में बताऊंगा जो कि मैं सभा-पटल पर रखूंगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या अवशिष्ट धन का समायोजन आगे किये जाने वाले चावल के संभरण के आधार पर होगा अथवा उसका नकद भुगतान किया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यही बात तो मैंने पहले कही थी । यह तो चावल की अग्रिम बिक्री पर आधारित है ।

अनुसंधान छात्रवृत्तियां

*१२८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में अब तक हिन्दी और संस्कृत के लिए अलग-अलग कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : अवैज्ञानिक विषयों सम्बन्धी भारतीय अनुसंधान छात्रवृत्ति विषयक सरकारी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से यदि आपका अभिप्राय है तो चालू वर्ष में १० छात्रवृत्तियां संस्कृत में तथा ४ छात्रवृत्तियां हिन्दी में अनुसंधानार्थ दी गई हैं । अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ३ छात्रवृत्तियां और भी दी गई हैं जिनमें से दो सस्कृत के लिए तथा एक हिन्दी के लिए थी । पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन विदेशी छात्रों को संस्कृत की दो छात्रवृत्तियां दी गई हैं । अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अधीन एक छात्रवृत्ति हिन्दी में पी० एच० डी० परीक्षा के लिए खोज करने के निमित्त दी गई है ।

सेठ गोविन्द दास : सन् १९५३ में ये छात्रवृत्तियां कितनी थीं ; १९५४ में ये कुछ बढ़ी हैं या उतनी ही हैं ?

डा० एम० एम० दास : इनकी संख्या बढ़ गई है ।

सेठ गोविन्द दास : कितनी बढ़ाई गई है ?

डा० एम० एम० दास : १९५३ में संस्कृत तथा हिन्दी में खोज करने के लिए तीन तीन छात्रवृत्तियां थीं । इस वर्ष संस्कृत में खोज करने के लिए दस तथा हिन्दी में खोज करने के लिए चार हैं ।

प्राचीन चित्रों का परिरक्षण

*१३१. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने अजन्ता के चित्रों के परिरक्षण का वृहत् कार्य हाथ में लेने से पूर्व योग्य पदाधिकारियों को प्राचीन चित्रों के परिरक्षण के नवीनतम तरीकों की प्रशिक्षा दिला दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में व्यक्तियों को प्रशिक्षा दिलाने की कोई योजना है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर पर कोई ध्यान न देते हुए भी विभाग के कुछ

पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष अग्रिम प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : क्या इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों को बाहर भेजा जायगा, अथवा इस कार्य से बिल्कुल अनभिज्ञ व्यक्तियों को ?

डा० एम० एम० दास : पुरातत्व विभाग की रसायन शास्त्र शाखा के अध्यक्ष एक ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने विदेश में प्रशिक्षा पाई है । उन्होंने इंगलैण्ड में प्रशिक्षा पाई थी, और वे प्राचीन चित्रों के परिरक्षण सम्बन्धी नवीनतम तरीकों को भली भांति जानते हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : किन किन देशों को वे भेजे जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : अधिक पदाधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षा के लिए भेजने का प्रस्ताव आजकल मंत्रालय के विचाराधीन है । अभी तक यह क्रियान्वित नहीं हुआ है ।

श्री एन० एम० लिंगम : चूंकि इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में अभी समय लगेगा, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन्होंने कला की वस्तुएं जैसे लिओनार्डो दा विन्सी के चित्रों को खरीदने में इतनी जल्दी क्यों की ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पुरातत्व विभाग की रसायन शास्त्र शाखा के अध्यक्ष सुप्रशिक्षित हैं, उन्होंने इगलैण्ड में प्रशिक्षा पाई थी, और वे चित्रों के परिरक्षण सम्बन्धी नवीनतम तरीकों को अच्छी तरह जानते हैं ।

चोरी से माल लाना व ले जाना

***१३३. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ में अब तक पूर्वी तथा पश्चिमी भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर कुल कितने मूल्य का चोरी से लाया व भेजा गया माल पकड़ा गया है ; तथा

(ख) उपरोक्त काल में चोरी से माल लाने व ले जाने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन पर अभियोग चलाया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है, और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

जी० डी० विमान चालक पाठ्यक्रम

***१३४. श्री अमजद अली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय वायु सेना की जी० डी० विमान चालक शाखा के लिए प्रत्यक्ष प्रवेश पाठ्यक्रम को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो, यह कब पूर्ण रूप से समाप्त होगा ;

(ग) क्या ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग संयुक्त सेवापार्श्व पाठ्यक्रमों में वायु सेना के लिए स्थानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि वायु सेना अकादमियों में सारे स्थानों को उन प्रार्थियों से भरा जा सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो समस्त रिक्त स्थानों को भरने के लिये क्या अन्य उपाय अपनाये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अपनाये गये अन्य उपाय ये हैं :—

(१) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष प्रवेश ।

(२) उपयुक्त वायु सैनिक (एयरमेन) को कमीशन देना।

(३) राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सदस्यों को भर्ती करना।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजपत्रित पदाधिकारी

*९०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार में ३१ अक्टूबर १९५४, को ऐसे कितने राजपत्रित पदाधिकारी थे, जो १ रुपया प्रति मास नाम मात्र वेतन पाते थे; और

(ख) क्या कोई राजपत्रित पदाधिकारी पूर्णतया अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्रता से सभा-पटल पर रखी जायेगी।

छावनी बोर्ड

*९२. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्डों के विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक काम अथवा वैकल्पिक कार्य नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सारे विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को कार्य दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) छावनी बोर्डों के लगभग उन सारे कर्मचारियों को, जो भारत आये और जिन्होंने कार्य के लिये प्रार्थनापत्र दिये, भारत में छावनी बोर्ड सेवा में काम पर लगा लिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) भेदभाव का कारण यह है कि छावनी बोर्डों के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं थे अपितु स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के समान ही व्यवहार पाने के पात्र थे जब कि सेना भूमिखण्ड तथा छावनी सेवा के कर्मचारी स्थायी रूप से केन्द्रीय सरकार के सेवक थे, जिन्हें वरण का अधिकार था।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

*९४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५४ से ३० सितम्बर १९५४ तक सरकार ने तस्कर व्यापार की कितनी घड़ियां पकड़ लीं;

(ख) उन का तस्कर व्यापार किन देशों से किया गया था ;

(ग) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान से तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं, और उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १ अप्रैल, १९५४ से ३० सितंबर, १९५४ तक ४,२९४ घड़ियां पकड़ी गईं।

(ख) इन घड़ियों का आयात संसार के लगभग प्रत्येक भाग से, विशेषकर पुर्तगाली तथा भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों फारस की खाड़ी के क्षेत्रों, इंगलैंड जलडमरुमध्य, बस्तियों, मलाया तथा हांगकांग से किया गया था।

(ग) लक्षण इस प्रकार के हैं कि पाकिस्तान से चौर्यानयन में कमी हो रही है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

मुख्याध्यापकों की सशिविर गोष्ठी

***१०७. श्री जेठालाल जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अक्टूबर, १९५४ में बम्बई, सौराष्ट्र तथा कच्छ के माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के मुख्याध्यापकों की एक साशविर गोष्ठी महाबलेश्वर में आयोजित की गई थी; और

(ख) १९५३ में तारादेवी में हुई मुख्याध्यापकों की गोष्ठी की सिफारिशों के अनुसार किन अन्य राज्यों ने गोष्ठियां आयोजित की हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

ग्रामीण उच्च शिक्षा सम्बन्धी समिति

***१०९. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति बनाने के निमित्त कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(घ) यह समिति कब से अपना कार्य आरम्भ करेगी; और

(ङ) आन्तरिक प्रतिवेदन कब प्राप्त होगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक। १५ सितम्बर, १९५४ को सर्वश्री शिवनंजप्पा तथा जांगड़े के तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ का जो उत्तर दिया था, उस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) समिति ने १-११-१९५४ से कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ङ) जनवरी, १९५५, के अन्त तक उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ।

श्रेणी-उन्नति परीक्षा की समाप्ति

***११०. श्री आर० के० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का अंग्रेजी मिडल तथा हाई स्कूलों में वार्षिक श्रेणी-उन्नति परीक्षा को समाप्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सम्बद्ध विश्वविद्यालयों तथा प्रख्यात शिक्षा शास्त्रियों का मत लिया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कृषि-प्रशिक्षण

***११५. श्री बहादुर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए बुनियादी कृषि-प्रशिक्षण का कोई पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों ने प्रशिक्षण के इस बुनियादी पाठ्यक्रम में नाम लिखाया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां । असैनिक प्रशिक्षार्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एक ही है ।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, ४२ भूतपूर्व सैनिकों ने निम्न राज्यों में इन बुनियादी पाठ्यक्रमों में नाम लिखाया है :—

आसाम	४
उड़ीसा	४
त्रावनकोर-कोचीन	२०
भोपाल	१२
हिमाचल प्रदेश	१
विन्ध्य प्रदेश	१
योग	४२

अखिल भारतीय सामासिक देशनांक

***१२१. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "अखिल भारतीय मध्य-वर्ग देशनांक" तथा "अखिल भारतीय मज़दूर-वर्ग देशनांक" को एक "अखिल भारतीय सामासिक देशनांक" के रूप में संग्रहित तथा एकीकृत करने के बारे में कोई निश्चय हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान् । कुछ अन्तर्कालीन निश्चय किये गये हैं । श्रम मन्त्रालय में 'लेबर ब्यूरो' ने केन्द्रीय सांख्यिकीय संघ के परामर्श से एक अन्तरिम अखिल भारतीय मज़दूर-वर्ग देशनांक, जो नगरों में मज़दूर-वर्गों के विद्यमान जीवन-निर्वाह व्यय के देशनांक पर आधारित है, प्रकाशित किया था यह अंकमाला भारतीय श्रम राजपत्र में निरन्तर रूप से प्रकाशित हो रही है । अखिल भारतीय मध्यम-वर्ग देशनांक के बारे में ऐसा प्रयास नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित मूल्य में आंकड़े तथा भार बताने वाला रेखा चित्र प्राप्य नहीं थे ।

१९५३ के अन्त में केन्द्रीय तथा राज्य सांख्यिकों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था और उसमें वर्तमान जीवन-निर्वाह व्यय देशनांक का पुनरीक्षण किया गया था, और यह महसूस किया गया था कि उनमें से अधिकतर के लिए भार, युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में उपभोग के ढंग में परिवर्तन होने के कारण, पुराने पड़ गये हैं । उस सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि वर्तमान जीवन-निर्वाह-व्यय के पुनरीक्षण के उद्देश्य से सारे भारत में एक समान आधार पर परिवार आय-व्ययक सम्बन्धी पूछताछ की जाय । इस कार्य के लिए एक प्राविधिक परामर्शदात्री समिति, जिसके सभापति कैबिनेट के सांख्यिकीय परामर्शदाता हैं, नियुक्त की गई है । इस समिति ने कुछ नवीन देशनांक एकत्र करने का निश्चय किया है, और पूछताछ का कार्य करने के लिए योजनायें बनाई जा रही हैं । इस बीच में, वर्त्तमान जीवन निर्वाह-व्यय के देशनांक में सम्भाव्य अन्तरिम सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अखिल भारतीय सामासिक देशनांक के प्रश्न पर केवल मज़दूर-वर्गों तथा मध्यम वर्गों के संशोधित मूल आंकड़े प्राप्त होने के उपरान्त ही, विचार किया जा सकेगा ।

छावनी बोर्ड

***१२२. श्री माधव रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड कर्मचारी विष्य निधि में छावनी बोर्ड कर्म-

चारियों के एक आना प्रति रुपया के अंश में अपनी ओर से आधा आना प्रति रुपया देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिए उस दर से भिन्न दर रखने के क्या कारण हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) छावनी बोर्ड के कर्मचारी सरकारी नौकर नहीं हैं । फिर भी, छावनी बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले आधा आना प्रति रुपया के अंशदान के अतिरिक्त, छावनी बोर्ड अपने कर्मचारियों को बोनस भी देते हैं । कर्मचारियों को ये बोनस उनका १०, १५, २०, २५ तथा ३० वर्ष की कुल स्वीकृत सेवावधि पूर्ण होने पर दिये जाते हैं। सरकारी नौकरों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

बीमा अधिनियम

***१२४. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा अधिनियम के संशोधनों के बारे में बीमा करने वालों की संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उस पर कोई निश्चय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख) जी हां । संस्था से जून, १९५१ और पुनः अगस्त १९५२ में अभ्यावेदन मिला जिसमें बीमा (संशोधन) अधिनियम, १९५० द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम १९३८ की धारा ४४ का पुनः संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था ।

(ग) क्योंकि प्रस्तावित संशोधनों को अविलम्बनीय नहीं समझा गया इसलिये यह निश्चय किया गया है कि जब सरकार अगली बार बीमा अधिनियम, १९३८ पर विचार करेगी उस समय अभ्यावेदन में कही गई बातों पर विचार किया जायगा ।

पाकिस्तान की ओर से लोगों का अवैध प्रवेश

***१२६. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर कई व्यक्तियों के यात्रा के मान्य लेख्यों के बिना भारत में अवैध प्रवेश करने के कुछ मामलों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम जुलाई से अक्तूबर, १९५४ की समाप्ति तक ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) . इस काल में ऐसे ३२७७ मामलों की सूचना मिली है ।

आय-कर सम्बन्धी रियायतें

***११३. श्री आर० के० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन लोगों से, जिन्हें हाल की बाढ़ के कारण सम्पत्ति अथवा कारबार में भारी क्षति पहुंची, बकाया आय-कर वसूल करने के निरंकुश साधन न अपनाने के बारे में कोई सामान्य अथवा विशेष निदेश दिये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : जी नहीं ।

डा० पीटर मैनिशे की भारत यात्रा

***१३२. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० पीटर मैनिशे द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) . ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के

ढांचे पर विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति को डा० पीटर मैनिशे द्वारा की गई सिफारिशें भेज दी गई हैं।

लिगनाईट

९७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें (१) निवेली क्षेत्र (२) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के वर्कला संघ (३) बेयपुर तथा मालाबार के अन्य स्थानों में लिगनाईट के नवीनतम विश्लेषण का विस्तार और इसी प्रकार लिगनाईट रोश के विश्लेषण का ब्यौरा हो ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलानाआजाद): एक विवरण जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गई है संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

अमरीका में भारतीय विद्यार्थी

९८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४८ से ले कर अब तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत से अमरीका जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या की वार्षिक औसत क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : लगभग ४६० (जनवरी १९४८ से दिसम्बर, १९५३ तक के काल के आंकड़ों की औसत)।

बाढ़ सहायता के लिये उपहार

९९. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन विदेशों के नाम क्या हैं जिन से बाढ़ सहायता के लिये उपहार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक देश के उपहार का स्रोत रूप और मूल्य क्या था ; और

(ग) लोगों में इन उपहारों का वितरण किन संस्थाओं द्वारा किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). श्री बुचिकोटैय्या के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के भाग (ग) के सम्बन्ध में, जिसका उत्तर २० सितम्बर, १९५४ को दिया गया था, पहले ही जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

औद्योगिक उपक्रम

१००. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें, भारत में उन विदेशी स्वामित्व के कारबार तथा औद्योगिक उपक्रमों का निम्नलिखित विस्तार हो जो १५ अगस्त, १९४७ से १५ अक्तूबर, १९५४ तक (वर्षानुसार) विदेशी लोगों के हाथ से भारतीय लोगों के हाथ में आ गये :

(क) समवायों के नाम और उन भारतीय समवायों के नाम क्या हैं जिनके हाथ में यह आए ;

(ख) भारत में इन समवायों ने कितनी पूंजी लगा रखी है ;

(ग) उनके अर्जन के लिये भारतीय लोगों ने कितना मूल्य दिया ;

(घ) स्वामित्व बदलने से पूर्व यह समवाय किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे ;

(ङ) भारतीयों द्वारा अर्जित किये जाने के पश्चात् प्रत्येक विदेशी उपक्रम को कितनी राशि विदेश में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति दी गई;

(च) भारतीयों द्वारा अर्जन के पश्चात् ऐसे विदेशी उपक्रमों ने कितनी पूंजी पुनः लगाई ; और

(छ) विदेशी में प्रबन्ध के अन्तिम वर्ष में कारबार में कुल कितना लेन-देन हुआ और १९५३–५४ में कितना हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है। एकत्र होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी

समितियां

१०१. श्री वी० पी० नायर : क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा हो :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से लेकर १५ अक्तूबर, १९५४ तक मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई विभिन्न समितियों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति के निर्देश पद ;

(ग) पदेन अधिकारियों समेत ऐसी प्रत्येक समिति में कौन से व्यक्ति नामज़द किये गये ; और

(घ) वेतन, भत्तों, मानदेयों, कर्मचारिवृन्द पर अन्य प्रभारों और स्टेशनरी व प्रकाशन के व्यय को मिला कर प्रत्येक समिति पर कुल कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नौवहन स्कूल

१०२. सरदार इकबाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में नौवहन का प्रशिक्षण देने वाले नौवहन स्कूलों की संख्या क्या है; और

(ख) उन के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम तथा अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक कोचीन में ।

(ख) इस स्कूल में निम्नलिखित पाठ्यक्रम हैं :—

पदाधिकारी

(१) प्रवेश करने पर सब लेफ्टिनेंटों और पदोन्नत होकर अधिकारी वर्ग में आने वाले नौभटों, के लिये नौवहन निर्देशन पाठ्यक्रम ।

(२) नौवहन के प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम।

नौभट

(१) रेडार प्लाटर पाठ्यक्रम तृतीय श्रेणी ।

(२) क्वार्टर मास्टर पाठ्यक्रम प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी ।

(३) नैवीगेटर योमेन कोर्स

२. निम्नलिखित अर्हतायें अपेक्षित हैं

पदाधिकारी

इंटरमिडियेट स्तर तक गणित का ज्ञान ।

नौभट

मैट्रिकुलेशन स्तर ।

लगाई गई विदेशी पूंजी

१०३. श्री एस० एन० दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के तीन तेल साफ़ करने के कारखानों में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) क्या इन समवायों ने ऋण पत्र जारी किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो चन्दे की कुल राशि क्या है और भारतीय तथा विदेशी चन्दे के पृथक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) सम्भावना है कि आंकड़े ३५ और ३८ करोड़ रुपये के बीच होंगे । वास्तविक आंकड़ों का पता साफ करने के कारखानों का काम पूरा हो जाने पर लगेगा ।

(ख) इन में से दो समवायों ने ऋण-पत्र जारी किये हैं ।

(ग) भारतीय
१०,०३,२०,०००
विदेशी
१९६,८०,०००, रु०

सोडापुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड (ऋण)

१०४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडापुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड का प्रबन्ध औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सम्भाल लिये जाने के बाद से उस कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं और उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ;

(ख) इस कारखाने में काम चालू करने के लिये किन लोगों से बाचीतत की गई और उस का क्या परिणाम रहा ;

(ग) निगम को इस कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये, ऋण के रूप में दी गई राशि के अतिरिक्त, और कितना खर्च करना पड़ेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जब निगम ने १ नवम्बर १९५२ को प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की अनुमति तथा सहयोग के साथ कम्पनी का प्रबन्ध संभाला, तो यह कारखाना चल नहीं रहा था। तब ३ जनवरी १९५३ को फैक्टरी में काम प्रारम्भ किया गया। प्रबन्ध-अभिकर्त्ता हटा दिये गये थे और औपचारिक रूप में १९ मार्च १९५३ को कम्पनी का प्रबन्ध संभाला गया था। चार महीने तक फैक्टरी चलने के बाद यह देखा गया कि उत्पादन निश्चित क्षमता के अनुसार नहीं था, और फैक्टरी में काम करने वाले अमरीकन टैक्निकल विशेषज्ञ ने फैक्टरी को बन्द कर देने, और विभिन्न प्रकार के सुधार करने का सुझाव दिया, अर्थात् भट्ठी में कुछ परिवर्तन करना, शीशा खेंचने की दो और मशीनों का लगाना, मशीन वाले कमरे और भट्ठी की दीवारों को न जलने वाले एक तन्तुमय धातु (एसबेसटोस) की चादरों के साथ ढकना , इत्यादि ।

इस कारण २० जुलाई, १९५३ को फैक्टरी में काम बन्द कर दिया गया था परिवर्तन करने का काम जिस में भट्टी का पुनर्निर्माण और उस को बड़ा बनाने का काम सम्मिलित थे, मई १९५४ के अन्त तक समाप्त हो गया था। अब फैक्टरी चालू होने के लिये तैयार है ।

(ख) औद्योगिक वित्त निगम ने सोडापुर ग्लास वर्क्स में उत्पादन कार्य चलाने के विचार से दिलचस्पी रखने वाले पक्षों के साथ बातचीत करने के निमित्त एक समिति स्थापित की है । समिति द्वारा की जाने वाली बातचीत के पूर्ण हो जाने से पूर्व, उस बातचीत की क्या स्थिति है यह बताना उचित नहीं होगा ।

(ग) फैक्टरी अब उत्पादन करने के लिये तैयार है और जब उत्पादन कार्य आरम्भ किया जायेगा तब काम चलाने वाली पूंजी के अतिरिक्त और अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी ।

प्राप्त तथा प्रदत्त सहायता

१०५. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :
सेठ गोविन्द दास :
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा गत एक वर्ष के अन्तर्गत विविध योजनाओं और परियोजनाओं के अधीन विदेशों से सहायता के रूप में निम्न कार्यों के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई है :—

(१) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये सामान ;

(२) टैक्निकल विशेषज्ञ;

(३) विभिन्न देशों में भारतीय विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें; और

(ख) इसी कालावधि में भारत ने अन्य देशों को इसी प्रकार कितनी सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले एक वर्ष के अन्तर्गत, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र टैक्निकल सहायता प्रशासन कार्यक्रम, चतुर्थ-सूत्री कार्यक्रम तथा कोलम्बो योजना की टैक्निकल सहयोग योजना के अधीन जिन के साथ वित्त मंत्रालय का संबंध है, प्राप्त टैक्निकल सहायता इस प्रकार है :—

(१) **प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये सामान**

ब्रिटेन से कोलम्बो योजना के अधीन, वल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्था, दिल्ली विश्वविद्यालय, के लिये २९,६२९ रुपये का सामान ।

(२) **टैक्निकल विशेषज्ञ**

सं० रा० टैक्निकल सहायता प्रशासन कार्यक्रम	२
चतुर्थ सूची कार्यक्रम .	२३
कोलम्बो योजना . .	२६

(३) **भारतीय विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें**

सं० रा० टैक्निकल सहायता प्रशासन कार्यक्रम . .	२९
चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम .	८०
कोलम्बो योजना .	६८

(ख) कोलम्बो योजना के अधीन दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के ११२ नाम-निर्देशित व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें और इन देशों के लिये ३ भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की गई थीं ।

कल्याण वाला समिति का प्रतिवेदन

१०६. श्री एस० एन० दास : क्या **रक्षा** मंत्री कल्याण वाला समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में, ३० अगस्त, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस के बाद कुछ अधिक सिफारिशें स्वीकृत एवं कार्यान्वित की गई हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सरकार ने उसके बाद दो अधिक संयुक्त सिफारिशों को पूर्णरूप में स्वीकार कर लिया है और उन की कार्यान्विति के लिये उपयुक्त आदेश जारी किये गये हैं । सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

केवल मात्र प्रमुख संयुक्त सिफारिश, जो अभी सरकार के विचाराधीन है, प्रयोगशाला अटेंडेंटों को गैर औद्योगिक श्रेणी में लाने से सम्बन्ध रखती है शीघ्र ही सरकारी आदेश जारी होने की आशा है ।

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा समिति

१०७. श्री एस० एन० दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में किन-किन महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार हुआ था ;

(ख) समिति ने किन-किन विषयों पर किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद इन के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या निर्णय है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

अस्पृश्यता

१०८. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में और सितम्बर १९५४ के अन्त तक, अस्पृश्यता के अपराध में प्रत्येक राज्य द्वारा कितने अभियोग चलाये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सन् १९५३ में प्रत्येक राज्य द्वारा चलाये गये अभियोगों की संख्या के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के सन् १९५३ के प्रतिवेदन के पृष्ठ २४३-२४५ पर परिशिष्ट ३ (विवरण संख्या १ तथा २) में दी गई है, जिसकी प्रतियां संसद् के सब सदस्यों को पहले दी जा चुकी हैं और सभा के पुस्तकालय में भी रखी गई हैं। सन् १९५४ सम्बन्धी इसी प्रकार की जानकारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा एकत्रित की जा रही हैं और उसके सन् १९५४ के प्रतिवेदन में जोड़ दी जायेगी ।

पाठ्य पुस्तक गवेषणा संबन्धी कार्यालय

१०९. श्री वी० पी० नायर : क्या **शिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में स्थापित पाठ्य-पुस्तक गवेषणा सम्बन्धी कार्यालय में, देश में शिक्षा का माध्यम बनने वाली विभिन्न भाषाओं में निपुण, गवेषणा करने वाले विद्वान विधमान हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चालू वर्ष में रखे गये पाठ् ग्रन्थों में विशेषतया. भूगोल में, चीन को अब भी "अकाल ग्रस्त देश" कहा जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) पाठ्य ग्रन्थ गवेषणा सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यालय में इस समय काम करने वाले कर्मचारी निम्न भाषाओं में नियुक्त हैं :—

हिन्दी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और अंग्रेजी ।

(ख) भूगोल तथा इतिहास के किसी पाठ्य ग्रंथ में, जिन का अब तक कार्यालय में परीक्षण किया गया है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया है ।

संगीत नाटक अकादमी

११०. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४ के अन्तर्गत अब तक संगीत नाटक अकादमी के क्या-क्या मुख्य कार्य-कलाप हैं ; और

(ख) इस समय के अंतर्गत कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) प्रथम जनवरी, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५४ तक २,०८,११६, रुपये की राशि खर्च हुई है ।

पंजाब को ऋण

११२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में सड़कों के विकास के लिये सरकार

द्वारा पंजाब राज्य को ऋण और अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : गत पांच वर्षों में पंजाब की सड़क विकास के लिये इस प्रकार धन दिया गया था :—

अनुदान	४७.८९ लाख रुपये
ऋण	कुछ नहीं।

तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क

११३. श्री सी० डी० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३–५४ के अन्तर्गत तंबाकू पर लगने वाले उत्पादन शुल्क के रूप में पंजाब से कितनी राशि प्राप्त हुई है; तथा

(ख) सन् १९५३–५४ के अन्तर्गत राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख)· सन् १९५३–५४ में पंजाब में तंबाकू सम्बन्धी उत्पादन शुल्क के रूप में ३७ लाख ६० हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, उस वर्ष के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों पर ६ लाख ८४ हजार रुपये की राशि खर्च हुई थी।

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं में प्रवेश

११४. श्री एस० सी० सिंघल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इस वर्ष सब राज्यों को प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं में प्रवेश लगभग १० प्रतिशत कम हो गया है ; और

(ख) इस का क्या कारण है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

सोने का चोरी छिपे लाया जाना

११५. श्री गिडवानी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अक्टूबर, १९५४ में बम्बई में बड़ी मात्रा में चोरी छिपे लाया गया सोना पकड़ा गया था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो पकड़े गये सोने की मात्रा क्या थी ; तथा

(ग) इस चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) प्रचुर मात्रा में सोना पकड़ा गया था ।

(ख) पकड़ी गई मात्रा ४४६.०१३ तोले थी ।

(ग) सोने के चोरी छिपे लाए जाने के निवारण के लिये कठोर पग उठाए गए हैं। फारस की खाड़ी तथा अफ़रीका (यह भी चोरी छिपे लाए जाने वाले सोने का एक स्त्रोत है) से नियमित रूप से आने वाले सभी जहाज़ों पर निगरानी रखी जाती है और नियमित रूप से उन की तलाशी होती रहती है। सुदूरपूर्व से आने वाले जहाज़ों की भी ऐसे ही निगरानी की जा रही है और उन की भी तलाशी होती रहती हैं। सीमाशुल्क गुप्तवार्ता कर्मचारी भी इन जहाज़ों, उन के चालकों तथा उन स्थानीय सोने के व्यापारियों तथा चोरी छिपे लाए गए सोने के विक्रय से संबंध रखने वाले दलालों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नगर में भी ऐसे सोने की पकड़ होती रहती है जिस के बारे में चोरी लाए जाने का सन्देह होता है । इन उपायों

के अतिरिक्त इस बहुमूल्य धातु के चोरी छिपे लाए जाने के निवारण के लिये नियमित रूप से सागर तथा तटों की गश्त होती रहती है ।

चतुर्थ-सूत्री कार्य क्रम १९५४-५५

११६. **श्री नाना दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५४–५५ के चतुर्थ-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ अभ्यर्थी चुने गए हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो चुने गए अभ्यर्थियों के नाम तथा व्यवसाय क्या हैं; तथा

(ग) वे कौन-कौन से विषय हैं जिन का वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). चुने गए अभ्यर्थियों के नाम, उन के व्यवसाय तथा प्रशिक्षण के विषयों को जतलाने वाला एक विवरण यहां संग्लन है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**

केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारी

११७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में सभी श्रेणियों में कार्य करने वालों में विवाहित तथा अविवाहित कर्मचारियों की संख्या ;

(ख) उन्हीं श्रेणियों में कार्य करने वाली स्त्री कर्मचारियो की संख्या ; तथा

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रबन्ध किया है जिस से समय-समय पर सचिवालय में इस प्रकार की जनगणना की जा सके ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

गोआ से चोरी छिपे लाया गया सोना

११८. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ से चोरी छिपे लाय गए सोने की कितनी मात्रा गत दो मासों में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

विदेशी शिल्पिक (टैक्नीशन)

११९. **डा० रामा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी शिल्पिकों के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रशिक्षण तथा नवीकरण का केन्द्र खोला गया है;

(ख) उस अभिकरण का नाम जिस ने यह केन्द्र खोला है ;

(ग) उन विदेशी शिल्पिकों के नाम जो उस केन्द्र में क्षा प्राप्त कर रहे हैं; तथा

(घ) किस उद्देश्य के लिये यह केन्द्र खोला गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली अर्थशास्त्र महाविद्यालय (देहली स्कूल आफ़ इकनामिक्सि), भारतीय फ़ोर्ड फ़ाउण्डेशन तथा यू० एस० टैक्निकल सहयोग मिशन से किये गए एक करार के अन्तर्गत ।

(ग) नाम बतलाने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]

(घ) इस केन्द्र का उद्देश्य यह है कि उन विदेशी शिल्पिकों के लिये, जो शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में आए हैं भारत के विषय में नवीनकरण का पाठ प्रदान करना ।

सोने का चोरी छिपे ले जाना

१२०. **श्री गिडवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९४९ से १९५३ तक के वर्षों में चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाये जाते हुए सोने और ज़ेवरों की कोई मात्रा पकड़ी गई थी;

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने का माल पकड़ा गया था; तथा

(ग) अपराधियों से जुर्माने के रूप में क्या प्राप्ति हुई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग) । अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है, और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निवृत्ति वेतन

१२१. { **श्री गिडवानी** :
श्री जेठा लाल जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को उन प्रान्तों में सेवा करने के कारण जो अब पाकिस्तान में हैं, निवृत्ति वेतन प्रदान करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर चुकी है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन प्रदान किया जा चुका है ; तथा

(ग) वे नियम जिन के अनुसार उन के निवृत्ति वेतन की परिगणना की गई है, तथा उन्हें दिया गया प्रतिशतक ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के विस्थापित प्रांतीय स्थायी सरकारी कर्मचारियों की जो अब भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं, पिछली पक्की सेवा के लिये सेवा निवृत्ति दायित्व के जब तक पाकिस्तान सरकार स्वीकार नहीं कर लेती, निर्पेक्ष अस्थाई सेवा निवृत्ति देगी' मंजूर करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस सम्बन्ध में अनुदेश इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ३१।११९।५२ डी० जी० एस०, दिनांक ३१ जनवरी, १९५३, में दिये गए हैं, जिस की एक प्रति २९ सितम्बर १९५४ को सभा पटल पर रख दी गयी थी ।

पाकिस्तान को भेजा गया धन

१२२. **श्री गिडवानी** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३, तथा १९५३-५४ के वर्षों में आज तक भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा पाकिस्तान में रहने वाले उनके सम्बन्धियों के निर्वाह के लिये भेजे गए धन की कुल राशि; तथा

(ख) उसी कालावधि में भारतीय राष्ट्रीयों द्वारा पाकिस्तान में रहने वाले अपने सम्बन्धियों से प्राप्त धन की कुल राशि ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) ऐसे धन सम्बन्धी आंकड़े सरकार को प्राप्त नहीं हैं ।

गवेषणा छात्र

१२३. **श्री झूलन सिंह:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विश्वविद्यालयों के गवेषणा-छात्रों को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; तथा

(ख) उन्होंने उन सुविधाओं से किस प्रकार लाभ उठाया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण यहां संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]**

अनुसूचित क्षेत्र आदेश, १९५०

१२४. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम जिन्होंने अनुसूचित-क्षेत्र-आदेश, १९५०, को संशोधित करने के लिए प्रार्थनाएं भेजी हैं ; तथा

(ख) राष्ट्रपति के आदेश, १९५०, के अन्तर्गत किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये कौन-कौन सी आवश्यक बातें हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १. राजस्थान ।

२. बम्बई ।

३. हिमाचल प्रदेश ।

(ख) उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का अधिक संख्या में होना ।

राष्ट्रीय योजना ऋण

१२५. **श्री डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य भारत की सरकार और वहां की जनता ने राष्ट्रीय योजना ऋण और प्रधान मंत्री सहायता कोष में कितनी-कितनी राशि दी है; और

(ख) किन किन ज़िलों से इस ऋण और कोष में सब से अधिक राशि दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). मध्य भारत में राष्ट्रीय योजना ऋण के लिये ४० लाख रुपये एकत्रित हुए थे । ज़िला अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रधान मंत्री सहायता निधि सरकारी लेखा के अन्तर्गत नहीं है, और इस लिये उस में प्राप्त होने वाले अंशदानों की राशि के साथ सरकार का कोई संबंध नहीं है ।

छात्रवृत्तियां

१२६. **श्री डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने छात्रों को केन्द्र द्वारा छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और स्वतंत्रता मिलने के बाद से अब तक उन्हें कितनी राशि दी जा चुकी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास राज्य द्वारा अनुदान का प्रयोग

१२७. श्री नम्बियार : क्या **वित्त** मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ९३,२७,२७३ रुपये की राशि, जो कि मद्रास सरकार के पास १९५०-५१ से १९५३-५४ तक के वर्षों में प्रयोग न किये जाने के कारण व्यपगत हो गई थी, किस प्रयोजन के लिये और लेखे के किन शीर्षकों के अन्तर्गत मंजूर की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

१२८. श्री के० सी० सोधिया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को (१) संधारण अनुदान, (२) ब्लाक अनुदानों, (३) विकास योजनाओं सम्बन्धी अनुदानों, (४) पुस्तकालयों और प्रयोगशालायों सम्बन्धी अनुदानों, (५) गैर-वैज्ञानिक विषयों के विकास सम्बन्धी अनुदानों, (६) वैज्ञानिक विभागों के विकास के अनुदानों, (७) आधारभूत गवेषणा सम्बन्धी अनुदानों के अन्तर्गत कुल कितनी राशियां दी गई थीं; और

(ख) क्या उक्त शीर्षकों में से किसी शीर्षक के अन्तर्गत किन्हीं अन्य विश्वविद्यालयों को अनुदान दिये गये थे और यदि हां, तो प्रत्येक को कितना दिया गया था और किस शीर्षक के अन्तर्गत ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]**

महिला पदाधिकारी

१२९. श्री के० सी० सोधिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) अखिल भारतीय सेवाओं, (२) भारतीय विदेशी सेवा और (३) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितनी विवाहिता हैं और (२) कितनों के बाल बच्चे हैं ; और

(ग) इन पदाधिकारियों में से प्रत्येक की सेवा की कुल अवधि क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

आयकर संशोधन विधेयक

१३०. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय आयकर संशोधन विधेयक, १९५४ के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त काम को निपटाने के लिये कोई विशेष आयकर पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और प्रत्येक को क्या क्षेत्राधिकार सौंपा गया है ,

(ग) उन के द्वारा निबटायें जाने के लिये कुल कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) इस प्रकार के अन्य मामलों को फाइल पर लाने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) जी हां।

(ख) इस समय आठ आय-कर पदाधिकारी इन मामलों के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं। आय-कर पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार उन सब मामलों तक है जो कि भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ५ (७क) के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गये हैं।

(ग) १८४।

(घ) अपने कर्तव्य पालन के दौरान में आय-कर प्राधिकारियों द्वारा जांच।

देहाती विद्यालय

१३१. श्री आर० एन० सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देहाती विद्यालयों के संगठन तथा संचालन का अध्ययन करने के लिए किन-किन देशों में शिक्षकों को भेजने का निर्णय किया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए भेजे जाने वाले अध्यापकों की योग्यता क्या होगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

लड़कियों की शिक्षा पर व्यय

१३२. श्री इब्राहीम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में भारत में लड़कियों की शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ख) १९५३-५४ में उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के आदिम जाति क्षेत्रों में लड़कियों के लिये कितने माध्यमिक स्कूल खोले गये ?

शिक्षा व संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) १९५२-५३ में लगभग ३२ करोड़ रुपये। १९५३-५४ के लिए जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) अपेक्षित जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और इस मंत्रालय में प्राप्त हो जाने पर पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्लभ पांडुलिपियों की सूक्ष्म-चित्र प्रतियां

१३३. श्री एन० एम० लिंगम् : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दुर्लभ पांडुलिपियों की कोई सूक्ष्म-चित्र प्रतियां तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, उन पांडुलिपियों के नाम क्या है जिन की अब तक फिल्में तैयार की गई हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) उन पांडुलिपियों का जिन्हें राष्ट्रीय लेखागार में सूक्ष्म-चित्रित किया गया है, ब्यौरा यह है :

१. गिलगित पांडुलिपियां	६१ मद
२. काश्मीर की तिब्बती और संस्कृत पांडुलिपियां	५०९ खंड
३. पंजाब से रजाब अली पांडुलिपियां	१५ खंड
४. नई दिल्ली में प्रदर्शित हैदराबाद की पांडुलिपियां	१०५ मद

५. रज़ा पुस्तकालय रामपुर की फारसी तथा अरबी की ऐतिहासिक और साहित्यिक पांडुलिपियां .	२० मद
६. बाबर नामा	१ पांडुलिपि

इन के अतिरिक्त विश्व भारती से दिवंगत कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ पांडुलिपियों को भी माइक्रो-फ़िल्म किया गया था ।

यदि इसकी इच्छा हो, तो माइक्रोफिल्म की गई अलग-अलग पांडुलिपियों के नाम उपलब्ध करा दिये जायेंगे किन्तु ऐसी सूची को तैयार करने में काफी समय और परिश्रम लगेगा ।

लोक ऋण

१३४. श्री एन० एम० लिंगम्: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५४ को भारत का बकाया लोक ऋण कितना था ;

(ख) १९५४ के अन्त में इस सम्बन्ध में स्थिति क्या होगी ;

(ग) ये ऋण किस प्रकार के हैं और इनकी शर्तें क्या हैं ;

(घ) यह ऋण किन प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया गया है या इसे किन आस्तियों के द्वारा सुरक्षित किया गया है ;

(ङ) ३१ मार्च, १९५४ को अरक्षित ऋण की राशि क्या थी और ३१ मार्च, १९५५ को इस की स्थिति क्या होगी ; और

(च) उन दायित्वों की राशि क्या है जिन पर सूद देना पड़ता है और उन आस्तियों की राशि क्या है जिन पर सूद मिलता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख) । ३१ मार्च १९५४ को बकाया भारत के लोक ऋण के लेखा परीक्षित आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं और न ही इस समय यह बताना संभव है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमानतः कितनी राशि बकाया होगी । तथापि जैसा कि केन्द्रीय सरकार के १९५४-५५ के आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ट ७१ पर बतलाया गया है ३१ मार्च, १९५४ को और ३१ मार्च १९५५ को बकाया राशियां अनुमानतः २१३०.६३ करोड़ रुपये और २४०६.०८ करोड़ रुपये होगी ।

(ग) भारत के लोक-ऋण की अधिकांश राशि उन बाज़ार ऋणों की है जो कि समय समय पर भारत और इंगलैंड में इकट्ठे किए गए हैं और जिन की ब्याज की दरें और परिपक्वता तिथियां भिन्न भिन्न हैं। एक विवरण जिसमें ३१ मार्च, १९५४ को बकाया इस प्रकार के प्रत्येक ऋण की अनुमानित राशि, सूद की दर, जारी करने की तिथि और परिपक्वता की सबसे पहली तिथि बतलाई गई है, १९५४–५५ के आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ३५–३६ पर दिया गया है ।

लोक-ऋण का दूसरा महत्वपूर्ण अंश वह धन है जो कि जनता, रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों आदि को हुंडिया जारी करके इकट्ठा किया गया है । ये हुंडियां तीन मास के लिए होती हैं और बट्टे पर जारी की जाती हैं। यह बटा जारी करने के समय बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होता है ।

अन्य मद ये हैं : गेहूं के क्रय के लिये अमरीका की सरकार से लिया गया डालर ऋण, दामोदर घाटी परियोजना और भूमि को कृषियोग्य बनाने की योजना के लिये संयंत्र तथा सामान और रेलवे इंजनों

के क्रय के लिये पुनर्निमाण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिये गये इसी प्रकार के ऋण। अमरीकन सरकार से लिये गये ऋण पर २$^{1}/_{2}$ प्रतिशत ब्याज लगता है और मूलधन ३५ वर्षों में वापस दिया जाता है और भुगतान १९५५-५६ से शुरु होगा ; पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिये गये ऋणों पर ३१ प्रतिशत से ४१ प्रतिशत प्रति वर्ष तक की दरों से ब्याज लगता है और इस का भुगतान ७ से २५ वर्ष तक की अवधियों में किया जायेगा।

(घ) भारत का लोक-ऋण मुख्यतः इन प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया गया है :

(१) रेलवे ;

(२) डाक और तार विभाग तथा अन्य वाणिज्यिक विभाग ;

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम धन ;

(४) स्टरलिंग पैंशनों के लिये वार्षिकियों का क्रय ;

(५) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक को चन्दा;

(६) अन्य व्यय अर्थात् असैनिक निर्माण कार्यों आदि पर व्यय।

(ङ) जैसा कि १९५४-५५ के आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ७२ पर दिया गया है, ३१ मार्च, १९५४ को लगभग ५९७ करोड़ रुपये और ३१ मार्च, १९५५ को ६६८ करोड़ रुपये।

(च) जैसा कि १९५४-५५ की आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ७४ पर बताया गया है, ३१ मार्च, १९५५ को उन दायित्वों की कुल अनुमानित राशि जिस पर ब्याज देना पड़ता है ३०१३.७१ करोड़ रुपये थी और उन आस्तियों की कुल अनुमानित राशि जिस पर ब्याज मिलता है २२५१.८४ करोड़ रुपये थी।

भित्ति चित्रों की खोज

१३५. श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या शिक्षा मंत्री इन बातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारत स्थित उन स्थानों के नाम जहां राष्ट्रीय महत्त्व के भित्ति चित्र पाये गये हैं ;

(ख) ये चित्र वास्तव में कब तथा किस के द्वारा खोजे गये थे ;

(ग) खोज के समय उन की क्या दशा थी;

(घ) उन की वर्तमान दशा क्या है ;

(ङ) उन की रक्षा के लिये किये गये उपाय तथा उस के परिणाम ; और

(च) ऐसे उदाहरण जहां मूल्यवान चित्रों वाले मंदिर खंडहर होते जा रहे हैं, तथा इस समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

१३६. श्री संगण्णा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय को शिक्षण कार्य को भी प्रारम्भ कर देने का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हुए ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

इम्फाल के आदिमजातीय लोग

१३७. श्री रिशांग किशिंग: क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल के नगरीय क्षेत्रों में आदिम जाति लोगों के गांवों की संख्या तथा उन की जनसंख्या क्या है ;

(ख) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में, उन के विकास के लिये आदिमजातीय कल्याण निधि में से कितनी धनराशि पृथक रखी गई ; और

(ग) पूर्ण किये गये तथा अभी तक चालू विकास सम्बन्धी कार्यों का क्या कार्यक्रम है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक वित्त निगम

१३८. श्री वीरस्वामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को मद्रास राज्य से ऋण दिये जाने की मांग करने वाले कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन संस्थाओं के नाम जिन्होंने यह आवेदनपत्र भेजे हैं ; और

(ग) भाग (क) में उल्लिखित उन औद्योगिक संस्थाओं के नाम जिन्हें ऋण दिये गये तथा प्रत्येक को दी गई धनराशि ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) १ जुलाई, १९५२ से ३० जून, १९५४ तक की अवधि में निगम को मद्रास राज्य में स्थित औद्योगिक संस्थाओं के सात आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं । (निगम का लेखा वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक होता है ।

(ख) और (ग). उन संस्थाओं के नाम जिन्होंने आवेदनपत्र दिये हैं, परन्तु जिन के मामले अभी विचाराधीन हों अथवा जिन को ऋण स्वीकृत न किये गये हों बताना लोक हित में नहीं होगा । जिन संस्थाओं को ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं उन के नाम तथा ऋण की धनराशि इस प्रकार है :

	नाम	धनराशि
(१)	श्री राजेन्द्र मिल्स लिमिटेड सलेम	१२ लाख रुपये (कम्पनी ने निगम को सूचना भेजी है कि वह कर्ज को काम में नहीं लायेगी ।
(२)	कनारा वर्कशाप लिमिटेड कोडियालवेल, मंगलौर—३,	३ १/२ लाख रुपये ।
(३)	मैसूर कैमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड मैसूर, दाम, सलेम	५ लाख रुपये (अतिरिक्त)
(४)	इंडिया सीमेंटस लिमिटेड, मद्रास	३० लाख रुपये (अतिरिक्त)

लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की अर्हतायें

१३९. श्री जी० एल० चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अकाउन्टैन्ट जनरल, सैंट्रल रेवेन्यूज़ के अधीन विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति के लिए अपर डिवीजन लिपिकों तथा लोअर डिवीजन लिपिकों की शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें क्या हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिवासियों के अभ्यर्थियों के लिए कोई वर्ग अथवा श्रेणी सम्बन्धी रियायत दी गई है ; और

(ग) स्वतन्त्रता के पश्चात् वर्षवार उपरिलिखित श्रेणियों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिवासियों के कर्मचारियों की संख्या ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) लेखा परीक्षक कार्यालयों में अपर डिवीजन लिपिकों की नियुक्ति के लिए कम से कम शिक्षा अर्हता विश्वविद्यालय की उपाधि है, तथा इससे अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाता है ।

असैनिक लेखा परीक्षा कार्यालयों में, लोअर डिवीअन लिपिकों की कम से कम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा उसी के समान किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना तथा टाइप की योग्यता होना आवश्यक है ।

(ख) क्योंकि अपेक्षित अर्हता केवल उपाधि अथवा मैट्रिक परीक्षा रखी गई है इसलिये श्रेणी आदि में रियायत देने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

(ग) आंकड़े सम्पूर्ण तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों (उन में एस० ए० एस, अकाउन्टेंट, डिवीज़नल अकाउन्टेंट, अपर तथा लोअर डिवीजन लिपिक, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट तथा सार्टरस) सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में रखे गये हैं केवल अपर तथा लोअर डिवीजन लिपिकों के अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं । सन् १९५१ से १९५४ तक प्रत्येक वर्ष की १ जनवरी को भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों आदिमजातियों के कर्मचारियों (अस्थायी तथा स्थायी) की संख्या सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम० जातियां	योग
१९५१	४४१	६६	५०७
१९५२	४७५	६९	५४४
१९५३	५६९	८८	६५७
१९५४	६९४	९५	७८९

१९४८–१९५० : इस काल की सूचना अभी प्राप्त नहीं है, यदि अपेक्षित हो तो संग्रहीत की जायेगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय छात्रसेना दल

१४०. सरदार इकबाल सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में तथा सितम्ब १९५४ तक विभिन्न राज्यों के कितने शिक्षः राष्ट्रीय छात्रसेना दल के प्रशिक्षण के लि बुलाये गये ;

(ख) ये प्रशिक्षण केन्द्र किन स्थानों प हैं ; और

(ग) प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ६० प्रोफेसर तथा १०२ विद्यालयों के शिक्षक ।

(ख) प्रशिक्षण २३ केन्द्रों पर दिया गया था, जिनकी सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]** ।

(ग) छात्रसेना अधिकारियों को हथियार चलाने तथा सैनिक तथा टैक्निकल विषयों के आधारभूत सिद्धान्तों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वे छात्रसेना के विद्यार्थियों को दी जाने वाली अपेक्षित स्तर तक के प्रशिक्षण का ठीक प्रकार सुपरिवीक्षण कर सकें ।

बुधवार
१७ नवंबर १९५४

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक सभा

बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदयपीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

११-५६ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग, अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ और १९

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन म निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) परीसीमन आयोग, भारत अन्तिम आदेश संख्या १७ तारीख, २२ सितम्बर, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एस–४१४।५४']

(२) परिसीमन आयोग, भारत अन्तिम आदेश संख्या १८, तारीख २३ सितम्बर, १९५४ । [पुस्तकालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एस–४१५/५४]

(३) परिसीमन आयोग, भारत अन्तिम आदेश संख्या १९, तारीख ४ अक्टूबर, १९५४ । [पुस्तकालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एस–४१६।५४]

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं पटल पर पत्र संख्या ५ की एक प्रति रखता हूं जिस में उस भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक १९५४ पर राय दी गयी हैं जो ३१ अगस्त, १९५४ तक राय जानने के लिये परिचालित किया गया था । [पुस्तकालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एस–४१७।५४]

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में याचिका

सचिव : श्रीमान्, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १७८ के अधीन, मुझे सूचित करना है कि डा० कैलाश नाथ काटजू द्वारा २७ अप्रैल, १९५४ को सभा में पुर:स्थापित किये गये दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ का संशोधन करने

[सचिव]

वाले विधेयक के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई है ।

विवरण

डा० कैलाश नाथ काटजू द्वारा २७ अप्रैल, १९५४ को सभा में पुरः स्थापित किये गये दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ का संशोधन करने वाले विधेयक के बारे में याचिका ।

हस्ताक्षर करने वालों की संख्या	जिला या नगर	याचिका की संख्या
१	दिल्ली	दिल्ली ३९

सभा का कार्य

सत्र में पुरःस्थापन के लिये प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम) : मैं आप का ध्यान ८ नवम्बर, १९५४ के लोक-सभा समाचार संख्या १६४९ के भाग ग की ओर दिलाता हूं । इस भाग में लगभग ३० विधेयक दिये गय हैं, जिन्ह पुरःस्थापित किया जाना है । "विधेयक का आशय" इस सम्बन्ध में जो स्तम्भ है, उसे अधिकतर मामलों में बिल्कुल अस्पष्ट रखा गया है । श्रीमान्, जसा कि आप को ज्ञात है, स्वीकृत प्रथा यह है कि सदन को इन विधेयकों के आशय के बारे म सूचित किया जाता है । मैं आशा करता हूं कि आप एक ऐसी प्रक्रिया बनायेंगे जिस के अनुसार यह आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ताकि सत्र के अन्त में विधान-कार्य को बहुत जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न न किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री कुछ और जानकारी दे सकते हैं ?

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं मानता हूं कि कुछ विधानों के बारे में इस की गुंजाइश है और हम पूरी जानकारी देंगे । किन्तु कुछ और विषयों के सम्बन्ध में, सरकार के लिये सदा पूरी जानकारी देना सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्तिम समय पर हमें विधेयकों में कुछ नई चीजें सम्मिलित करनी पड़ती हैं । यदि जानकारी अभी दे दी जाये, तो माननीय सदस्य यह आपत्ति उठायेंगे कि चूंकि इसे विधेयक के आशय में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिये यह एक नई चीज है । इसलिये इस पर विचार नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक हो सके सारांश बहुत विस्तृत या लम्बा नहीं होना चाहिये, केवल इतना होना चाहिये जिस से कि अनुमान लगाया जा सके कि सरकार का क्या करने का विचार है । यदि संसद् कार्य मंत्री कुछ विधेयकों का सारांश दे सकते हैं, तो औरों का भी दे सकते हैं । सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि ३० या ४० विधेयक इसी सत्र में ही ले लिये जायेंगे । सरकार उन्हें इन पर विचार करने के लिये काफी समय देती है ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिए समय नियतन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति ने, जिस की बैठक कल शुरू हुई थी, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को निबटाने के लिये ५५ घंटे नियत किये हैं, जिन में कल का समय भी सम्मिलित है । यह समय विधेयक की तीन अवस्थाओं के लिये इस प्रकार बांटा जायेगा :—

१. विचार प्रस्ताव	१५ घंटे
२. खंडशः विचार	३५ "
३. तृतीय वाचन	५ "

अब मैं संसद् कार्य मंत्री से इस सम्बन्ध में औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहूंगा ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किये गये समय नियतन से, जिस की घोषणा अध्यक्ष ने आज की है, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार पुनः जारी करेंगे ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : ने विधेयक पर राय जानने के लिये परिचालित करने के और विधेयक को संयुक्त समिति को फिर से सौंपने के और विधेयक पर विचार स्थगित करने के तीन संशोधन प्रस्तुत किये ।

[**उपाध्यक्ष मवोदय** पीठासीन हुए]

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : कल मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि यह विधेयक फिर से संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये ताकि यह निश्चित तिथि से पहले प्रतिवेदित रूप में वापस आ जाये । इस सम्बन्ध पहली बात यह है कि यह कोई साधारण विधान नहीं है । यह एक अत्याधिक महत्वपूर्ण विधान है जिस का प्रभाव लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर पड़ता है । इसी कारण सदन ने संयुक्त समिति को सारी संहिता पर विचार करने और प्रवर समिति के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर अपनी राय देने का निदेश दिया था । संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ कठिनाइयों के कारण उस ने इन पर विचार नहीं किया । विमति टिप्पण संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों ने भी कहा है कि उन्हों ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे, जिस पर समिति ने विचार नहीं किया । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी यही शिकायत की है । इसीलिये मैं कहता हूं कि विधेयक फिर से संयुक्त समिति को सौंपा जाये । रिपोर्ट के पैरा ४ में कहा गया है कि समिति द्वारा विधेयक के सब उपबन्धों पर साक्ष्य नहीं लिया गया । माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि केवल श्रमजीवी पत्रकार संघ से साक्ष्य देने के लिये कहा गया था और वह भी विशिष्ट विषयों पर । अन्य किसी को नहीं कहा गया था । समिति ने कहा है कि उस ने विधेयक के सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रचार किया है और सब वर्गों के लोगों की राय प्राप्त की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सब 'वर्ग' कौन कौन से हैं ? स्वयं रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विधि-जीवी संघों और न्यायाधीशों की राय लो गयी थी । मैं पूछता हूं कि क्या केवल इन्हीं से परामर्श कर लेना काफी है ? क्या श्रमिक वर्ग की राय ली गई है ? क्या किसानों की राय ली गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ३६ करोड़ लोगों को इस विधेयक पर राय देने के लिये सूचना दी गई थी ।

श्री ए० के० गोपालन : विधेयक को केवल गजेट में प्रकाशित कर देने से लोग अपनी राय देने के लिये नहीं चले आयेंगे । लोगों को क्या मालूम कि गजेट में जो कि अंग्रेजी में होता है क्या छपा है ।

डा० काटजू : विधेयक को न केवल गजेट में प्रकाशित किया गया था बल्कि इस पर भाषण भी दिये गये थे और लोगों को आम निमंत्रण भी दिया गया था ।

श्री ए० के० गोपालन : देश में सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त और भी बहुत से राजनीतिक दल हैं और ये कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । क्या उन्हें अपनी राय देने के लिये कहा गया था ? क्या श्रमिक संघों किसान संघों और देश की अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को राय देने के लिये कहा गया था ? उन्हें इस विधेयक के बारे में बताना सरकार का कर्त्तव्य था और सरकार को उन लोगों का अनुभव भी प्राप्त करना चाहिये था जो न्यायालयों में जाते हैं और जिन्हें मुकद्दमेबाजी का ज्ञान है । वही लोग बता सकते हैं कि उन्हें क्या कठिनाइयां पेश आती हैं और प्रक्रिया संहिता के किन खंडों और धाराओं को बदलना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया की एक प्रणाली के बारे में है । इस लिये इस पर विचार करते समय यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि इस की सब धारायें प्रक्रिया के बारे में हैं या इस में कुछ ऐसी धारायें भी हैं जिन का प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसी धारायें १०७ से १०९ तक और धारा १४४ है । हमें यह देखना है कि इन धाराओं को दंड प्रक्रिया संहिता में कैसे सम्मिलित किया गया है । ये धारायें निवारक धारायें हैं, और संहिता के निर्माताओं ने इन्हें इसलिये रखा था क्योंकि वे लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं को दबाना चाहते थे और उन्हें परेशान करना चाहते थे ।

संविधान बनाने के पश्चात् सरकार को यह देखना चाहिये था कि आया दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई उपबन्ध तो नहीं है जो जनता को परेशान करने और स्वतन्त्रता आन्दोलन को दबाने के लिये विदेशियों द्वारा बनाया गया था, और जो अब संविधान में उपबन्धित मूल भूत अधिकारों के विपरीत है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा कई मामलों में निर्णय दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कई धारायें संविधान के कतिपय उपबन्धों का प्रतिवाद करती हैं । इन दोनों में प्रतिवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि विदेशियों का उद्देश्य जनता की नागरिक स्वाधीनता को छीनना और जनता को परेशान करना था । ऐसी स्थिति में सरकार को संविधान बनाने के बाद ही एक विधि आयोग नियुक्त कर देना चाहिये था जो दंड प्रक्रिया संहिता में अपेक्षित परिवर्तन करने की सिफारिश करता, और इस काम के लिये सात वर्ष का समय नहीं लगाना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पारित करते समय क्या सभा ने इन सब बातों का विचार नहीं किया था ?

श्री ए० के० गोपालन : संयुक्त समिति ने इन बातों पर विचार नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अभिप्राय विधि आयोग से है ।

श्री ए० के० गोपालन : विधि आयोग क्यों ? अब भी वे धारायें विद्यमान हैं, और हम उन्हें निकालने का विचार नहीं कर रहे हैं । यद्यपि कुछ सदस्यों ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे, किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने अवांछनीय धाराओं को निकाल देने अथवा उन में परिवर्तन करने आदि के विषय में कोई मत नहीं दिया है । जनता के लाभार्थ कई वर्ष पूर्व ही समस्त दंड प्रक्रिया संहिता

में परिवर्तन करने का विचार किया जा सकता था। इस समय कुछ एक धाराओं के सम्बन्ध में विधान बनाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता : प्रवर समिति सभा द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार इस पर विचार कर सकती थी, परन्तु संयुक्त समिति ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। समिति ने इस के कारण बताये हैं कि क्योंकि उस के पास जो संशोधन और सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, वे महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न करते हैं और उन के विषय में लोकमत जानना आवश्यक है। समिति ने सिफारिश की है कि लोक मत प्राप्त करने और एक वर्ष के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन करने वाला दूसरा विधेयक लाने के लिये ये सब संशोधन सरकार को सौंप दिये जाने चाहियें। यदि प्रवर समिति द्वारा मत प्रकट न करने का कारण समय का अभाव, या संशोधनों का महत्वपूर्ण होना या उन के विषय में लोकमत जानना है तो और भी कई ऐसे संशोधन हैं, जिन के सम्बन्ध में लोकमत प्राप्त किया जाना चाहिये। एक संशोधन यह है कि विधि आयोग की नियुक्ति तक इस विधेयक पर विचार न किया जाय, और श्री ठाकुर दास भार्गव ने भी अपने तीन संशोधनों के विषय लोकमत प्राप्त करने की मांग की है प्रवर समिति द्वारा यह कार्य नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि धारा १०७ और १०९ बहुत महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इन के विषय में भी कोई मत नहीं दिया गया है। धारा १०९ का उदगम यह है कि ट्यूडरों के शासन काल में भूमिहीन किसान बहुत अधिक संख्या में थे, जो काम धंधों के लिये मारे मारे घूमते थे। उसी समय देश में पूंजीपति लोगों को अपने कारखानों में काम करवाने के लिये आदमियों की आवश्यकता थी। पुलिस उन्हें पकड़ लेती थी। उन्हें गिरफ्तार कर के उन पर मुकद्दमा चलाया जाता था। पूंजीपति उन के भरणपोषण का भार अपने ऊपर ले कर उन्हें अपने कारखानों में काम पर लगा देते थे। यह धारा जो पुलिस को जीविका विहीन व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है विधि में नहीं रहनी चाहिये। इसी धारा के अधीन, मुझे और हम में से कई एक अन्य व्यक्तियों को अंग्रेजों के शासन काल में गिरफ्तार किया गया था। यह धारा इसलिये रखी गयी थी, कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिये कोई संगठन तैयार हो और यदि कोई संगठन तैयार हो तो उसे दबा दिया जाये। इसलिये इस की पूरी जांच होनी चाहिये कि इस धारा का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।

धारा १०७ के अधीन अधिकारी सतारा के किसानों के सम्बन्ध में कह सकते हैं कि उन के पास भूमि नहीं रहनी चाहिये। उन की भूमि चीनी की फैक्टरियों द्वारा ले ली गई, और उन के द्वारा भूमि वापस मांगने पर उन्हें गिरफ्तार कर के ३० मील दूर ले जाया गया और उन के विरुद्ध अभियोग चलाया गया। बेचारे किसानों को अपने प्रतिवाद के लिये ३० मील चल कर न्यायालय में पहुंचना पड़ता था। जब कोई काम देश की भलाई के लिये किया है, तो यह जताने के लिये कि वह काम नहीं किया गया, इन धाराओं को प्रयोग में लाया जाता है। मलाबार जिले के कुरुंवरनाद तालुका में कुठाड़ी जागीर है, जहां किसी व्यक्ति की २०,००० एकड़ उर्वरा भूमि है। उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् कोई दूसरा उत्तराधिकारी न होने की अवस्था में, वह भूमि सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। वहां पर पिछले एक साल से लगातार आन्दोलन हो रहा है कि भूमि किसानों को दी जानी चाहिये अब धारा १०९ के अधीन १५ या २० व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जब लोग अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं तो इस धारा का प्रयोग किया जाता है। सरकार का यह कर्तव्य है कि

[श्री ए० के० गोपालन]

इस की जांच करे और इन बातों की ओर ध्यान दे। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

धारा १४४ का भी दुरुपयोग किया जाता है। सन् १९५२ में प्रथम सामान्य निर्वाचनों के समय मुझे इसी धारा के अधीन त्रावनकोर-कोचीन में आम सभा में बोलने या प्रेस सम्मेलन में बोलने अथवा पांच दस व्यक्तियों से बातचीत करने से रोक दिया गया। जब मैं आल्लप्पि में था तो पी० टी० आई० के एक संवाददाता मुझ से बात करने लगे, तो पुलिस इंस्पैक्टर ने मुझे इसी धारा के अधीन बात करने को मना किया। इस धारा के अधीन इतनी अधिक पाबंदियां लगाई हुई हैं। भला प्रैस सम्मेलन से शान्ति कैसे भंग हो सकती है। दोषी को न्यायालय में जा कर अपना बचाव करना पड़ता है और दंडाधिकारी यह निर्णय करते हैं कि क्या उस व्यक्ति के उस कृत्य से शान्ति भंग होती थी या नहीं।

बम्बई के थाना केस में ६५ व्यक्तियों को केवल इसी कारण गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकद्दमा चलाया गया था वे एक जलूस निकाल रहे थे, जब कि संविधान में उपबन्धित मूलभूत अधिकारों के द्वारा निश्शस्त्र लोग शान्तिपूर्वक एकत्रित हो सकते हैं और संस्था बना सकते हैं। यह कृत्य संविधानिक है या नहीं, न्यायाधीश ने यह जानने की अपेक्षा सरकार से यह पूछा कि उन को क्यों न छोड़ दिया जाये। संविधान ने जिन कामों को करने की अनुमति दे रखी है, वे भी इस धारा के अधीन रोके जा सकते हैं। इस से छटकारा पाने का केवल मात्र यही उपाय है कि न्यायालय के सामने उन आदेशों को अवैध सिद्ध किया जाये। इस धारा के अधीन तो मजदूरों या किसानों को शान्तिपूर्वक मिल कर बैठने, या आन्दोलन करने भी नहीं दिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह प्रवर समिति को हिदायत दी गई थी कि यदि संभव हो तो वह समस्त संहिता पर विचार करें। परन्तु बहुत से सभासद कई धाराओं को बुरा और असमयोचित बताते हैं इसलिये प्रवर समिति ने इन को दूसरे संशोधनात्मक विधेयक के लिये उपयुक्त विषय समझ कर छोड़ दिया है। अतः धारा १०९ और १४४ का यहीं उल्लेख अनावश्यक प्रतीत होता है। निस्सन्देह इन धाराओं के बारे में अनेक आपत्तियां हैं, एरन्तु प्रश्न यह है कि क्या इसे समय संविधि पुस्तक में जोड़ा जाये, या प्रवर समिति को इन की जांच करने को पुनः कहा जाये। इस विधि की अविलम्बनीयता के कारण इसे भविष्य के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। अतः इन सब उदाहरणों का उल्लेख अनावश्यक है। सीधी सी बात है कि क्या इन मामलों को प्रवर समिति को पुनः सौंपा जाये या इन्हें भविष्य के लिये रख लिया जाये।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : यदि हम इस विधेयक की अविलम्बनीयता पर सन्देह करते हैं तो हमें अवश्य ही इस विधेयक की विभिन्न धाराओं के दुरुपयोग को देखते हुए, समस्त मामले पर नये विषय पर विचार किये जाने की प्रार्थना करने का अधिकार है, क्योंकि प्रवर समिति ने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये तो मैं ने धारा १०९ और १४४ के उल्लेख की अनुमति दे दी थी। परन्तु परिवर्तन योग्य या उन्मूलन की जाने वाली धाराओं का उल्लेख इस संशोधन के अन्तर्गत नहीं आता, और जिन धाराओं पर विचार नहीं किया गया, वे अब चर्चा का विषय नहीं बन सकतीं।

श्री के० के० बसु : यदि हम कुछ धाराओं का महत्व इन संशोधित की जाने वाली

धाराओं से अधिक सिद्ध कर सकें, तो अपनी बात की पुष्टि में स्वभावतः हमें दूसरी धाराओं का उल्लेख करना पड़ता है ।

श्री ए० के० गोपालन : धारा १०९ और १४४ का मेरे विरुद्ध प्रयोग किया गया है और मुझे प्रैस सम्मेलन में बोलने से रोका गया । इसी कारण मैं ने इन घटनाओं का उल्लेख किया है । अतः मैं कहता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को पुनः सौंपा जाये ।

जबकि इन धाराओं का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है, संयुक्त समिति ने इन बातों पर विचार क्यों नहीं किया । यदि आप इन को रद्द नहीं करना चाहते, तो संयुक्त समिति का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस बात की जांच करे, कि इन धाराओं का कहां तक दुरुपयोग किया गया है, और इन के दुरुपयोग को रोकने के लिये आवश्यक रक्षा कवचों का सुझाव दे । मैं अब केवल एक ही उदाहरण दूंगा ।

मानों संसद के किसी अधिनियम के उल्लंघन से कोई फैक्टरी बन्द हो जाती है और औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम उस के कर्मचारियों को कुछ सुविधायें देने का उपबन्ध करता है । यदि पूंजीपति किसी दिन ताला बन्दी कर देता है, तो इसे जनता के सामने लाने का एकमेव उपाय शान्तिपूर्ण आन्दोलन ही तो है इस प्रकार का आन्दोलन भी धारा १०९ और १४४ के अन्तर्गत ले लिया जाता है, जो देश के लिये अहितकर है । प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने की बात करता है और किसान तथा मजदूर उत्पादन करने को उद्यत हैं, परन्तु उन्हें न तो भूमि मिलती है और न कारोबार मिलता है । इसलिये संहिता में जो उपबन्ध प्रक्रिया के वेष में हैं, उन को संहिता में स्थान नहीं मिलना चाहिये । ब्रिटिश सरकार ने लोगों की नागरिक स्वाधीनता को कुचलने के लिये यह उपबन्ध बनाया था और हम सब उनके प्रयोग से परिचित हैं । संयुक्त समिति को उन पर ठीक ढंग से विचार करना चाहिये था । इसी कारण इस बात से देश की अधिकतर जनता परेशान है ।

गृह कार्य मंत्री इस विधेयक का उद्देश्य यह बताते हैं कि शीघ्र परीक्षण होना चाहिये । शीघ्र परीक्षण न होने का एक कारण यह है कि दंडाधिकारी कम हैं, और दूसरा यह कि उन को कार्यपालिका और न्यायिक दोनों काम करने पड़ते हैं और मंत्री आदि के पहुंचने पर भी उन्हें उपस्थित होना पड़ता है । इस लिये शीघ्र परीक्षण के लिये यह आवश्यक है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों शीघ्र ही पृथक कर दी जायें ।

दूसरा कारण मामलों की जांच में होने वाला विलंब हैं, और इस के लिये अनुभवी व्यक्तियों की कमी बताइ जाती है । त्रावनकोर-कोचीन में जांच पूरी होने के पहले २५ में से पांच व्यक्ति जेल में ही मर गये । इस के बाद कुछ अभियुक्त छोड़ दिये गये । एडापल्ली केस में भी तीन वर्ष लगे थे, जिस में अभियुक्तों में से एक व्यक्ति मर गया था और पचास व्यक्ति छोड़ दिये गये थे । इन पचास व्यक्तियों को साढ़े तीन साल जेल में रहना पड़ा । तीसरा उपाय यह है कि इन मामलों में कालावधि निश्चित कर दी जानी चाहिये, कि इतने समय के अन्तर्गत मामला समाप्त होना ही चाहिये । एसा उपबन्ध करने से विलंब रोका जा सकता है ।

दूसरी बात यह है कि यह न्याय शास्त्र के तीनों सिद्धान्तों के विरुद्ध है । न्यायशास्त्र के अनुसार, कोई अभियुक्त, जब तक कि उसे दोषी सिद्ध न किया जाये, निर्दोष समझा जाता

[श्री ए० के० गोपालन]

है, परन्तु गृह कार्य मंत्री गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पहले ही दोषी मान लेते हैं। (अन्तर्बाधा)।

डा० काटजू : मैं ने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री ए० के० गोपालन : गृह कार्य मंत्री ने यदि ये शब्द नहीं भी कहे, तो भी उन का आशय यही था। वह सदा यही कहा करते हैं कि इतने व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं। मानो आदमियों को जेल से छोड़ना बड़ा अपराध है। कल के भाषण में कहा गया है कि इतने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और अधिक व्यक्ति छोड़ दिये गये थे। मैं कहता हूं कि इस विधेयक की क्या आवश्यकता है? जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसे अपराधी समझा जाये और शीघ्र निरीक्षण किया जाये। मंत्री महोदय यही बात तो कहते हैं। यह बात न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के सर्वथा विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सहमत दिखाई देते हैं। वह चाहते हैं कि ५० प्रतिशत मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिये और शेष को छोड़ देना चाहिये।

श्री ए० के० गोपालन : जहां भी न्यायपालिका कार्य पालिका से पृथक होगी, वहां शीघ्रता से परीक्षण कार्य होगा इस का मैं विरोधी नहीं हूं। गृह कार्य मंत्री का यह कथन है कि क्योंकि ५०,००० लोग विमुक्त हो जाते हैं, इसलिये शीघ्रता से परीक्षण कार्य होना चाहिये। मैं इस का विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि अभियुक्त कोई भी बात कहने के लिये बाध्य नहीं है, और अभियोजन पक्ष उसे सिद्ध करने के लिये बाध्य है। मानहानि के प्रश्न पर बोलते हुए गृह कार्य मंत्री ने भी कहा था "हम जानते हैं कि अनेकों कारणों से वे जन सेवक जिन की मान हानि हुई हो और मंत्रीगण भी किसी न्यायालय में जा कर अपनी व्यक्तिगत शिकायत नहीं रखना चाहते .....।" मंत्रियों को भी न्यायालय में जा कर अपनी शिकायत रखनी चाहिये कि उन की मानहानि हुई है, तभी तो जनता को विश्वास होगा। न्यायालय में यह नहीं देखना है कि कोई युक्तियां कैसी देता है, अपितु यह देखना है कि परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के समय वह कैसे व्यवहार करता है और प्रतिक्रिया-स्वरूप किस प्रकार से उस का चेहरा फीका पड़ता है अथवा नहीं। अतः किसी भी जनसेवक अथवा मंत्री यायालय म ही आकर अपने आप को निर्दोषी सिद्ध करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि एक साधारण मनुष्य की मान हानि म और किसी अधिकारी अथवा मंत्री की मानहानि में भेद भाव क्यों हो? जब कोई समाचार पत्र किसी व्यक्ति के विषय में कुछ लिखता हैं तो उसे न्यायालय में जा कर इस का उत्तर देना पड़ता है। परन्तु यहां अद्भुत बात है। जो मंत्री या राज्यधिकारी किसी अभियोग में अन्तर्ग्रस्त है वह स्वयं तो घर में बैठा हुआ लोक-अभियोजक को सूचित कर देता है और वही उस के मामले का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु वह मंत्री भी तो एक व्यक्ति है तो फिर उस मंत्री अथवा सरकारी कर्मचारियों और साधारण जनता में इतना भेद-भाव क्यों हो?

कल यह प्रश्न पूछा गया था कि पत्रकारों के मन भयभीत कैसे होंगे, लोगों के मन भयभीत कसे होंगे? और वह सम्मुख कैसे आयगे? दण्डिक प्रक्रिया-संहिता के असंशोधित रूप के अनुसार तो कोई भी आदमी चाहे मंत्री भी क्यों न हो, पहले स्वयं सामने

आयेगा, तब वह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलायेगा । जिस के विषय में वह समझता है कि उस ने उस के प्रति कोई अपराध किया है । यदि उस के अपने मन में कोई पाप या दोष होगा तो वह सामने ही नहीं आयेगा ।

अब यह एक ऐसा संशोधन किया गया है जिस के अनुसार किसी जन सेवक अथवा मंत्री को न्यायालय में स्वयं आने की कोई आवश्यकता नहीं ? उस का प्रतिपरीक्षण नहीं किया जायेगा । प्राचीन धारा तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिये थी । परन्तु अब तो बिल्कुल विभिन्न बात है । अतः यह धारा १९८ की समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर आघात है । अतएव यह धारा नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक कुछ अन्य धाराओं का सम्बन्ध है, मेरा तो सर्वप्रथम सुझाव यह है कि अपराधी को ऐसा अवसर देना चाहिये कि वह कारागार में अधिक समय तक न रहे । जहां तक जमानत का सम्बन्ध है, ६० दिनों की अवधि का उपबन्ध किया गया है । यदि अभियोजन-साक्ष्य इस समय में समाप्त न हो सके तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जायगा । किन्तु यदि बहुत समय तक वह साक्ष्य लिया ही न गया तो जमानत न हो सकेगी । इस परिवर्तन के अनुसार साक्ष्य लेने के साठ दिन बाद जमानत होगी । और इस अवधि में यदि साक्ष्य समाप्त न होगी तो जमानत नहीं होगी । यह परिवर्तन जनहित के अनुकूल सिद्ध नहीं होगा ।

अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक के विशेष लक्षण कौन कौन से हैं । जहां तक मैं समझता हूं इस में अभियोजक को अभियुक्त की अपेक्षा अधिक सुविधाय प्रदान की गई है ।

द्वितीय विशेषता यह है कि दंड प्रक्रिया के अनुसार तो तीन प्रकार के परीक्षण हैं । परन्तु २०४ तथा २०७ धाराओं के संशोधन के अनुसार केवल संक्षेपतः परीक्षण को ही लिया गया है, और इसे विस्तृत कर के दण्ड बढ़ा दिये गये हैं ।

और समन परीक्षण का भी विस्तार किया गया है । वास्तव में तो समन परीक्षण और वारन्ट परीक्षण में अन्तर है । परन्तु अब समन परीक्षण को भी छैः मास के दण्ड की अपेक्षा एक वर्ष के दण्ड के अपराध तक बढ़ा दिया गया है । अब तक तो १०८ से ११० तक धाराओं को वारन्ट परीक्षण के रूप में ही लिया जाता रहा है, किन्तु अब उन्हें समन परीक्षण लागू कर दिया गया है ।

कुछ और धाराएं भी हैं जिनमें मैं अभी जाना नहीं चाहता । परन्तु जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है ये शीघ्र-परीक्षण में सहायता नहीं करते अपितु जनता के कुछेक विशेष अधिकारों को अवश्य छीन लेते हैं । इसके अतिरिक्त वारंट प्रक्रिया और समन प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है और अभियुक्त को प्राप्त सभी सुविधाओं को छीन लिया गया है ।

यह तो पुलिस राज्य की ओर एक कदम होगा क्योंकि १०७, १०८, तथा १४४ धाराओं को स्पर्श भी नहीं किया गया है । ये सभी धाराएं दमनकारी हैं और इन्हें ज्यों का त्यों ही रखा गया है ।

इस विधेयक को फिर से प्रवर समिति के पास भेजा जाय, अथवा मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन से सहमत हूं कि इस पर जनमत प्राप्त किया जाये, अथवा इसे विधि-आयोग के निर्णयों तक स्थगित किया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : पूर्व इसके कि मैं विधेयक के उपबन्धों पर

[श्री एस० एस० मोरे]

जिस रूप में वे प्रवर समिति से प्राप्त हुए हैं, अपनी आलोचना प्रारम्भ करूं मैं आपका ध्यान एक अत्यावश्यक बात की ओर लाना चाहता हूं, और वह यह है कि मैंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ एक लम्बा सा विमति-टिप्पण सलंग्न किया था। परन्तु यह दुःख की बात है कि प्रवर समिति के सभापति ने मेरे विमति-टिप्पण के कुछ भागों को काट दिया है। अस्तु मैं इस प्रश्न को तो विशेष अधिकार के मामले के रूप में बाद में लूंगा।

जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता का सम्बन्ध है, हमें यह अनुभव करना चाहिए कि प्रक्रिया संहिता का यह संशोधन हमारे देश के लिए एक अत्यन्त महत्व का विषय है। अंग्रेजों ने तो इस दण्ड प्रक्रिया संहिता को भारतीयों के दमन के लिए लागू किया था। सन् १७९३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ऐसा अनुभव किया था कि भारतीयों पर राज्य चलाना और उन पर नियन्त्रण रखना कठिन हो रहा है। अतः उन्हें भारतीयों के दमन के लिए दण्डाधिकारियों और ऐसे ही निवारक उपबन्धों की आवश्यकता थी। अतः उस समय रची गई दंड प्रक्रिया संहिता का दृष्टिकोण, इंग्लैण्ड की दंड प्रक्रिया-संहिता के दृष्टिकोण से भिन्न था। इंग्लैण्ड में इस दण्ड प्रक्रिया संहिता की रचना इस दृष्टि कोण से की गई थी कि सबके साथ न्याय किया जाये। परन्तु भारत में ऐसी सहानुभूति वास्तविक रूप में नहीं दिखाई गई।

उदाहरणार्थ भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्ध ही लीजिए, जैसे कि धारा १२४ राज्य-द्रोह तथा अन्य धाराएं हैं। इसके अनुसार प्रत्येक देशभक्त अथवा राजनीतिक आन्दोलनकर्ता को अपने आपको निर्दोष सिद्ध करना पड़ता था। जो कि बहुत कठिन था इसीलिए महात्मा गांधी आदि प्रारम्भ से इसके विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। परन्तु आज जबकि हम स्वतन्त्र हो चुके हैं हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अतः हमें इस प्रश्न पर अधिक प्रजातन्त्रात्मक ढंग से और अधिक न्याय करने के दृष्टिकोण से विचार करना है। वैसे तो मैं इस सिद्धान्त की पूर्णतया सराहना करता हूं कि परीक्षण शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। परन्तु प्रश्न तो यह है कि यह गति प्राप्त कैसे हो ?

उच्चतम न्यायाधिकरण से सम्बन्ध रखने वाले सभी न्यायाधीश तथा उनके साथ ही मुख्य न्यायाधिपति भी इस बात पर एकमत हैं कि दोष वास्तव में प्रक्रिया का नहीं है जितना कि उस व्यवस्था का है जिसके द्वारा इस प्रक्रिया को कार्यान्वित किया जाता है और जो वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा प्रारम्भ की गई थी।

यही तो मतभेद है। हम चाहते हैं कि दंड न्याय के लिए एक नयी प्रक्रिया, नया दृष्टिकोण हो। प्राचीन व्यवस्था तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन करने के लिए ही चलाई गई थी। अतः आज के प्रजातन्त्र के युग में वह प्रणाली नहीं चल सकती।

अतः यह उचित उपाय नहीं है जिससे इन उच्च आदर्शों वाले सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जा सके। हम शीघ्र परीक्षण चाहते हैं परन्तु इस विलम्ब का उत्तरदायी कौन है ? मैं बिना कुछ अधिक कहे केवल डा० काटजू द्वारा निर्देशित बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं।

अब जहां तक अभियोजन का सम्बन्ध है अभियोजक शिकायत लेकर पहले पुलिस के पास जाता है। वे जांच करने में देर लगा

देते हैं क्योंकि हमारे पास इन सूक्ष्मजाति सूक्ष्म जांचों के योग्य शिक्षित पुलिस अधिकारी नहीं हैं। और हमारी पुलिस भ्रष्टाचार में ग्रस्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सामान्य तथा सारी पुलिस व्यवस्था पर ही दोषारोपण नहीं करना चाहिए।

श्री एस० एस० मोरे : मैं तो केवल प्रणाली के विषय में कह रहा हूं। मैं किसी विशेष व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका अभिप्राय यह है कि बिना पुलिस के भी राज्य चल सकता है ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं यह नहीं कहना चाहता कि पुलिस हो ही ना, परन्तु वह वास्तव में हमारी संरक्षक बन सके।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहते हुए कि पुलिस भ्रष्ट है, दण्ड प्रशासन भ्रष्ट है और सभी कुछ भ्रष्ट है, इस सम्पूर्ण व्यवस्था पर दोषारोपण करने का कोई अर्थ नहीं। हो सकता है कि पुलिस की बहुसंख्या भ्रष्ट हो, परन्तु उसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन ही भ्रष्ट है।

श्री एस० एस० मोरे : आपकी अनुज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं यह दोषारोपण करता हूं तो मैं कांग्रेस द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों पर ही विश्वास करके ऐसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन दिनों में ?

श्री एस० एस० मोरे : जी हां, आज कांग्रेस राज्य के अन्तर्गत काम करने वाली सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था, अंग्रेज़ी-अधिकारी राज्य से दाय भाग के रूप में प्राप्त की हुई है। अतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करते समय कांग्रेस के द्वारा पारित किए प्रस्तावों का महत्व आज केवल कांग्रेस राज्य के होने से समाप्त नहीं हो जाता।

अपने विमति टिप्पण में मैंने स्वर्गीय श्री गोखले जी को उद्धृत किया था। उन्होंने अतिवादी होते हुए भी बड़े बलपूर्वक यह कहा था कि पुलिस इस प्रकार की नहीं है जैसी हम चाहते हैं। इसके हाथ में शक्ति देना तो अत्यधिक आपत्तिजनक होगा। क्योंकि अधिक महत्व विधि का नहीं अपितु उस यंत्र अथवा साधन का है जो कि उसे कार्यान्वित करता है। **(अन्तर्बाधा)**

डा० काटजू ने एक ज्ञापन वितरित किया है जिसमें डा० काटजू ने स्वयं वर्णित किया है कि जनता पुलिस से भयभीत है और पुलिस जांच अपेक्षित प्रकार की नहीं और न ही अविलम्बकारी है। मैं तो केवल उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं।

अब दण्डाधिकारियों के विषय में यह मेरा अनुभव है और आपका भी यही अनुभव होगा कि वे कभी भी न्यायालयों में उचित समय पर नहीं पहुंचते। वे ११ के स्थान पर २ बजे न्यायालय में प्रकट होते हैं। उन्हें ११ बजे से ५ बजे तक वैसे ही न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए जैसे कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि अधिकतर उन्हें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों विभागों के उत्तरदायित्व सम्भालने पड़ते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं तो बम्बई प्रांत की बात करता हूं जहां पर कार्यपालिका न्यायपालिका से पूर्णरूपेण पृथक् है। परन्तु वहां भी यही कठिनाई है।

अब मैं इन विभागों के पृथकीकरण के प्रश्न पर आता हूं। यदि आप वास्तव में

[श्री एस० एस० मोरे]

शीघ्रगतिपूर्ण परीक्षण चाहते हैं, और उचित न्याय करना चाहते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल पृथक् रखना ही वास्तव में दण्ड विधियों के हमारे सुधारों का सर्वप्रथम पद है। 'कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस करेगी' इस प्रकार की घोषणाएं तो अंग्रेज़ भी करते रहते थे। अतः केवल घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित क्यों नहीं किया जाता ?

उदाहरण के तौर पर दण्ड प्रक्रिया-संहिता की १७वीं धारा लीजिए। इसके अनुसार दण्डाधिकारी ज़िलाधीश के अधीन हों। यदि इसे संशोधित करके दण्डाधिकारियों को उच्च न्यायालयों के अधीन कर दिया जाय तो आकाश पाताल का अन्तर आ जाए।

इसीलिए मैं तो यह कह रहा था कि पुलिस तथा दण्डाधिकारी ही वास्तव में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं।

बम्बई प्रान्त में मद्य निषेध की व्यवस्था लागू है। परन्तु मद्य निषेध के मामलों में उपस्थित होने वाले साक्षी स्वयं भ्रष्ट होते हैं। वे स्वयं सुनवाई के प्रथम दिवस पर न्यायालय से अनुपस्थित रहते हैं, और प्रत्येक कार्य को अनियमित रूप से करते हैं। और इसके परिणामस्वरूप न्यायालय की बैठक स्थगित कर देनी पड़ती है। यही तो कारण है कि न्याय करने में विलम्ब हो जाता है। अतः दण्ड विधि के पूर्ण रूपेण सुधार की आवश्यकता है।

जहां तक दण्ड प्रशासन का सम्बन्ध है, भारतीय दण्ड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ भागों तथा कुछ अन्य अधिनियमों की जोकि विभिन्न प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित हैं, जांच करनी होगी। परन्तु ऐसा करने का साधन क्या है ? दंड प्रक्रिया संहिता को आंशिक रूप में संशोधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। परन्तु इस को प्रवर समिति के स्थान पर किसी विधि आयोग के पास क्यों न भेजा जाये ?

इस ज्ञापन के उत्तर में विभिन्न न्यायालयों तथा राज्याधिकारियों ने कहा है कि एक भारतीय विधि आयोग निश्चित किया जाय। अंग्रेजों ने भी ऐसे कार्यों के लिए सन् १८३०, १८५० तथा १८६० में विधि आयोग नियुक्त किए थे।

अखिल भारतीय विधि आयोग नियुक्त करने की मांग का अत्यधिक समर्थन किया गया है। वांचू समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारतीय विधि आयोग नियुकत किया जाये। पश्चिमी बंगाल और बिहार सरकारों, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, बम्बई सरकार व बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मैसूर सरकार ने इसका समर्थन किया है। केवल मद्रास तथा मध्यभारत सरकारों ने इसके विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है। प्रमुख व्यक्तियों द्वारा जो इस आयोग के सदस्य होंगे समस्त दण्ड विधि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। नहीं तो आतंक तथा गड़बड़ फैल जायेगी।

क्या अपराधों का वर्गीकरण उचित है ? सम्पत्ति सम्बन्धी और राज्य, कार्यपालिका समिति तथा सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध अपराधों को ही लीजिये। इंग्लैण्ड में यह वर्गीकरण किसी और ही सिद्धान्त पर आधारित है। वहां सम्मन तथा वारंट केस नहीं होते।

अत्यन्त आवश्यक सुधारों में तो एक कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। सत्तारूढ़ दल सदा इसका प्रचार करता रहा है। न जाने अब इसे कार्यान्वित करने में उसे क्यों संकोच होता है।

वर्तमान विधेयक के बारे में मैं कहता हूं कि १८९८ की दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने की बजाये क्यों न हम नया विधेयक लायें।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि आयोग, की नियुक्ति न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने और नया विधेयक लाने के प्रस्ताव पहले किये जा सकते थे। अब तो विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास से भी लौट आया है। अब हम केवल इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति ने विषय पर किस तरीके से पुनर्विचार किया, विधेयक पुनः संयुक्त प्रवर समिति को सौंपना और इसके क्या कारण हैं और यह कि कुछ संशोधन जो किये जाने चाहियें थे नहीं किये गये।

श्री एस० एस० मोरे : आपने जो कहा मैं उसे स्वीकार करता हूं। परन्तु मैं यह कहन चाहता हूं कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपते समय उन्हें इसकी किसी भी धारा का संशोधन करने की खुली छूट दी गई थी। विधेयक को पुनः प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया जा चुका है। आशा है कि मैं इसके कारण बता सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि आयोग का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : क्या मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत संशोधन संख्या ३२ की ओर दिला सकता हूं जिस में उल्लिखित है कि जब तक सरकार विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में निश्चय नहीं करती तब तक संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी यह निर्णय नहीं हुआ कि यह नियमानुसार है अथवा नहीं, हो सकता है कि मैं इसे विलम्बकारी ही समझूं।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन है कि सारी दण्ड प्रक्रिया संहिता को नये सिरे से बनाया जाये और उसका नाम १९५४ की दण्ड संहिता रखा जाये।

पहले पहल १८६१ में साम्राज्य परिषद् ने दण्ड प्रक्रिया संहिता का संचय किया। दस वर्ष पश्चात् १८७२ की एक अलग प्रक्रिया संहिता बन गई। फिर दस वर्ष पश्चात्, १८८२ में संविधि पुस्तक पर एक और संहिता आ गई।

फिर १८९८ में संहिता बनाई गई जिसमें कई संशोधन किये जा चुके हैं। इस में से ४४ धाराओं का निर्सन किया जा चुका है। ४५ नई धारायें जोड़ी जा चुकी हैं। इन्हें निरन्तर करने के लिये और सब धाराओं को ठीक क्रम में करने के लिये भी इसे फिर से बनाना आवश्यक है।

प्रवर समिति ने कुछ प्रशंसनीय परिवर्तन किये हैं। उदाहरणतः धारा १७३ का संशोधन ही लीजिए इसके अनुसार अभियुक्त को इतने लेख्य उपलब्ध किये जायेंगे जिन से उसे अपने ऊपर लगाये गये अभियोगों का पता लगेगा। परन्तु यही काफी नहीं है।

एक और प्रशंसनीय बात यह है कि पहले द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के दण्डाधीशों की अपीलें ज़िला दण्डाधीशों को की जाती थीं। इससे अभियुक्त के साथ न्याय नहीं होता था। श्री एफ० स्टीफन को, जो १८७२ में विधेयक के प्रभारी थे, यह स्वीकार करना पड़ा कि ज़िला दण्डाधीश वास्तव में ज़िला का गवर्नर था। परन्तु सौभाग्यवश डा० काटजू ने बड़ी अच्छी बात की है कि अब सब श्रेणियों में दण्डाधीशों के निर्णयों पर सब अपीलें सब न्यायाधीश को भेजी जायेंगी जिनसे हम न्याय की आशा कर सकते हैं।

सब दण्डाधीशों ने कुछ शक्तियां प्राप्त की हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के

[श्री एस० एस० मोरे]

दण्डाधीशों की जुर्माना करने की शक्ति बढ़ा दी गई हैं। सहायक सत्र न्यायाधीश ने भी अधिक शक्तियां अर्जित कर ली हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें प्रजा में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिये कि जो मशीनरी हम तैयार कर रहे हैं उस से बिना भेद भाव के न्याय किया जायेगा। केवल बम्बई, मद्रास और सौराष्ट्र में न्यायपालिक को कार्यपालिका से अलग किया गया है...

एक माननीय सदस्य : हैदराबाद में भी।

एक माननीय सदस्य : बिहार में भी।

श्री एस० एस० मोरे : श्री काटजू अनुभव करते हैं कि अधिक लोगों को विमुक्त कर दिया जाता है। परन्तु हमें उन्हें राज्यों के प्रतिवेदनों से यह आंकड़े लेकर देने की प्रार्थना हमने प्रवर समिति में की थी। परन्तु उन्होंने ये नहीं दिये। बम्बई और उत्तर प्रदेश राज्यों के असैनिक तथा दण्ड विधि प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदनों को देख कर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि दोष सिद्धियों की प्रतिशतता ९८.७ है। दोष सिद्धियों की संख्या ३४६३ है और केवल ४४ लोग रिहा किये गये।

डा० काटजू : ४४ प्रतिशत या केवल ४४ ?

श्री एस० एस० मोरे : केवल ४४ और उत्तर प्रदेश में दोषसिद्धियों की प्रतिशतता ४६ प्रतिशत है।

डा० काटजू : ४६ प्रतिशत दोष सिद्धियां और ५४ प्रतिशत विमुक्तियां ?

श्री एस० एस० मोरे : अवैतनिक दण्डाधीशों ने ६०४८० केसों में से ३३८०९ को दोष-सिद्ध किया। और डा० काटजू उत्तर-प्रदेश के प्रशासन की सदा प्रशंसा करते रहे हैं।

डा० काटजू : मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, जो बातें मैंने नहीं कहीं वे आप न करें। इससे आपका तर्क नष्ट होता है कि दण्डाधीश पुलिस के हाथ में है।

श्री एस० एस० मोरे : अधिक विमुक्तियों पर डा० काटजू को इतनी आपत्ति क्यों है ? और फिर इन विमुक्तियों का उत्तरदायित्व किस पर है ? कई उच्च न्यायालय यह कह चुके हैं कि पुलिस ठीक जांच नहीं करती और केस में जो त्रुटियां रह जाती हैं उन से लाभ उठा कर लोग रिहाई पाते हैं। जितने लोगों पर पुलिस अभियोग लगाती है उन सबके बारे में यह पूर्वधारणा नहीं बनाई जा सकती कि वे अपराधी है। कार्य के शीघ्र निबटाने को तो मैं स्वीकार करता हूं पर इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्दोष लोगों को दण्ड मिले। इसलिये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति जस्टिस महाजन के कथनानुसार प्रक्रिया संहिता का नहीं बल्कि मशीनरी का दोष है। सम्मन और वारंट केस की प्रक्रिया बदली जा रही है और परीक्षण और समापन प्रक्रिया की गति कम की जा रही है। सम्मन केस की प्रक्रिया का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। निजी केसों और पुलिस केसों की दो प्रक्रियायें कर दी गई हैं जो पहले एक ही थी। और निजी शिकायत के अभियुक्त की तुलना में पुलिस द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को बड़ी असुविधा होगी। मैं इस पक्ष में नहीं कि अभियुक्त को अभियोग पक्ष के साक्षियों के प्रति परीक्षण के तीन अवसर दिये जायें। उसमें कुछ कमी की जानी चाहिये। पुलिस द्वारा चलाये जाने पर एक वारण्ट केस की स्थिति सम्मन केस की सी रह गई है अभियोग पक्ष के साक्षी का परीक्षण होता है। उसी समय उसका प्रतिपरीक्षण व पुनर्परीक्षण हो जाता है। यदि बाद के किसी साक्षी से कोई प्रमाण

मिलता है तो और जानकारी के लिये पहले साक्षी को पुनः नहीं बुलाया जा सकता। दण्डाधीश के स्वविवेक पर यह बात छोड़ देनी चाहिये कि यदि न्याय के लिये वह आवश्यक समझे तो वह किसी साक्षी को पुनः बुला सके। मूल विधेयक के उपबन्ध को ही रखना चाहिये क्योंकि वारंट केस बड़े गम्भीर होते हैं।

समर्पण प्रक्रिया सम्बन्धी मूल उपबन्ध प्रतिक्रियात्मक उपबन्धों से बहुत कठोर बन गये हैं। उनमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं परन्तु वे काफ़ी नहीं हैं। अनावश्यक साक्षियों का चाहे परीक्षण न किया जाये परन्तु महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान अभियुक्त के सामने लिखना ही काफी नहीं है। छोटी-सी सुविधा जो अभियुक्त को दी गई है वह यह है कि जब दण्डाधीश साक्षी का बयान लेता रहेगा उस समय अभियुक्त को वहां उपस्थित रह सकने का अधिकार होगा। आप सभी लोग इस बात पर गौर करें कि यह बयान लेने के समय के सम्बन्ध में कहा गया है न कि साक्ष्य लेने के सम्बन्ध में। यह अभियोजन के लिए अहितकर सिद्ध होगा। यदि एक व्यक्ति अपने बयान को सत्र-न्यायालय में बदल देता है तो धारा २८८ को लागू नहीं किया जा सकेगा और अभियोजन की पराजय हो जायेगी। इस प्रकार, कदाचित् अपराधी भी मुक्त हो जायेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप केवल दण्ड विधान संहिता का संशोधन नहीं कर रहे हैं बल्कि साक्ष्य अधि-नियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का भी। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अभियुक्त को, दण्डाधीश के आवश्यक नियन्त्रण के अन्तर्गत, कुछ आवश्यक साक्ष्यों के परीक्षण का अवसर दें। या तो इस प्रक्रिया की अनुमति दी जाय, अन्यथा समर्पण कार्य-वाही का उन्मूलन कर दिया जाय और धारा १९८-ख की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सत्र न्यायालय मामले का परीक्षण करे। इससे अभियुक्त को सुविधा रहेगी।

मैं प्रवर समिति का एक सदस्य था अतः मैं ने सभा के सम्मुख बहुत सी बातें उपस्थित कीं और अब मैं उनके बारे में सभा को सन्तुष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यतया कोई भी माननीय सदस्य आधे घंटे से अधिक समय नहीं लेंगे। १५ मिनट बाद में मैं घण्टी बजा दिया करूंगा। श्री मोरे से प्रार्थना है कि वह कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस अध्याय के उपबन्धों से सम्बन्धित मामलों के बारे में बताने जा रहा था। इन कार्यवाहियों का प्रयोग एक अभ्यासी अपराधी के विरुद्ध प्रायः नहीं किया जाता बल्कि राजनैतिक कार्य-कर्त्ताओं या ऐसे लोगों, जिनके जीविका का कोई साधन नहीं होता के विरुद्ध किया जाता है। मेरी मुख्य शिकायत यह है कि धारा १०८, १०९ और ११० के अन्तर्गत मामलों के लिए वारण्ट के मामले के समान की ही प्रक्रिया निश्चित की गयी है, पर अब, इस खण्ड के अनुसार धारा ११७ के अन्तर्गत एक वारंट मामले की सी प्रक्रिया होगी। वारंट मामला प्रक्रिया में पक्षपात का व्यवहार होता है।

धारा १६२ के अनुसार अभियोजन में दो सुविधायें दी गयी हैं।

मानहानि वाले खण्ड के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल भी एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं, पर ये मंत्री जो सुलझे हुये राज-नीतिज्ञ होते हैं, ऐसे आक्रमणों से इतने भावुक क्यों हो जाते हैं। चुनावों में विरोधी दल के लोग मंत्रियों पर आक्रमण करेंगे ही। प्रेस को इस प्रकार दबाना उचित नहीं है। हमें सदैव प्रेस की प्रशंसा ही नहीं करनी चाहिए। प्रेस

[श्री एस० एस० मोरे]

सार्वजनिक हितों को सावधान करने के कुछ कर्तव्यों का पालन भी करते हैं जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए । कभी कभी वे धांधली का भण्डा फोड़ा करते हैं । पिछले पांच-छः वर्षों में प्रेस ने धांधली के कई मामलों को जनता के सामने रखा । यदि प्रेस को यह डर होता कि अमुक हम से अप्रसन्न हो जायेगा तो यह धांधली के मामले शायद गड़े मुर्दों की तरह पड़े ही रहते । अतः हम कह सकते हैं कि प्रेस बड़ी लाभदायक सेवा कर रहे हैं । आज देश की सबसे अधिक सेवा करने वाला सबसे अधिक कष्ट उठाता है । हमारी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति ने भ्रष्टाचार और अयोग्यता के कई मामले खोज निकाले । इस खतरे से सबको सचेत करने का कार्य क्या आवश्यक नहीं है पर यह उपबन्ध भ्रष्टाचार और अयोग्यता का भण्डा फोड़ करने वालों को दण्ड देंगे । अपराधी स्वयं अभियोजन के लिए साक्ष्य बन जायेगा और वह, जो देश के वित्त, ईमानदारी और सत्यता की सेवा करेगा कैदियों के कटघरे में खड़ा किया जायेगा ।

वकालत का आप को पर्याप्त अनुभव होगा ही । सरकार द्वारा जारी किये गये किसी मामले में गैर सरकारी मामले की अपेक्षा पहुंच लगाने का पर्याप्त अवसर होता है । न्यायाधीश का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है कि अभियोजक ने तथ्यों की देखभाल कर ली ही होगी और वह सब ठीक होगी । पर गैर सरकारी मामले में ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है । सरकार द्वारा जारी किये गये मामलों में सरकार को भी सारा व्यय उठाना पड़ता है । जब कोई गैर सरकारी अभियोक्ता किसी मामले में जीत जाता है है तो इस प्रकार भी हम भ्रष्टाचार का ही पोषण करते हैं ।

अन्त में मैं गृह मंत्री से इस विधेयक को लौटा लेने या स्थगित करने की प्रार्थना करूंगा ।

श्री रघुवीर सहाय : इस विधेयक के प्रयोजनों और उद्देश्यों पर विचार करते हुये आप देखेंगे कि यह विधेयक इसलिए रखा गया है कि दण्ड न्याय की व्यवस्था बड़ी महंगी और विलम्ब करने वाली थी । हमें देखना है कि प्रवर समिति के पास से आने के बाद अब इस विधेयक के कितने उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है । जब विधेयक मौलिक रूप में रखा गया था तब साधारण जनता ने और सभा के सदस्यों ने इसकी बड़ी कटु आलोचना की थी । तब विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया । किसी सदस्य ने बताया कि समिति द्वारा विचार और चर्चा के परिणामस्वरूप विधेयक में महान् सुधार हो गया है ।

मैं ऐसा नहीं कह सकता कि विधेयक का अब, अधिक सुधार सम्भव नहीं; संहिता के प्रत्येक उपबन्ध को इसमें लिया गया है और प्रत्येक सम्भव संशोधन कर दिया गया है । पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जहां तक विधेयक के उद्देश्य और कारणों का सम्बन्ध है, उस कार्य में संयुक्त प्रवर समिति ने बहुत अधिक सीमा तक सफलता प्राप्त करली है । मैं कुछ उदाहरण दूंगा ।

प्रत्येक वकील जानता है कि धारा १४५ और १४६ के अन्तर्गत जो मामले दण्डाधीश के सम्मुख आते हैं उनकी क्या दशा होती है । एक आई० ए० एस० दण्डाधीश ने एक स्थान पर अपने दो वर्षों से अधिक के प्रवास काल में, इन धाराओं के अन्तर्गत एक भी मामले का फैसला नहीं किया । न तो समय का कोई प्रतिबन्ध था, न तो दोनों पक्षों के कष्ट, चिन्ता और व्यय की ही कोई सीमा थी । प्रवर समिति के उपबन्ध द्वारा इन धाराओं के अन्तर्गत

मामलों को दण्डाधीशों को दो मास की अवधि में अवश्य निपटा देना चाहिए, यदि वे दो मास में न निपटा सकें तो वे मामले को न्यायालय में भेज दें और न्यायालय को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे मामलों को तीन मास में अवश्य निपटा दें। इस प्रकार धारा १४५ और १४६ के अन्तर्गत के मामले अधिकाधिक ५ महीने में अवश्य निर्णीत हो जायेंगे। इससे दोनों पक्षों के लोगों का व्यय कम होगा ; उन्हें कष्ट कम होगा और परीक्षण भी शीघ्रता से होगा ।

समर्पण कार्यवाही के सम्बन्ध में दो मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए, दूसरी ओर कुछ लोगों का मत है कि इसे जारी रखना चाहिए।

हम लोगों ने मध्यम मार्ग अपनाया है कि समय व्यर्थ ही बरबाद न किया जाय। सभी औपचारिक साक्ष्य हो गये हैं। केवल उन महत्वपूर्ण साक्षियों, जिन्होंने घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, को हाजिर करना है और उनके साक्ष्य, अभियुक्त और उनके वकीलों के समक्ष लिए जाने हैं। किन्तु सामान्यतः ऐसा होता है कि समर्पण प्रक्रिया के समय वकील जिरह नहीं करते। इस प्रकार जिरह करने का अधिकार उनसे लिया गया है। इस नयी परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार समय भी थोड़ा लगेगा और झंझट भी कम होगा तथा साथ ही खर्च भी कम होगा।

तीसरे, अधिपत्र-योग्य अभियोग की सुनवाई के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि अभियुक्त को जिरह के पहले तीन अवसर मिलते थे; अदालत द्वारा मामला कई बार स्थगित किया जाता था और छोटी छोटी अदालतें सुनवाई के मामले में बहुत सा समय लगा देती थीं। इसलिए संयुक्त प्रवर समिति में हमने यह तै किया है कि जिरह के लिए तीन अवसर देना बिल्कुल आवश्यक नहीं है और अधिपत्र-योग्य अभियोग की सुनवाई भी उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार कि सत्र न्यायालयों में होती है। वांचू समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि जिरह का एक अधिकार देना चाहिए।

वकील वर्ग के लाभार्थ इस विधेयक में कुछ और भी उपबन्ध हैं जिनके अनुसार वे दंडाधीश तथा न्यायाधीशों की अदालत में कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अभियुक्त को एक अधिकार यह दिया गया है कि वह गवाही के कटघरे में जाकर अपने पक्ष में अपनी गवाही दे सकता है। यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अनुसार सुनवाई में समय भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा तथा उचित निर्णय करने के लिए न्यायाधीशों को भी अच्छा अवसर मिलेगा।

वे सभी कागज़ात जिन पर पुलिस का विश्वास होता है एवं जिनके आधार पर वह अभियोग चलाती है, अभियुक्त एवं उसके वकील को फौजदारी न्यायायल में मुकद्दमा चलाने से बहुत दिन पहले दे दिये जाते हैं। साथ ही इन कागज़ों का अभियुक्त को कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और छूट है जो कि इस परिवर्तन के फलस्वरूप अभियुक्त को मिली है।

अब तक वकीलों एवं अभियुक्त को अदालतों से ज़मानत स्वीकृत कराने में काफ़ी कठिनाई पड़ती थी किन्तु अब इस विधेयक के द्वारा शपथ-पत्र देने पर ज़मानत स्वीकार कर ली जाती है।

मूल विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में निहित दृष्टिकोण से यदि आप इन सभी उपबन्धों को देखें तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि फ़ौजदारी अदालतों में सुनवाई में जो बहुत समय लगता है अब वह सुनवाई जल्दी होने लगेंगी उसमें समय भी कम लगेगा एवं उससे देश का हित भी होगा।

[श्री रघुवीर सहाय]

इस विधेयक में कुछ कमियां भी हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मेरी विमति-टिप्पण से इस बात का पता चल जायगा कि मिथ्या शपथ अथवा मिथ्या साक्ष्य को समाप्त करने पर मैंने बहुत ज़ोर दिया है। माननीय गृह-मंत्री यह चाहते हैं कि सुनवाई के काम में जल्दी हो उसमें देरी न हो और यह मिथ्या शपथ की बुराई दूर हो जाय, उनकी इस भावना की मैं सराहना करता हूं ? इसी भावना को दृष्टि में रख कर मूल विधेयक में उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि जैसे ही न्यायालय के न्यायाधिपति यह जान जायं कि गवाह ने मिथ्या शपथ उठाई है अथवा मिथ्या साक्ष्य दिया है तो वे संक्षिप्त प्रक्रिया अपना कर उसे दंड दे सकते हैं। किन्तु संयुक्त प्रवर समिति काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि ईमानदार व्यक्ति गवाही देने में हिचकिचायेंगे और इस प्रकार आप सचाई से वंचित हो जायेंगे। प्रवर समिति ने मूल उपबन्ध में यह संशोधन किया है कि यदि न्यायाधिपति यह देखते हैं कि गवाह ने झूठ बोला है तो वे अपने निर्णय में यह उल्लेख कर सकते हैं कि उसने ऐसा किया है और वे यह सिफारिश कर सकते हैं कि इसकी सुनवाई किसी दूसरे न्यायालय में हो जहां उस पर १००रू तक जर्माना हो सकता है।

डा० काटजू : क्या आपको अच्छी तरह मालूम है कि उसमें १०० रु० तक का ही जुर्माना है। मैं समझता था कि ६ वर्ष का कारावास है।

श्री रघुवीर सहाय : जहां तक मुझे ध्यान है उसमें केवल जुर्माने की ही व्यवस्था है। कारावास के दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है।

डा० काटजू : यह भी इसमें शामिल करना पड़ेगा कि धारा भले ही कोई भी हो इसमें मिथ्या साक्ष्य पर नियमित अभियोग चलाया जाएगा, यूं तो यदि कोई कमी है तो वह दूर की जा सकती है।

श्री एस० एस० मोरे : खंड ९० में मिथ्या साक्ष्य का उल्लेख है और खंड ९१ में साक्षी के रूप में आदालत से अनुपस्थित रहने का उल्लेख है।

श्री रघुवीर सहाय : मेरे कहने का अभिप्राय तो यह है कि जिस दण्डाधीश के समक्ष गवाह ने झूठी गवाही दी है उसे वह दण्डाधीश उसी समय दण्ड नहीं दे सकता। वह तो दूसरे दण्डाधीश के यहां केवल शिकायत ही कर सकता है और वह दूसरा दण्डाधीश विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। मेरा विचार है कि ऐसी स्थिति में आप मिथ्या साक्ष्य को समाप्त नहीं कर सकते।

डा० काटजू : यह सब कुछ तो उस दण्डाधीश के ऊपर निर्भर है कि वह किस प्रकार की कार्यवाही करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ऐसी स्थिति में क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

श्री रघुवीर सहाय : इस के लिए कोई महत्व उपाय करना चाहिए। उसके सचाई पूर्ण बयान के लिए उसके तथा अपेक्षाकृत अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए और कोई संविहित उपबन्ध नहीं होना चाहिए।

अब मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ उपधारा (२) को लेता हूं। इसमें एक ऐसा संविहित उपबन्ध है जिसके अनुसार अभियुक्त झूठा उत्तर भी दे सकता है। मेरे विचार से अभियुक्त को इस बात का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि वह झूठा उत्तर दे

सके। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अभियुक्त को भी सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सच बोल सके। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त पर, जब तक कि उसका बयान शपथ देकर न लिया गया हो, झूठ बोलने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। वह उत्तर देने के लिए इंकार कर सकता है या वह झूठा उत्तर दे सकता ह। किन्तु अभियुक्त को झूठा उत्तर देने का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया है। धारा ५६२ में जहां अभियुक्त को कम दंड देने अथवा, खाली चेतावणी देकर छोड़ देने के लिए ढीली परिस्थितियों का उल्लेख किया है वहां अभियुक्त की उम्र, उसके पूर्ण विवरण तथा चरित्र आदि पर विचार करने की व्यवस्था भी है। फिर आप उसके सच्चे बयान पर क्यों नहीं विचार करते। यह वात सत्य नहीं है कि दण्डाधीश अथवा न्यायाधीश प्रत्येक मामले में सच्चे बयान से प्रभावित हो जाता है। स्वविवेक को काम में लाने का उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है; किन्तु कम से कम विधान में हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यह मालूम हो सत्य भाषण को कुछ महत्व मिल चुका है।

मेरे विमति टिप्पण में इस बात का भी उल्लेख था इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो सुझाव रखे हैं यदि उन्हें अपना लिया गया तो झूठे साक्ष्य की प्रथा में बहुत कुछ कमी हो सकती है।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि यदि इस विधेयक को, इसके प्रत्येक उपबन्ध को सभा ने स्वीकार कर लिया तो—और जैसी कि इधर उधर थोड़ा बहुत संशोधन करने के पश्चात् इसे स्वीकार कर लेने की आशा भी है—पुलिस में सुधार किये बिना हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी कि हम आशा करते हैं मैं जानता हूं कि माननीय गृहमंत्री इसके लिए भी चिन्तित हैं और थोड़े बहुत दिनों में पुलिस में सुधार करने के लिए भी कार्यवाही करेंगे। अपनी विमति टिप्पण देते हुए भी अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : इस विधेयक में कठिनाई यह है कि हम ने मूल सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया अपितु इधर उधर परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। दंड-प्रक्रिया अपने देश में एकतन्त्रात्मक अथवा पुलिस सरकार द्वारा जारी की गई थी और ऐसे ही कुछ न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर उनमें संशोधन किया गया था जिससे कि हमारे तत्कालीन शासक परिचित थे। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में भी वैज्ञानिक न्याय के वे कुछ मूल सिद्धान्त हैं।

हमारी संविधान सभा ने नया संविधान बनाया। हमारे कुछ मूल सिद्धान्तों की इसने गारंटी ली थी। इसलिए संविधान में निहित मूल सिद्धान्तों के आधार पर अपनी दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक था। ऐसा करने के बजाय हमने उसका ज्यों का त्यों पालन करने की प्रतिज्ञा ली और अब हम इधर-उधर थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। यह कोई परिवर्तन नहीं है बल्कि यह तो ऐसा है जैसे पुराने कपड़ों की मरम्मत की जा रही हो।

यदि दंड प्रक्रिया संहिता में कोई परिवर्तन करना था तो मेरे विचार से एक विधायिनी समिति की स्थापना करनी आवश्यक थी जो सारे प्रश्न पर विचार करती और यह मालूम करती कि संविधान द्वारा जिन मूलभूत अधिकारों की हमारे लिए गारंटी की गई हैं उनके विरुद्ध क्या प्रक्रियाएं हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विचार किये बिना हम थोड़े थोड़े

[आचार्य कृपालानी]

अंशों में परिवर्तन कर रहे हैं। अतः इस प्रकार हम भूल के बाद भूल कर रहे हैं।

इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि न्याय जल्दी और मितव्ययी हो, और हम सभी इससे सहमत हैं। किन्तु मेरा यह निवेदन है कि देरी के लिए गृहमंत्री का अपना विभाग ही प्रक्रिया संहिता की किसी प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी है।

मैं मानता हूं कि गृहमंत्री न्याय नहीं करते किन्तु जांच के माध्यम तो उनके पास हैं और उन्हीं में सुधार होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा ही जांच करने में देरी की जाती है। मेरे विचार से इस देरी का यही कारण है कि इस बीच वे घूंस लेते हैं। कभी-कभी अदालत को बताया जाता है कि दोषी फरार है किन्तु उसे ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। समन भेजने की प्रथा भी बड़ी अजीब है, यदि कोई व्यक्ति चपरासी को कुछ रुपये दे देता है तो वह समन की तामील से बच जाता है। जहां कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आंशिक रूप से अलग अलग हों वहां पुलिस न्यायपालिका की अधिक सहायता नहीं करती।

यदि आप सावधानीपूर्वक जांच करके देखें तो आपको पता लग जायगा कि स्वयं दंडाधीश भी देरी का कारण है। क्योंकि इसे न्यायपालिका के ही कार्य नहीं करने पड़ते अपितु कार्यपालिका के भी कार्य करने पड़ते हैं और ये कार्यपालिका के कार्य निरन्तर बढ़ते रहते हैं।

डा० काटजू : प्रत्येक राज्य में न्यायिक दंडाधीश प्रथा के अनुसार बहुत से ऐसे दण्डाधीश हैं जिन्हें कार्यपालिका के कार्यों का बिल्कुल भी पालन नहीं करना पड़ता।

आचार्य कृपालानी : यदि यह सच है तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में क्या रुकावट है ?

न्यायाधीश अथवा दंडाधीशों के तबादुले भी इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि सुनवाई फिर से शुरू हो। फिर वकीलों की प्रविधिक आपत्तियां भी इसमें देर करती हैं।

सत्र न्यायाधीशों को आवश्यकता से अधिक छुटियां भी मिलती हैं। अब काम भी इतना इकट्ठा हो गया है कि यदि अस्थायी तौर पर कुछ न्यायाधीशों की भर्ती कर ली जाय और काम को निपटा दिया जाय तो वही अच्छा होगा। तदुपरांत नये सिरे से कार्य शुरू होना चाहिए। सभा में यह भी कहा गया है कि तथ्यों के बारे में गृहमंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए माननीय गृहमंत्री कहते हैं कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अलग अलग हैं। मेरे कुछ मित्रों को इसमें भी सन्देह है। मैं इस बात को मान लेता हूं; यदि ऐसा हो गया है तो प्रक्रिया में परिवर्तन की बहुत थोड़ी आवश्यकता है। न्याय के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों पर इस प्रक्रिया की नींव पड़ी थी। उनमें से एक यह था कि अभियुक्त को अपनी अबोधता अथवा निर्दोषता सिद्ध करने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए क्योंकि एक निर्दोष को दंड देने की अपेक्षा दस दोषी व्यक्तियों को छोड़ देना वांछनीय समझा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल इतना कहा था कि यह मूल सिद्धान्त दोषी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए नहीं अपितु अभियोग पक्ष का दोष सिद्ध करने के, लिए है।

आचार्य कृपालानी : धन्यवाद श्रीमान् ! हमें बताया जाता ह कि समर्पण कार्यवाही की अवधि से व्यय में कमी होगी और मामले

शीघ्र निबट जाया करेंगे। परन्तु, मुझे आशंका है कि सत्र न्यायालय की प्रक्रिया अधिक दुःखदायक होगी और सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों के यहां साधारण दण्डाधीशों की अपेक्षा अधिक व्यय होगा। (अन्तर्बाधायें)

डा० काटजू : परन्तु उस प्रकार की कार्यवाही दोहरी होती है; समर्पण कार्यवाही और सत्र न्यायालय की कार्यवाही।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका विचार है कि बहुत से अभियोग आरम्भ में ही समाप्त कर दिये जायेंगे और उस स्थिति में सत्र न्यायालय में आने की कोई आवश्यकता न होगी।

डा० काटजू : ऐसा तो वह नहीं कहते। समाप्त किये गये अभियोगों की संख्या लगभग एक प्रतिशत होगी उनके वकील मित्रों ने उन्हें गलत सूचना दी है।

आचार्य कृपालानी : हां, वे भी तो आप ही जैसे हैं। आप विधान के उद्देश्यों के बारे में सत्र को गलत सूचना दे रहे हैं।

फिर, अभियुक्त स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित होता है। यह एक स्पष्ट परिवर्तन है। डा० काटजू ऐसे परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका प्रयोग कोई नहीं करेगा।

डा० काटजू : यह डा० काटजू ने नहीं किया है। यह तो संयुक्त प्रवर समिति ने किया है जिस में ४९ वकील हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया।

आचार्य कृपालानी : उस समय हमारे समक्ष कठिनाई प्रस्तुत होती है जब डाक्टर सहमत नहीं होते। वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिये ? हम केवल यह कह सकते हैं कि प्रस्तावित परिवर्तनों से संविधान बचा रहे।

हम जानते हैं कि भूतपूर्व विदेशी शासक अपने कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखते थे और उन्होंने कर्मचारी तंत्र के पोषक को प्रत्येक प्रकार का लाभ उठाने की सुविधा दे रखी थी। हमें आशा थी कि जनतन्त्रावाद तथा स्वतन्त्रता की प्राप्ति से इन विशेष सुविधाओं में कई एक समाप्त हो जायेंगी क्योंकि वे जनतन्त्रवाद के लिए हानिकारक हैं। उनसे वर्ग-भेद होता है। सरकारी कर्मचारी को नागरिक के ऊपर जो उसका स्वामी है, रखा जाता है। जहां तक मुझे स्मरण है, अंग्रेजी शासन में यदि कोई कर्मचारी बदनाम होता तो सरकार उसे अपनी रक्षा करने के लिए बाध्य करती थी और यदि उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया जाता तो सरकार उसे वह समस्त धन लौटा देती थी जो वह व्यक्ति अभियोग पर व्यय करता। यदि वह इसमें असफल होता तो यह व्यय उसी का होता था और उसे अपने कार्यों का परिणाम-अवश्य भोगना पड़ता। अब, जन्तन्त्रवाद में हम से कहा जाता है कि इस विशेष वर्ग को विदेशी शासन की अपेक्षा अधिक सुविधायें अवश्य दी जानी चाहियें। मुझे शंका होती है कि लोक-सभा जैसी जनतन्त्रवादी सभा में गृहकार्य मंत्री ऐसा प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं। हम उन्हें जब 'प्रतिक्रियावादी' कहते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। बात यह नहीं कि स्वय वह 'प्रतिक्रियावादी' हैं, परन्तु वह ऐसे कार्य करना चाहते हैं। जो जनतन्त्रवाद में नहीं होते। उनके विचार प्रतिक्रियावादी के से हैं।

डा० काटजू : प्रेस आयोग के विचार कैसे हैं ?

आचार्य कृपालानी : प्रेस आयोग कहता है कि ऐसे अभियोग उच्च न्यायालय में अवश्य जाने चाहियें। हमारे गृहकार्य मंत्री सत्र न्यायालयों को उच्च न्यायालय के समान मानते हैं।

डा० काटजू : मैं कहता हूं कि मेरे माननीय मित्र सर्वथा गलत कहते हैं। प्रेस आयोग ने कहा था 'हमें दण्डाधीश के पास जाने दीजिये।'

आचार्य कृपालानी : यदि गृहकार्य मंत्री प्रेस के सुझाव को कार्यान्वित करना चाहते थे तो उन्हें यह आंशिक रूप में न करके समूचे रूप में करना चाहिये था। हमारा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि प्रेस ने ऐसा कहा है या नहीं। यहां हम जनता के अधिकारों पर विचार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्रेस के वे लोग कौन हैं जिन्होंने ऐसा कहा था? जनता के सेवक को, मंत्री भी जिसमें सम्मिलित है, अपना रक्षण क्यों नहीं करना चाहिये? क्यों; क्योंकि हमें कहा जाता है कि हमारे लोग इतने कलुषित हैं कि वे प्रत्येक सत्तारूढ़ व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं? मैं नहीं जानता कि हमारे लोगों में इस प्रकार की क्या कलुषित है; अपितु मैं यह जानता हूं कि हमारे लोग सत्ता को संसार के किन्हीं भी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक पूजन करते हैं। सत्तारूढ़ कोई भी व्यक्ति हो वह उनकी श्रद्धा का पात्र बन जाता है।

मैंने देखा है कि उच्च पदाधिकारियों के बहुत ही थोड़े अभियोगों में, जो सरकार ने चलाये हैं, लोगों की अफवाहों की पुष्टि हुई है। उन्होंने लोगों की अफवाहों का खण्डन नहीं किया है। प्रशासन में बहुत से माननीय व्यक्ति हैं जिनकी मानहानि नहीं की जाती। उनके लिए कोई भी कुछ नहीं कहता। हमारे लोगों के लिए यह क्यों कहा जाता है कि वे सत्तारूढ़ व्यक्तियों को बदनाम करना चाहते हैं तथ्य यह है कि हमारा प्रशासन बिगड़ गया है और यदि पहिले की अपेक्षा अब कुछ अधिक सन्देह है तो यह हमारे ही व्यवहार के कारण है। जब हम अपनी नदी घाटी योजनाओं, रसायन निर्माणशालाओं, आदि को लेते हैं और भिन्न रूप में कार्य करने लगते हैं तो लोग सन्देह करने लगते हैं जब जीप, कम्बल आदि के बारे में इतनी निन्दनीय बातें हैं तो, जन साधारण सन्देह करने लगते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि किसी अन्य देश में सन्देहजनक इतने सौदे होते तो वहां जनतन्त्रवादी सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाती। उससे सत्ता छीन ली जाती। अपने घर को ठीक करने बजाय आप दण्ड प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए हमारे पास आते हैं। पहिले आप अपने घर को सम्भालिये फिर नियमों में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास आइये।

अब हमें यह देखना है कि हमारे न्याय में विलम्ब कैसे होता है और इसका प्रशासन कैसे खर्चीला बन गया है। भारत में यह एक नई बात है। भारत में न्याय शीघ्र और अल्प व्यय पर होता था। आप अपने व्ययों में वृद्धि करते जाते हैं और जब आप के व्यय की पूर्ति नहीं होती तो आप न्यायालय शुल्क में वृद्धि करते जाते हैं। जो प्रक्रिया अंग्रेजी राज्य में ही विस्तृत थी उसे आपने और अधिक विस्तृत और अधिक व्ययी बना दिया है। इसका उपचार यह है कि गांवों की सुसंगठित संस्था को न्याय करने दिया जाय।

आप एक ऐसी न्यायिक समिति बनाइये जो गांवों की पंचायत से सम्बद्ध हो। उन्हें कुछ न्यायिक पदाधिकारियों के अधिकार दीजिये और यहां स्थानीय रूप में न्याय होने दीजिये। गांवों के लोग नगर के लोगों की अपेक्षा कम फूटसाक्षी होते हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठ होते हैं और जानते हैं कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। यदि आप शीघ्र और कम खर्चीला न्याय चाहते हैं तो आप विदेशी पथप्रदर्शन की ओर न देख कर भारतीय वृद्धि का अनुकरण कीजिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आचार्य कृपलानी ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिन से मैं पूर्णतया सहमत हूं। आपको विदित है कि मैंने तीन संशोधनों की पूर्वसूचना दी है। मेरा विचार है कि यह सरकार का या किसी व्यक्ति का मामला नहीं है कि इस विधेयक को पारित करने से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आयेगा, अर्थात् वे सारी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो हम सब चाहते हैं। माननीय गृहकार्य मंत्री और सभा के अनेकों माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि जब तक पुलिस, अभिभावकगण तथा जन-साधारण अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों में परिवर्तन नहीं करते तब तक इस देश में वांच्छित सुधारों का होना असम्भव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल यह है कि मूल विधि कार्यान्वित हो। इस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि स्वयं माननीय गृहकार्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि जब तक साक्ष्य अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य सम्बद्ध विधियों में संशोधन नहीं होता है तब तक.....

डा० काटजू : मैंने यह कभी नहीं कहा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री का मत यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का यह संशोधन सभा में ऐसे परिवर्तन लायेगा कि जो भी वांच्छित हो वही प्राप्त होगा। यदि यही बात है तो मुझे उनके यह कहने पर बहुत दुःख है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

डा० काटजू : मैं ने कभी कोई बात नहीं कही। आप यह बात मेरे ऊपर क्यों डालते हैं। जो मैंन नहीं कही है ? मैंने बार बार यही कहा था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य अपराध के मामलों में शीघ्र, न्यायोचित उचित तथा उपयुक्त न्याय करना है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि उन्होंने यह नहीं कहा तो भी मुझे विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं वह उसकी सत्यता अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप इस विधि को बदलना चाहते हैं तो आपका यह विचार गलत है कि इसका परिणाम अच्छा होगा। क्योंकि इस विलम्ब, झूठ और कूटसाक्ष्य के लिए न्यायपालिका, पुलिस, अभिभावक समाज तथा जनसाधारण उत्तरदायी हैं।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुई]

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने से कूटसाक्ष्य में कमी कैसे होगी—यह मुझे देखना है। जहां इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है; संशोधन करने वाले नये विधेयक के सरकारी अध्ययन से विदित होगा कि संयुक्त समिति ने जो परिवर्तन किया है वह क्रान्तिकारी है। कुछ मामलों में, इस उपबन्ध में एसे परिवर्तन किये गये हैं कि उनका पता नहीं चलता; इसके अतिरिक्त गृहकार्य मंत्री के मूल प्रस्ताव में भी संशोधन कर दिया गया है। उदाहरणार्थ, गृहकार्य मंत्री का एक मुख्य प्रस्ताव यह था कि समर्पण कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाय, परन्तु प्रवर समिति उसे रखना चाहती है और उसमें परिवर्तन करना चाहती हैं। वह कहते हैं कि अभियुक्त वहां अवश्य उपस्थित हो, समर्पण न्यायालय द्वारा उसका मामला समर्पित किया जाये। साक्ष्य लिया जाय और साक्षी अवश्य आये। परन्तु साक्षियों से यहां केवल प्रमुख प्रश्न किये जायें। वे वहां आये, खड़े हों और वही बतायें जो अभियोक्ता-पक्ष चाहे, और फिर चुप रहें। न्यायालय में जब वहां कोई अभियुक्त हो, जबकि वह न्यायालय से न्याय की आशा करता हो, वहां चुप खड़ा रहे और कोई भी बात न पूछ सके। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे आशा है कि इस देश का

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कोई भी अभिभावक इस बात का अधिनियमित होना पसन्द नहीं करेगा। क्या आप इस देश में एसा ही न्याय चाहते हैं। कितना अच्छा होता कि प्रवर समिति डा० काटजू के मूल प्रस्ताव को स्वीकार करती और समर्पण स्थिति समाप्त कर दी जाती। यदि माननीय मंत्री चाहते हैं कि विलम्ब न हो तो वह अपने मूल प्रस्ताव में एसा संशोधन क्यों स्वीकार करते हैं? मुझे अत्यन्त खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि प्रवर समिति ने बहुत से मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया है। मैं जानता हूं कि मेरे अनेकों मित्र इस बात को बुरा मानेंगे, परन्तु यह मेरा सविनय निवेदन है। प्रवर समिति से पहिले देश का मत मांगा गया था और २०७ मत प्राप्त हुये थे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन किये गये थे। अतः यह कहने में मैं कोई क्षमायाचना नहीं करता हूं कि मैं अनेकों मामलों में प्रवर समिति से सहमत नहीं हूं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ यह कहता हूं कि प्रवर समिति के बहुत से उपबन्ध सर्वथा गलत हैं और जांच में वे ठीक सिद्ध नहीं हो सकते।

श्री लोकनाथ मिश्र: उदाहरण?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: एक नहीं, मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। समर्पण स्थिति का मैं एक उदाहरण दे चुका हूं। समर्पण स्थिति या तो हो नहीं और यदि हो तो पूर्ण रूप से हो। बीच का कोई भी रूप अपनाना पूर्णतया अनुचित है। मैं नहीं चाहता कि यह विधेयक विधि रूप में अधिनियमित किया जाय, और समर्पण का यह उपबन्ध मेरे देश की विधि हो। मैं यह देखना नहीं चाहता कि जब कभी प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश के समक्ष कोई साक्षी आये तो उसे अभियुक्त के लिए कुछ कहने का अधिकार न हो; और यहां तक कि उस स्थिति में भी जबकि साक्षी ने घटना देखी भी न हो, अभियुक्त साक्षी से जांच के लिए कोई भी प्रश्न न कर सके। विधि के ऐसे उपबन्धों पर मुझे लज्जित होना पड़ रहा है।

फिर उपबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में जिनमें मुकद्दमों को धारा १६४ के अधीन रिकार्ड किया गया है, साक्षियों से उस स्थिति पर पूछताछ न की जाय—जिसका अर्थ है कि कोई भी चतुर पुलिस अधिकारी किसी भी साक्षी को अभियुक्त की अनुपस्थिति में दण्डाधीश के पास ले जाकर धारा १६४ के अनुसार उन की परीक्षा करा लेगा। फिर उन साक्षियों की परीक्षा न्यायालय में नहीं होगी। यह न्याय को निन्दनीय बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

मैं ने माननीय गृह-मंत्री से अनुरोध किया था कि वे धारा १६२ में परिवर्तन न करें और उन्होंने कल यह आश्वासन दिया था कि इस धारा के सिद्धान्त तो वैसे के वैसे बने रहेंगे। परन्तु धारा १६२ में, जो कि अभियुक्तों का सहारा होती है, काफी परिवर्तन कर दिया गया है।

पहले तो मंशा यह थी कि धारा १६२ को हटा ही दिया जाये। यदि ऐसा हो जाता तो इस के परिणाम बहुत बुरे होते। मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने आंशिक रूप में इस धारा को रहने दिया है। अब धारा १६२ (१) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अफसर के सामने दिये गये बयान पर उस के हस्ताक्षर नहीं कराये जायेंगे परन्तु न्यायालय यह आज्ञा दे सकती है कि इस बयान की प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाये। धारा २३ के अधीन तो अभियुक्त को केवल उन्हीं बयानों की प्रतिलिपि दी जायेगी जो धारा १६४(३) के अधीन लिये गये हों। इस प्रकार अभियक्त को

सारे तथ्यों का पता नहीं चलता। मेरा निवेदन है कि यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो अभियुक्त को यह अधिकार न दीजिये।

सभा के जो सदस्य वकालत करते हैं, उन्हें मालूम ही होगा कि पुलिस के थानेदार अभियुक्तों के बयान ठीक ढ़ंग से लिखते नहीं हैं। मैं ने पुलिस के अधीक्षकों और जिलाधीशों को यह कहते सुना है कि उन से पूछताछ तो की गयी थी परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं कि उन का बयान लिखा भी गया है या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि फौजदारी के मामलों में मूल बयान का बड़ा महत्व होता है। धारा १६१(३) में कहा गया है कि पुलिस अफसर किसी बयान को लिख सकता है। यह बात गलत है इस धारा से पुलिस अफसरों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे बयान अवश्य ही लिखें। यदि बयान लिखे न गये हों तो दो तीन महीने बाद यह पता नहीं चलता कि असली बयान क्या था। इसलिये प्रत्येक पुलिस अफसर के लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि वह कम से कम मौके पर उपस्थित गवाहों के बयान तो लिख ही ले।

इस धारा में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक बयान अलग लिखा जाना चाहिये। आप को मालूम ही है कि पुलिस अपने "जिम्नियों" को बदल देती है। सरदार भगत सिंह के मामले में भी यही हुआ था।

बहुत से मामले ऐसे हुए हैं जिन म निरपराध व्यक्ति फांसी पर लटक गये हैं और अपराधी बच गये हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिये इस धारा १६१(३) में परिवर्तन करना आवश्यक है। मुझे यह भी कहना है कि गृह मंत्रालय ने प्रवर समिति में हमारे दृष्टिकोण को ठीक ढ़ंग से उपस्थित नहीं किया। माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुराध है कि इस धारा को पूर्ववत रहने दें।

धारा २२ में भी ठोस परिवर्तन कर दिया गया है। जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ की व्याख्या का सम्बन्ध है, प्रस्तुत विधि में बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। पहले तो कानून यह था कि अभियोक्ता पक्ष की प्रार्थना पर किसी गवाह को प्रतिकूल गवाह ठहरा दिया जाता था। बस उस का साक्ष्य इस कारण प्रभावहीन हो जाता था। अब यदि अभियोक्ता पक्ष को यह अधिकार भी मिल जाये कि वह उस प्रतिकूल गवाह के साक्ष्य का उस के बयान से खण्डन कर सके तो अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन होगा। पुलिस धारा १६१(३) के अधीन बयान लिखते हुए इस उपबन्ध का उपयोग ऐसे ढ़ंग से कर सकेगी कि यह पता भी नहीं चलेगा कि किस ने शरारत की है। यदि किसी ने ऐसा बयान दिया ही न हो और वह लिख लिया गया हो तो ऐसे गवाह के साक्ष्य को उस बयान से काटने में अन्याय होने की आशंका है। अभियोक्ता पक्ष का यह अधिकार देना कि वह प्रतिकूल गवाह के साक्ष्य को काट सके, बुरा है। इसलिये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि धारा १६२ को पुराने रूप में ही रहने दिया जाये।

मैं अपनी बात दोहराना तो नहीं चाहता परन्तु ऐसे किये बिना रह भी नहीं सकता क्योंकि जब मैं आरम्भ में वह बात कह रहा था तो गृह मंत्री सभा में नहीं थे। मेरा उन से अनुरोध है कि इस बात का प्रबन्ध करें कि धारा १६१(३) के अधीन बयान ठीक ढ़ंग से लिखे जायें। यह तो मैं जानता हूं कि थानेदार काम तो अपनी इच्छा से ही करेगा परन्तु उस पर यह आभार तो डाला जा सकता है कि कम से कम मौके के गवाहों के बयान तो लिखे। साथ ही यह प्रबन्ध भी होना चाहिये कि बयान अलग कागजों पर न लिखे जायें क्योंकि उनके स्थान में दूसरे कागज रखे जा सकते हैं और रखे जाते हैं। प्रबन्ध यह होना चाहिये

[पडित ठाकुर दास भार्गव]

कि ये बयान छपे हुए पृष्ठों वाली डायरी पर लिखे जायें जिस से कि बयान बदले न जा सकें।

मेरे विचार में अभी दंड प्रक्रिया संहिता को बदलने का काम हाथ में नहीं लेना चाहिये। इस का साक्ष्य अधिनियम दण्ड संहिता और अन्य विधियां से गहरा सम्बन्ध है। यदि यह सच है कि एक विधि आयोग नियुक्त किया जा रहा है, तो उस आयोग की राय प्राप्त होने तक इस विधेयक को स्थगित करने में कोई दोष नहीं है। न्याय को शीघ्र और अच्छा बनाने के लिये पुलिस की पदोन्नति के नियमों दण्डाधिकारियों की मनोवृत्ति और अन्य कई बातों में सुधार होना चाहिये। तभी जाकर इन विधियों के परिवर्तनों का कोई अच्छा फल निकल सकता है।

मानहानि के मामलों के सम्बन्ध में यह उपबन्ध करने का सुझाव है कि समर्पण की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। अब यह उपबन्ध रखा गया है कि मानहानि और रिश्वत आदि के मामले सीधे ही उच्च न्यायालय में ले जाये जा सकते हैं। यह तो ठीक है और मैं इन मामलों का महत्व कम नहीं करना चाहता परन्तु हत्या, बलात्कार आदि के मामलों में भी समर्पण कार्यवाही क्यों बनी रहने दी जाय ? इन मामलों के सम्बन्ध में भेदभाव की नीति क्यों रहे ?

आचार्य कृपालानी ने जो कुछ कहा, उस का ९० प्रतिशत तो इतना सच है कि सभी को वह मानना पड़ेगा। आज की परिस्थितियों में देश में भ्रष्टाचार बहुत है परन्तु हमें सब के लिए एक सी विधि रखनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव हो—इस को मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं इस उपबन्ध को ठीक नहीं समझता कि एक वर्ग विशेष अपना मामला सीधे ही उच्च न्यायालय में ले जाय।

जहां तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपालों और राजप्रमुखों का सम्बन्ध है, हम उन का आदर करते हैं और उनके प्रति कोई अनादर प्रदर्शित करे तो प्रत्येक भले आदमी को क्रोध आता है। मंत्रियों के लिये कोई बुरी बात कहे तो हमें बुरा लगता है परन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनकी आलोचना की जाय। हम यहां इसी लिये तो समवेत हुए हैं कि उनके कार्यों की भरसक आलोचना करें।

यदि पटवारियों तथा पुलिस के सब-इंसपैक्टरों की सरकार रक्षा करना चाहती है तो उस मुकदमों का इकतरफा फैसला नहीं होना चाहिये। आप उसको मुकद्दमा लड़ने के लिए धन दीजिये जिससे कि वह अपने को बेकसूर सिद्ध कर सके। पत्रकारों ने अपनी गवाही में बताया है कि उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तथा माननीय मंत्री ने उसको स्वीकार भी कर लिया था।

डा० काटजू : ये किसने कहा था ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पत्रकारों ने। उन्होंने कहा था कि वह पुलिस की आवश्यकता नहीं समझते थे। तथा यह माननीय मंत्री ने स्वयं भी बताया था।

डा० काटजू : जी हां यह सत्य है। जब उन्होंने प्रवर समिति के समक्ष गवाही दी थी तब उन्होंने कहा था कि वे इन मामलों को उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालयों में तय कराना पसन्द करेंगे।

श्री एस० एस० मोरे : जी नहीं।

डा० काटजू : मैं शब्द वापस लेता हूं। उच्च न्यायालय में। इससे बड़ी ही विभिन्नता हो जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पत्रों की स्वतन्त्रता जनता की स्वतन्त्रता पर ही

आधारित है । इसलिये इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री पर नहीं अपितु जनता के प्रतिनिधियों पर निर्भर है । जब प्रेस की स्वतन्त्रता का प्रश्न प्रस्तुत था तब हमने उसकी स्वतन्त्रता के लिए कितना वाद-विवाद किया था । इसीलिये आज जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं पूछता हूं कि यदि पत्रकार अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ना उपयुक्त नहीं समझते हैं तो उनको जनता के अधिकारों को हस्तगत करने को कोई अधिकार नहीं है । पत्रकारों की अपनी स्वतन्त्रता के लिए आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उनकी स्वतन्त्रता ही जनता की स्वतन्त्रता है ।

मैंने प्रेस आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा है तथा उससे मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ मामलों में विधि सम्बन्धी मामलों में, उसने बड़ी गलतियां की हैं । माननीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रेस वालों को संतुष्ट कर दिया है परन्तु मेरा विचार यह है कि उन्हें प्रेस वालों को नहीं बल्कि लोक सभा के सदस्यों को सन्तुष्ट करना है कि उन्होंने जो कुछ किया है वह न्याय की दृष्टि से, जनतन्त्र की दृष्टि से ठीक है ।

डा० काटजू : मूल विधेयक में यह था कि हस्तक्षेपीय मामलों में पुलिस आरोप-पत्र को सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेगी इन वाक्यों के स्थान पर अब यह है कि अपराध को हस्तक्षेपीय बनाने के स्थान पर आरोप-पत्र पब्लिक प्रोसीक्यूटर सरकार की स्वीकृति से बनायेगा तथा वह आरोप-पत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा जायेगा । इस प्रकार मूल विधेयक तथा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत रूप में कोई अन्तर नहीं है । अतः मैं माननीय वक्ता का तीन चौथाई भाषण तो समझ ही नहीं पा रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने उस समय भी आपत्ति की थी मैं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर एक सामान्य मजिस्ट्रेट चाहता था ।

डा० काटजू : मेरा तथा पत्रकारों का मत इस सम्बन्ध में एक है कि मामले की प्रथम जांच मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं अपितु सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाये । जनता के लाभ के लिए यह आवश्यक है क्योंकि सभी मजिस्ट्रेटों पर थोड़ा बहुत पुलिस का प्रभाव रहता है परन्तु सत्र न्यायाधीश पर किसी का प्रभाव नहीं होता है । इसीलिये मैं अपराध की सुनवाई उसके द्वारा कराना चाहता था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि माननीय मंत्री का सत्र न्यायाधीश पर इतना विश्वास है तब इसी प्रकार के अन्य मामलों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को सुनवाई करने के लिए क्यों दिया जाता है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें इन सुधारों को करने से पहले साक्ष्य अधिनियम में सुधार करना चाहिये । परन्तु इसके लिये वह तैयार मालूम नहीं होते हैं । यदि वह सुधार करने पर तुले हुए ही हैं तो उन्हें एक विधि आयोग नियुक्त करना चाहिये तथा इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन करने चाहियें । यह केवल मेरा ही विचार नहीं है बल्कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा सभा के बहुत से सदस्यों का भी यही विचार है कि एक विधि आयोग नियुक्त किया जाना ही चाहिये जो इन सभी संशोधनों का सुझाव दे । जब तक विधि आयोग नियुक्त नहीं किया जायेगा तब तक अन्य अधिनियमों में संशोधन न करके केवल इसी अधिनियम में संशोधन करना निरर्थक होगा । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

संशोधन ३० तथा ३१ के ही समान एक संशोधन श्री सिंहासन सिंह ने प्रस्तुत किया था और माननीय मंत्री ने उसको स्वीकार करने का वचन भी दिया था, परन्तु प्रतिवेदन की ५५ वीं कण्डिका में दिया हुआ है कि इसके लिये नई सम्मतियों की आवश्यकता है । अतः मेरी निजी सम्मति है कि पूरी संहिता में आमूल सुधार होना चाहिये और इसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि विधेयक को संशोधनों समेत, संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे कि उपयुक्त संशोधन स्वीकृत किये जा सकें ।

तीसरे संशोधन में मैं इस विधेयक का सब सदस्यों में परिचालन चाहता था क्योंकि जो मूल विधेयक सम्मति जानने के लिये परिचालित किया गया था उसमें बहुत से परिवर्तन किये जा चुके हैं । इसलिये इस परिवर्तित नवीन विधेयक पर भी जनता की सम्मति ज्ञात करना नितान्त आवश्यक है और प्रवर समिति की भी यही सम्मति है कि इसे पुनः परिचालित किया जाये । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । यह विधेयक मूल विधेयक से बहुत भिन्न है अतः देश को इसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिये । इसीलिए मैंने ये संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

मुझे माननीय मंत्री के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है क्योंकि उनके विचार हमारे हित में ही हैं, परन्तु मुझे दुख है कि वकील के रूप में उन्होंने निम्न न्यायालयों में वकालत नहीं की है तथा उसी का यह परिणाम है कि हमारी बहुत सी अनुभूतियों की ओर उनको कोई भी सहानुभूति नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को देश की सम्मति जानने के लिये पुनः परिचालित किया जाये ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह लगभग एक घंटा तक बोल चुके हैं । वह और कितना समय लेना चाहते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे अन्य मित्र भी कुछ बोलना चाहते हैं यह मैं जानता हूं, तथा मैं कोई अड़चन बनना नहीं चाहता हूं ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मेरे विचार से वह हमारे मध्य एक योग्य वकील है और हमें उनकी सम्मति सुननी चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह कितना समय और लेना चाहते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : लगभग एक घंटा क्योंकि विधेयक के सभी उपबन्धों पर मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री बी० जी० देशपांडे : क्योंकि सभा उनके विचार सुनने को उत्सुक है अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर वाद-विवाद का समय बढ़ा दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पिछली बार जब मैं इस विधेयक पर बोला था तो मैंने माननीय मंत्री को सुझाव दिया था कि अपराधी के जिरह सम्बन्धी अधिकार कम न किये जायें परन्तु मुझे खेद है कि इन अधिकारों में कमी की गई है ।

दूसरे मैं आनरेरी मजिस्ट्रेटों के पक्ष में नहीं हूं । हम उन कष्टों को अभी भूले नहीं हैं जो इन मजिस्ट्रेटों ने हम लोगों को दिये थे जनता भी इन मजिस्ट्रेटों को सन्देह की दृष्टि से देखती है । इनके फैसलों को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं होता है । परन्तु तो भी कुछ व्यक्तियों का मत है कि अधिकारिक महत्ता की भावना को कम करने के लिए इन मजिस्ट्रेटों से सम्बन्धित कोई सुधार नहीं किया जाना चाहिए । लोग सरकार पर भी लांछन लगा सकते हैं कि सरकार अपनी

पार्टी को शक्ति देने के लिए मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करती है । इन सब कारणों से मैं इन मज़िस्ट्रेटों की नियुक्ति के विरुद्ध हूं ।

इसके पश्चात् मैं संशोधित विधेयक की धारा १६ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । धारा १०७ के सम्बन्ध में मैं दुबारा कहता हूं कि उस का सम्बन्ध जनता की स्वतन्त्रता से है । बहुत वर्षों से यह उपबन्ध चला आ रहा है तथा इसके कारण कोई रुकावट भी पैदा नहीं हुई है इसलिये इसके परिवर्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

धारा ११७ के अन्तर्गत कार्यवाही एक समन वाले मुकद्मे के समान होगी । यह जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है । जहां तक धारा १०७ का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि उसे समन का मामला नहीं बल्कि वारंट (अधिपत्र) का मामला समझा जाये । मुझे आशा है कि सभा इस पर गम्भीरता से विचार करेगी क्योंकि इसका सम्बन्ध देश की जनता की स्वतन्त्रता से है ।

अब मैं धारा १४५, १४६ और १४७ के विषय में कहूंगा । माननीय गृह-मंत्री के इस कथन से मुझे प्रसन्नता है कि अदालतों में निर्णय जल्दी होने चाहियें, किन्तु मुझे धारा १४५ के संशोधन पर आक्षेप है । यह तो मैं समझता हूं कि अधिकार का निर्णय दीवानी अदालत में होता है किन्तु फ़ौजदारी अदालतों को भी यह अधिकार होने चाहियें अन्यथा परिणाम यह होगा कि वहां से मामला स्थानान्तरित होकर दीवानी में आयेगा और इस प्रकार कार्य में दूना समय लगेगा और व्यय भी अधिक होगा । अतः मैं ऐसा संशोधन नहीं चाहता हूं ।

प्रस्तावित विधेयक की धारा २२ और २३ के विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं अतः उसे दोहराना नहीं चाहता हूं । माननीय मंत्री ने उपधारा (४) को भी संशोधित किया है किन्तु उसमें निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिये था, कि दस या पन्द्रह दिन पहले अभियुक्त को ज़रूरी कागज़ दे दिये जाएं । यदि वे नहीं दिये जाते हैं तो मुकद्मे में और अधिक समय लगेगा । हमें संविधान के अनसार काम करना है जिसमें यह दिया गया है कि अभियुक्त को यथाशीघ्र अपने ऊपर लगाये गये आरोप की सूचना दे दी जानी चाहिये ।

मेरे विचार से वारंट (अधिपत्र) के मामले में कम से कम दस दिन पूर्व और समन (आह्वान) के मामले में सात दिन पूर्व अभियुक्त को यह सूचना मिल जानी चाहिये नहीं तो मुकद्मे के समाप्त होने में देर लगेगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री ऐसा किया जाना अनिवार्य कर देंगे । मैं माननीय मंत्री को इस विषय में यह भी सूचित कर दूं कि लाहौर के पुराने उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में अपना फैसला भी दिया था कि अभियुक्त को मामला चलाये जाने से पहले ही कागज़ों की प्रतिलिपियां दे दी जानी चाहियें । मुझे आशा है कि इस प्रकार के किसी निश्चित समय का उपबन्ध अवश्य किया जायेगा ।

खण्ड २५ के विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं खण्ड २६ के लिये मुझे यह कहना है कि अभी तो यह प्रक्रिया है कि ज्यों ही फ़रियाद की जाती है फ़रियादी की जांच करने के बाद तथा यह निश्चित करने के बाद कि प्रत्यक्षतः मुकद्मा बनता है या नहीं समन (आह्वान) जारी कर दिये जाते हैं । यदि अदालत को जांच से सन्तोष नहीं होता है तो साक्षियों की जांच की जाती है और तब प्रत्यक्ष मामला बनने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाती है । किन्तु नये खण्ड २६ में यह उपबन्ध है कि फरियाद होते ही फ़रियादी तथा साक्षियों की जांच की जायेगी और उन्हें अपने वक्तव्यों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वर्तमान विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। पता नहीं यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ? यदि इस प्रकार साक्षियों से हस्ताक्षर करने को कहा जायगा तो फ़रियादी के साथ कौन साक्षी अदालत में जाने को तैयार होगा ? यदि वह बिना अदालत के बुलाये जायेंगे तो उनको पक्षपात रखने वाला समझा जायेगा और उनके साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अतः व्यवहार रूप से इस उपबन्ध से बड़ी विषमता उत्पन्न हो जायेगी। अतः मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। सत्र न्यायालय के मामलों में मैं यह चाहता हूं कि वर्तमान पब्लिक प्रोसीक्यूटर (लोक अभियोजक) से पृथक् एक डायरेक्टर आफ़ पब्लिक प्रोसीक्यूशन्स (लोक अभियोजन निदेशक) होना चाहिये। उसके लिये आवश्यक नहीं कि वह पुलिस का आदमी हो किन्तु अभियोजन सम्बन्धी सब काम उसके निरीक्षण में ही होना चाहिये। उसमें यह क्षमता होनी चाहिये कि वह सच्चे मामलों को झूठे मामलों से छांट कर अलग कर सके। यदि गैर सरकारी मामलों में भी उसकी सहायता ली जाय तो लाभप्रद होगी। पुलिस के मुकद्दमों में साक्ष्य को एकत्र करने के लिये एक पृथक् अभिकरण होता है परन्तु गैर सरकारी मामलों में ऐसा नहीं होता है इन मामलों में वह साक्षियों को सुन सकता है, मामलों की सूची बना सकता है और इस प्रकार समय की बचत हो सकती है।

आजकल साधारण फ़ौजदारी मामलों में क्या होता है ? कोई घटना होते ही लोग पुलिस के पास जाते हैं और सब साक्ष्य लिख लिया जाता है। यदि पुलिस धारा १७३ के अन्तर्गत यह रिपोर्ट करे कि मामले अदालत में जाने योग्य नहीं हैं तो भी व्यक्ति पृथक् रूप से मकद्दमा चला सकता है। पुलिस द्वारा लिये गये बयान पर अदालत निर्भर नहीं रहती है क्योंकि धारा १६२ के अन्तर्गत ऐसा साक्ष्य किसी अदालत के सामने न लिये जाने के कारण उचित नहीं समझा जा सकता है।

अब माननीय मंत्री यह उपबन्ध करना चाहते हैं कि सरकार गैर सरकारी मामलों को भी हाथ में ले सकती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की बड़ी दुर्दशा होगी। यदि किसी को उससे ईर्षा हुई तो पुलिस के यह कहने पर भी कि मामला झूठा है, उसे अपील करने की अनुमति दी जा सकेगी। इतना ही नहीं उसे विशेष अनुमति मिल सकेगी। मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं। ऐसा उपबन्ध अन्य किसी सभ्य देश में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि धारा २०७ के अन्तर्गत दण्डाधीश को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह न्याय के हेतु किसी साक्षी को बुलाए। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अदालत के अधिकार इस प्रकार न छीने जायें। यदि यह अधिकार उससे ले लिया गया तो अदालत केवल 'पुलिस का डाक-घर' बन कर रह जायगी।

इसी प्रकार धारा २५१ के संशोधन में भी अनेक बातें ऐसी हैं जिनसे सहमत होना कठिन है। यदि आप परिवर्तन ही करना चाहते हैं तो प्राचीन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु जहां तक मामले को सिद्ध करने का प्रश्न है आप अधिकारों को कम नहीं कर सकते हैं अन्यथा वह न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। मुझे खेद है कि अनेक उपबन्धों को भली भांति सोचे बिना ही रख दिया गया है।

मुझे बहुत कुछ कहना था किन्तु समय कम होने के कारण मैं धारा ४३५ और धारा ३४५ के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा। उनके

लिये प्रवर समिति ने जो नये प्रस्ताव किये हैं उनको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिये। जहां तक धारा ३५० का सम्बन्ध है, मैं नहीं चाहता कि अभियुक्त से यह अधिकार छीन लिया जाये, कि वह मुकद्दमे की पुनः सुनवाई करा सकता है। मान लीजिए कि जो न्यायाधीश किसी मुकद्दमे को सुन रहा है उसका स्थानान्तरण हो जाता है और उसके स्थान पर दूसर न्यायाधीश आता है तो ऐसी स्थिति में मुकद्दमे की फिर से सुनवाई किये जाने की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह अधिकार रहना चाहिए।

मैं अधिक समय न लेकर अन्त में माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया।

श्री वी० जी० देशपांडे : सभानेत्री महोदया, माननीय गृहमंत्री ने जो भारतीय दंड विधान प्रक्रिया संशोधन बिल सदन के सामने रक्खा है उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अभी तक विरोधी पक्ष के और सरकारी पक्ष के लोगों ने भाषण देते समय एक विशेष दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया है। यह ठीक है कि अंगरेज़ों ने इस देश पर बहुत अत्याचार किये लेकिन साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने कई अच्छी चीज़ें भी इस देश में क़ायम कीं और उन अच्छी चीज़ों में मैं समझता हूं कि ब्रिटिश न्याय पद्धति अंगरेज़ों की हिन्दुस्तान को एक महान् देन थी और मैं ब्रिटिश न्याय पद्धति का स्वयं समर्थक हूं और इस दृष्टि से यह जो दंड प्रक्रिया संहिता है और जो उस न्याय पद्धति पर आधारित है, स्वागत योग्य है। ब्रिटिश न्याय पद्धति विश्व की एक बड़ी अच्छी पद्धति है, इसी के साथ साथ इस प्रक्रिया में बहुत सी बातें जो एक गुलाम देश को अपने कब्ज़े में रखने के लिये आवश्यक होती हैं वह चीजें उसमें लायी गयी हैं। आज जब हमारे गृह मंत्री इस दंड प्रक्रिया में संशोधन करने के हेतु बिल लाये हैं तो मुझे यह देख कर दुःख होता है कि इस दंड प्रक्रिया में ऐसे भाग जो कि इस देश के लोगों को दबाने के लिये बनाये गये थे उनको कायम रक्खा गया है। होना तो यह चाहिये था कि अवांछनीय बातों को निकाल कर अच्छे तत्वों पर जिन पर यह दंड प्रक्रिया संहिता रक्खी हुई थी उन बातों को क़ायम रखते और साथ ही जनतांत्रिक भावना का उसमें समावेश होता क्योंकि जहां एक पक्षीय या दलों का राज्य होता है वहां व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है और मेरा विचार है कि अंगरेज़ों की न्याय पद्धति से भी ज्यादा आपको इस दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करते वक्त जो अभियुक्त है उसकी स्वतन्त्रता की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहां पर किस तरह से पुलिस के द्वारा दमन होता था और किस प्रकार लोगों को त्रास दिया जाता था। इसका मुझे स्वयं अनुभव है, मैं कोई क्रिमिनल लाइयर तो नहीं हूं और न ही क्रिमिनल हूं परन्तु अभियुक्त के नाते ब्रिटिश राज्य में और डा० काटजू के राज्य में बहुत दफ़ा मुझे ऐक्यूज्ड की हालत में अदालत जाना पड़ा और यह मैं अपने अनुभव से कहता हूं।

हमारा तो अनुभव यही है कि पहले की अपेक्षा आज की स्थिति में कोई सुधार हुआ नहीं है बल्कि अपने अनुभव के अनुसार कह सकता हूं कि ब्रिटिश शासनकाल में जितना त्रास होता था उससे आज ज्यादा होता है। हमारे माननीय गृह मंत्री के हृदय में जो यह इच्छा है कि अभियुक्त को न्याय मिलने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये और उसको न्याय अच्छा और स्पीडी मिलना चाहिये, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है और मैं स्वयं इसको अनुभव करता हूं कि यह जो

[श्री वी० जी० देशपांडे]

न्याय मिलने में टाइम लगता है और उसके लिये एक मुद्दत लगती है तो इस देरी का कारण केवल प्रक्रिया का प्रोसीज्योर ही नहीं है, कई बातें प्रक्रिया में भी ऐसी हैं जिनके कारण न्याय मिलने में विलम्ब लगता है लेकिन इसके अलावा और भी कारण हैं और मेरा अनुभव इस सम्बन्ध में कुछ है और खास कर दिल्ली के बारे में है । सन् १९५२ की बात है जब यहां पार्लियामेंट चल रही थी तब पन्द्रह मई को जब मैं क़ैद किया गया तो मैं उस दिन एक अभियुक्त की हैसियत में था और मैं आपको बतलाऊं कि पन्द्रह मई को यहां पर गिरफ्तार होने के बाद दो महीने तक केस की हियरिंग शुरू नहीं हुई और जब जा कर मजिस्ट्रेट के सामने पहली हियरिंग हुई तो मैंने अनुभव किया कि किसी भी प्रकार की सहानुभूति मजिस्ट्रेट के हृदय में नहीं थी । मेरे साथ में एक वृद्धा भी अभियुक्ता थीं और उस वृद्धा को पुलिस वाले बीमारी की अवस्था में पकड़ कर ले आये थे । हम इधर उधर घूमते रहे कि किस मजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट किया जाय और आखिर जब हमने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि यह स्त्री बीमार है इसको बेल दी जाय लेकिन अगर वह सम्भव न हो तो कम से कम इसको बैटर क्लास तो दिया जाय । इस पर मजिस्ट्रेट साहब फ़रमाते हैं कि यह मेरा काम नहीं है । जब हम लोग जेल में भेजे गये और जेल के डाक्टर ने रिपोर्ट दी कि इस औरत की हालत बहुत ख़राब है, डाक्टर का सर्टिफ़िकेट आया तब यह सवाल पेश आया कि किस मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना है और इसका फ़ैसला पन्द्रह दिन तक नहीं हुआ । इसी चक्कर में एक महीना हो गया । फिर पहला मजिस्ट्रेट थक गया, दूसरा मजिस्ट्रेट उसकी जगह आया और दो महीने तक जब केस पेश नहीं हुआ तब हमने लाचार होकर मजिस्ट्रेट के सामने एक दरख्वास्त दी कि हमको बेल पर छोड़ा जाय । मजिस्ट्रेट ने इसको नहीं माना और रिजैक्ट कर दिया । तब हम अपनी दरख्वास्त लेकर सेशन जज के पास गये और सेशन जज ने मुझे बेल पर छोड़ दिया और मैं आपको बतलाऊं कि जब मैं बेल पर छूट कर जेल के दरवाज़े पर आया ही था कि डाक्टर काटजू के प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के माहतहत एक पुलिस अफ़सर वारन्ट के साथ जेल के दरवाज़े पर मुझ पर तामील करने के लिये खड़ा था और फलस्वरूप मुझे फिर जेल के अन्दर सीधा ले जाया गया । दो महीने तक केस शुरू भी नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में और प्रोसीज्योर में इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । पहले तो होता यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने जल्दी केस रक्खा ही नहीं जाता है और रखने के पश्चात् कोई डे ु डे हियरिंग तो होती नहीं, अगली सुनवाई के लिये महीने और दो दो महीने की तारीख दी जाती है और कभी कभी तो देखने में आया है कि तीन तीन और चार चार महीने बाद पेशी की नौबत आती है । इस जनतन्त्र के राज्य में मैं स्वयं चार महीने विदआउट ट्रायल जेल में रहा हूं और पंजाब हाईकोर्ट के सामने मैंने उसके लिये हैबस कौरपस की ऐप्लीकेशन दी । मेरा कहना यह है कि प्रोसीज्योर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है जब तक कि आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह न चले, जब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधार नहीं होगा तब तक हमारा जो ध्येय है वह पूरा नहीं हो पायेगा । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस विभाग में जितने लोग काम करते हैं वे सब के सब बदमाश और भ्रष्ट हैं । पुलिस विभाग में भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं और अपना काम ठीक तरह अंजाम देते हैं । मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार के बाक़ी सब डिपार्टमेन्ट तो अच्छे हैं, एक पुलिस डिपार्टमेन्ट खराब है । पुलिस विभाग में भी अच्छे लोग हैं, अब

पुलिस विभाग का वायुमंडल खराब होने के लिये केवल पुलिस विभाग ही दोषी नहीं है बल्कि उसका कारण मैं समझता हूं देश में और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में फैला हुआ वह विषाक्त वायुमंडल है और मैं देखता हूं कि एक भ्रष्टाचार की बू उनमें पाई जाती है। इसी के कारण ऊपर से नीचे तक अगर पुलिस कोई चीज़ करती है तो उस पर जुर्माना नहीं होता न उस के अधिकारियों को सज़ा होती है, और इसी के कारण मैं देखता हूं कि पुलिस विभाग पहले से अच्छा नहीं हुआ बल्कि पहले से बुरा ही हो रहा है। वह हिन्दुस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुने जाकर पुलिस के अधिकारी बनते हैं फिर भी हम हमेशा कहते रहे कि पुलिस विभाग आपका खराब है। आज नहीं बल्कि पहले से ही पुलिस विभाग बहुत खराब था। आज हमारे गृह मंत्री, जो बड़े महान् व्यक्ति हैं, उनका नाम लेने की आज्ञा नहीं है, आज मंत्री हुए हैं, लेकिन वह जानते हैं कि हमारे गोखले साहब ने पुलिस विभाग के लिये क्या वर्णन किया है। जैसा उन्होंने कहा था उसी प्रकार आज भी पुलिस विभाग है। उनका कहना था कि वायुमंडल अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो डिले हुआ करती है वह केवल जो आप की प्रक्रिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस के ही कारण नहीं होती है। बहुत से कारण हैं। मजिस्ट्रेट कम हैं और कम होने के पश्चात् भी मजिस्ट्रेट को बहुत काम दिया जाता है। दिल्ली में भी बहुत काम उन को दे दिया जात है। मैं यहां के बारे म जानता हूं कि क्योंकि दिल्ली में मुझे चार पांच दफ़ा अभियुक्त होने का अवसर मिला है। बाकी प्रान्तों में भी रहा हूं, दिल्ली में रहा हू, बिहार में रहा हूं, पंजाब में रहा हूं। सब जगह अभियुक्त रहने के पश्चात् मैं कह सकता हूं कि यह जो प्रक्रिया है उसके लिये मजिस्ट्रेटों को पूरा समय नहीं मिलता है। बम्बई में ६ महीने मुझे लगे हालांकि मैं सादा व्याख्यान देने का अभियुक्त था। इससे पूर्व मेरा न्याय नहीं हो सका। इस प्रकार की बातें होती हैं। इसी तरह से समरी ट्रायल का प्रोसीजर है, वारंट का प्रोसीजर है, इसके कारण समय ज्यादा लगता है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात मैं देखता हू कि न्याय ठीक हो इसके लिये हमें नई सूचनायें दी गई हैं। प्रक्रिया के विषय पर तो मैं बाद में आऊंगा। यहां आनरेरी मैजिस्ट्रे ों के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां की जाती हैं उन के बारे में मैं यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हिन्दुस्तान में एक प्रामाणिक आदमी नहीं मिल सकते हैं जो सामान्य और अवैतनिक न्यायाधीश का काम कर सकें। हिन्दुस्तान में अवश्य ही इस प्रकार के न्यायी और निष्पक्ष व्यक्ति मिल सकते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार का जनतन्त्र आज इस देश में चल रहा है और जो वायुमंडल आज हम देख रहे हैं उसमें मुझ को डर है कि हम को ठीक आदमी नहीं मिल सकते हैं। पहले तो डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को पार्टी देने वाले या उनकी बटरिंग करने वाले व्यक्तियों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। जिनको इस प्रकार से अवैतनिक न्यायाधीश नियुक्त किया जायगा, जैसा कि मुझे डर है, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन और जो ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नियुक्त होंगे वह अवश्य स्वतन्त्र रूप से न्याय कर सकेंगे। जैसा न्यायाशास्त्र में कहा गया है कि केवल न्याय करने से काम नहीं चलता है, यह देख भी पड़ना चाहिये कि न्याय किया जा रहा है। इस दृष्टि से आप को यह करना पड़ेगा कि इस प्रकार के लोगों को, जो कि अनुपयुक्त हों, उन को नियुक्त कर के अपने विरुद्ध प्रचार करवाने का

[श्री वी० जी० देशपांडे]

अवसर न दें कि ऐसे अवैतनिक न्यायाधीश नियुक्त किये जा रहे हैं जो कि आप की दलगत राजनीति को चला रहे हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक देश में भ्रष्टाचार बढ़ा ही रहेगा। इस दृष्टि से मैं बड़ी नम्रता से कहूंगा कि आप इस प्रकार के अवैतनिक न्यायाधीशों को रखने की तैयारी न करें।

और भी बहुत सी बातें हैं जिन को मैं बहुत थोड़े से शब्दों में कहना चाहूंगा ? मैंने प्रारम्भ में बताया कि आज के जनतन्त्र में इस प्रकार का भय प्रगट किया जाता है कि हम को यह डर मालूम होता है कि आज जो दलगत राजनीति चल रही है उसी के कारण जब दूसरे दल के विरोध में हम आते हैं तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा। यह भय जब दिल्ली में बैठे हुये पार्लियामेन्ट के मेम्बर को मालूम होता है तो वह यों ही नहीं होता है। मैं फैक्ट्स ऐंड फिगर्स से बता सकता हूं। जब चार महीने में विदाउट रिमांड रहा तो जस्टिस अछरू राम के सामने हैबिअस कारपस की ऐप्लीकेशन देने की कोशिश की। जस्टिस अछरू राम ने मुझे बताया कि तुम आठ दिन और ठहर जाओ। शायद तुम किसी केस में अभियुक्त होने वाले हो। तुम आठ दिन ठहर कर फिर ऐप्लिकेशन भेजो नहीं तो पुलिस तुम्हारे विरुद्ध जायेगी। तब तक आप शान्त रहिये चूंकि मैं देखता हूं कि विदाउट रिमान्ड सब बातें की जा रही हैं इसलिये डेट लम्बी दिये देता हूं। इस अभियोग को मैंने दिल्ली में रहते हुए जज और सेशन जज के सम्मुख रक्खा। चार महीने तक मेरा रिमान्ड नहीं लिया गया लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सका। ऐसे समय में मैं कहता हूं कि जो अभियुक्त या एक्यूज्ड है उसको आप चाहे जो संधि दें लेकिन उसके साथ अन्याय ही होगा। जैसा बताया गया पुलिस के सामने जो स्टेटमेन्ट होते हैं उनको आज तक केवल जो अभियुक्त के साक्षी होते हैं वह जो बातें बताते हैं उनका विरोध करने के लिये, उन को कंट्रेडिक्ट करने के लिये उपयोग किया जाता था। परन्तु अब यह सन्धि दी जा रही है कि प्रासिक्यूशन अर्थात् जो अभियोग चलाने वाले हैं वह भी उस का उपयोग कर सकें। इसी प्रकार से अभियुक्त को साक्षी के स्थान पर खड़ा करने का जो सवाल है उसमें भी अन्याय होने वाला है आगे चल कर यह हम देख रहे हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन]

जो सबसे बड़ी बात मालूम हो रही है उसके बारे में मैंने आज गृहमंत्री जी से कहा, और एक प्रकार से मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। इस धन्यवाद से कोई गलतफ़हमी पैदा न हो यह भी मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं। बात यह है कि यह विधेयक प्रारम्भ में जिस प्रकार से आया था वह बहुत भयानक था लेकिन अब संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख जाने के पश्चात् मैंने देखा है कि हमारे गृह मंत्री जी ने जो बहुत सी सूचनायें थीं उनको स्वीकार किया है। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि उन सूचनाओं को स्वीकार करने के कारण यह विधेयक बहुत अच्छा बना है, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि पहले यह बहुत भयानक था अब कम भयानक हो गया है। प्रारम्भ में उस में इस प्रकार की क्रान्तिकारी योजनायें रक्खी गई थीं कि हम बहुत हैरान हो रहे थे जैसे किसी का स्टेटमेन्ट ले रहे हैं, वहां पर अभियुक्त रहे या न रहे, लेकिन वह उसके खिलाफ़ चल रहे हैं। हम देख रहे थे कि एक प्रकार से शीघ्रता के लिये आप न्याय का बलिदान कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि न्याय का मूल्य देकर हम आप शीघ्रता करें यह कोई स्पृहणीय तत्व है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सी बातों में जिन पर हाईकोर्ट ने या इस सदन ने नुक्ता-

चीनी की थी, हमारे गृहमंत्री जी ने समझौता किया है। लेकिन यह समझौता होने के बाद मेरे मन में एक शक पैदा हुआ। बात यह है कि अनावश्यक बातों पर तो आदमी जरूर समझौता कर लेता है क्योंकि उस के मन में आ गया कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें संशोधन करना है लेकिन चाहिये यह था कि उसमें ऐसे क्रान्तिकारी संशोधन करने चाहिये थे जो कि न्याय की दृष्टि से आज के अभियोगी तत्वों के अनुसार तथा परिस्थिति के अनुसार न्याय को सुसंगठित करते। इस प्रकार का एक विधेयक यहां पर रक्खा जाना चाहिये था, लेकिन वह रक्खा नहीं गया। कई क्रान्तिकारी बातें सदन के सामने रक्खी गईं और जब क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के लिये हमारे गृहमंत्री जी तैयार हुए तब मेरे हृदय में शक हुआ कि इसमें किसी दूसरी चीज़ पर खास ध्यान है, प्रोसीजर पर नहीं है, स्पीडी जस्टिस पर भी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह जो पूरा विधेयक रक्खा गया उसको इस कारण से रक्खा गया था कि इस मुल्क में मिनिस्टरों के ऊपर भीतर और बाहर आघात हो रहे थे। उनको इस से बचाने के लिये एक नया प्रोसीजयेर उन को रखना था बाक़ी स्पीडी जस्टिस और एफिशिएन्ट जस्टिस का तो एक नया स्लोगन सामने रक्खा गया था। यह सब आडम्बर करने के पश्चात् हम देख रहे हैं कि मुख्य बात यह है कि मानहानि का जो प्रश्न है उस मानहानि के प्रश्न को एक नया वर्ग बनाया गया। रूल ऑफ़ दि ला में आज तक यह संधि थी कि राजनीति में रहने वाले बड़े से बड़े आदमी और छोटे से छोटे आदमी जो क़ानून के दरवाज़े में आते हैं सब समान होते हैं। लेकिन अब एक नया प्रिविलेज्ड क्लास यहां बनाया गया जसे पहले ज़मींदार जागीरदार और राजे महाराजे होते थे।

एक माननीय सदस्य : वह तो अब खत्म हो गय।

श्री वी० जी० देशपांडे : वह तो खत्म हो गये लेकिन अब यह नया क्लास बनाया जा रहा है। पहले मनुस्मृति में होता था कि ब्राह्मण चाहे किसी की हत्या कर दे लेकिन उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि ब्राह्मण को कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिये। मनुस्मृति में लिखा है कि क्षत्री, वैश्य और शूद्र को फांसी दी जा सकती है लेकिन ब्राह्मण को नहीं दी जा सकती। उसी तरह से यहां क़ानून बनाया जा रहा है कि इस देश में राष्ट्रपति, गवर्नर, राजप्रमुख और साथ ही साथ मिनिस्टर को भी रखा गया कि उनकी मानहानि नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि जनतन्त्र के अन्दर मिनिस्टर की आलोचना करना हमारा पवित्र कर्तव्य और अधिकार है। अगर डिमाक्रेसी में हम मिनिस्टर की आलोचना न करें तो हम अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाते हैं। डिमाक्रेसी का यह उद्देश्य है कि आलोचना करने वाले को बचाया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं किसी हद तक पब्लिक सरवेंट की बात को मानने के लिये तैयार हूं। मैं यह समझ सकता हूं कि अगर कोई हमारे स्टेट के हैड पर आघात करता है तो उस से हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। इसलिये प्रसीडेंट ऑफ दी रिपब्लिक वाइस प्रसीडेंट ऑफ़ दी रिपब्लिक, राजप्रमुख और गवर्नर की बात तो मैं मान सकता हूं लेकिन मिनिस्टर की नुक्ताचीनी करना तो हमारा कर्तव्य है क्योंकि वह जनता के प्रति उत्तरदायी है। हम नहीं चाहते कि मिनिस्टर को खास संरक्षण दिया जाय। इस सिलसिले में मैं आप को एक उदाहरण दूंगा। एक राज्य के मुख्य मंत्री पर बहुत से आरोप लगाये गये कि उन के शासन में बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है। आखिर एक आदमी ने दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत उन पर अभियोग लगाया तो मजिस्ट्रेट ने बतलाया

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कि चीफ मिनिस्टर पर बिना सरकार की अनुमति के अभियोग नहीं चलाया जा सकता। अब मैं ने सुना है कि उस के लिये सुप्रीम कोर्ट से लीव मिल गयी है । तो इस प्रकार एक आदमी की कोर्ट में जल्दी मिनिस्टर के विरुद्ध सुनवाई नहीं होती । अब इस कानून के अन्तर्गत यह होगा कि यदि कोई नुक्ताचीनी करेगा तो उस के विरुद्ध पब्लिक प्रासीक्यूटर खड़ा हो जायेगा कि तुम ने मानहानि क्यों की । हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि सरकार मामले को जनता के सामने ले आवेगी और ओपिन इन्क्वायरी करवायेगी । मैं कहना चाहता हूं कि डिफेमेशन केस और ओपिन इन्क्वायरी एक ही बात है । आप को कई दफा डिफेमेशन केसेज में इस तरह के जजमेंट मिलेंगे जिन में कहा गया है कि ट्रुथ इज नो डिफेंस । अगर यह कानून पास हो गया तो इस से जनता को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलेगी । आप कहते हैं कि कोई भी जब बार बार मिनिस्टर या गवर्नमेंट सरवेन्ट की नुक्ताचीनी करता है तो हम ओपिन इन्क्वायरी करेंगे । लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरह से आप डिफेमेशन के कम्पलीकेटेड ला के अन्दर उस नुक्ताचीनी करने वाले का गला पकड़ना चाहते हैं । इस का उपयोग आप किसी भी पब्लिक वर्कर के खिलाफ करेंगे जो कि व्याख्यान द्वारा मिनिस्टर की नुक्ताचीनी करता है । मुझे तो यही शक हो रहा है । जैसा मैं ने पहले कहा था मुझे इस में यही बात मुख्य मालूम होती है, और बाकी तो अधिकतर आडम्बर मात्र है । हां, कोई कोई बातें अच्छी हैं जिन के लिये मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस हद तक उन्हों ने जनता की आवाज को सुना । यद्यपि मैं देख रहा हूं कि यह पूरे तौर पर अभियुक्त को फायदा देने वाला कानून नहीं है । फिर भी किसी हद तक इस के बनाने में जनता की इच्छा का ध्यान रखा गया है । परन्तु इस में डिफेमेशन की बात ही मुख्य है । यह इस सदन का निश्चित मत है कि खास कर के मिनिस्टर को तो अपवाद में नहीं रखना चाहिये । लेकिन यदि आप मिनिस्टर के विषय में इस को रखना चाहते है तो मैं कहूंगा कि लोग सभा के सदस्यों के लिये भी यही प्रावीजन इस कानून में होना चाहिये ।

डा० काटजू : जरूर, जरूर ।

श्री वी० जी० देशपांडे : यद्यपि मैं ऐसा नहीं चाहता, परन्तु यदि यह संरक्षण मिनिस्टर को दिया जाता है तो मैं यह चाहूंगा कि लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्यों को भी यह संरक्षण दिया जाय । मैं इस सदन और दूसरे सदन में कोई भेद नहीं करना चाहता ।

यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखे जाने के बाद जैसा आया है उस का मैं विरोध करता हूं । यह मनोवृत्ति मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं यह कहने के भी खिलाफ हूं कि बहुत से अभियुक्त छूट रहे हैं । इसलिये इस तरह का कानून लाना चाहिये । अगर बहुत अभियुक्त छुटते होंगे तो उस का कारण पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार है, परन्तु इस का सारा दोष केवल पुलिस को ही नहीं दिया जा सकता है । आप के यहां मजिस्ट्रेट कम हैं, उन की नियुक्ति अच्छी नहीं होती, आप का शासन अच्छी तरह से नहीं चल रहा है । और इसी कारण न्याय पद्धिति का कार्य ठीक से नहीं चल रहा है । परन्तु इसी के साथ साथ मैं यह मानने को तैयार हूं कि कानून को बदलने की आवश्यकता है । अंग्रेजों ने इस कानून को बहुत समय हुआ बनाया था ; और अब इस को बदलना चाहिये । पर इस का यह मतलब नहीं है कि मैं अंग्रेजों की न्याय पद्धति पर आक्षेप करता हूं । मैं तो उस का

प्रशंसक रहा हूं । उन का कानून न्याय पर आधारित है । यह न्याय पद्धति तो विश्व को और हिन्दुस्तान को अंग्रेजों की एक बड़ी देन है । परन्तु अब परिस्थितियां बदल गयी हैं इसलिये कानून को बदलना चाहिये । अब डिमाक्रेसी में इंडीविजुअल पर ज्यादा खतरा आ गया है और उस को प्रोटैक्शन की ज्यादा जरूरत है । डिक्टेटरशिप में और मौनर्की में तो इंडीविजुअल का प्रोटैक्शन रहता है । लेकिन डिमाक्रेसी में जबकि एक पार्टी पब्लिक के नाम से दूसरी पार्टी का निदर्लन करती है तो उस समय जूडीशियरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही हमारी रक्षा कर सकती हैं । हमारा तो यह अनुभव है कि जो अंग्रेजों की न्याय पद्धति है वही अभी तक चल रही है और इसी कारण जब गवर्नमेंट हम पर अन्याय करती है तो यह न्याय पद्धति हम को बचाती है। परन्तु आज इस डिमाक्रेसी में हम देखते हैं कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के लिये ज्यादा प्रोटैक्शन चाहिये । और इसी दृष्टि से हम को न्याय पद्धति में परिवर्तन करना चाहिये । ऐसा करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये जो इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, और सारे सम्बन्धित विधान पर विचार कर के संशोधन उपस्थित करे और उन को इस सदन के सम्मुख पेश किया जाय । जब तक यह काम हो तब तक के लिये इस बिल को मुल्तवी कर दिया जाय ? यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री पाटस्कर : इस विधेयक पर विचार करने के लिये जो संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की गई थी उस के प्रतिवेदन पर काफी बहस हो चुकी है । इस विषय पर निष्पक्ष रूप से सोचने पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक इस पर विचार करना है क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है ।

दंड प्रक्रिया संहिता संभवतः १८९८ में बनाई गई थी और १९२३ में इस का संशोधन हुआ था । मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस में अग्रेतर संशोधन की बड़ी आवश्यकता है और यह किसी राजनैतिक दल के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है ।

यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि गृह मंत्री कौन है या कौन सा दल शासन कर रहा है, जिस के कारण अन्य दल वाले निरन्तर इस का विरोध करते रहें । इस क्षेत्र में हमें न्याय की दृष्टि से देखना है । अंग्रेज सरकार इस विषय में बड़ी देखभाल कर के काम करती थी क्योंकि वे लोग ४००० मील दूर बैठे हुए शासन करते थे । अतः इस देश की जनता को वे सदैव सन्तुष्ट रखना चाहते थे । हमें भी यह कार्य इसी प्रकार करना है ।

हम ने अनुभव किया है कि मुकदमों में बड़ा समय लगता है और व्यय भी बहुत होता है । वैसे तीस वर्ष की वकालत के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जहां न्यायाधीश अच्छा होता है वहां मामला जल्दी तय हो जाता है ।

हमें प्रत्येक दोष को प्रक्रिया के ऊपर नहीं लादना चाहिये । यहां पर पुलिस के प्रशासन की भी काफी आलोचना की गयी है । मैं समझता हूं कि देश में पुलिस की दशा संतोषजनक नहीं है और प्रशासक भी इस का अनुभव करते होंगे । पहले पुलिस को दो काम करने पड़ते थे । एक तो व्यक्तिगत मामलों में न्याय किये जाने का प्रयत्न करना और दूसरे विदेशी सरकार के हितों की रक्षा करना । अतः हमारी पुलिस व्यवस्था इंगलैंड जैसी नहीं है । एक बार मेरे एक मित्र ने, जो इंगलैंड से आये थे, मुझे बताया कि वहां पुलिस वालों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है किन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : यहां तो उन बड़ा डर लगता है ।

श्री पाटस्कर : वकील की हैसियत से मैं उन के काफी सम्पर्क में आया हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी पुलिस में शीघ्र ही परिवर्तन हों। यद्यपि इस बात का विधेयक के विषय से सीधा सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यह काम भी ऐसा है जिसे करना आवश्यक है। आज की पुलिस को जनता की इच्छानुसार कार्य करने की आवश्यकता है। विदेशी सरकार के समय वह जिस प्रकार का व्यवहार करता था वैसा उसे अब नहीं करना चाहिये।

इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कैसी भी हो, दंड प्रक्रिया सदैव विद्यमान है। अतः जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम इस बात पर अधिक ध्यान देंगे कि क्या क्या संशोधन किये जाने वाले हैं।

यह विधेयक पहले माननीय गृह मंत्री डा० काटजू द्वारा अवश्य ही एक दूसरे रूप में पुरःस्थापित किया गया था। सरकार ने इस पर काफी विचार किया होगा कि न्याय को किस प्रकार सस्ता और शीघ्र बनाया जाय और उस ने उन सभी लोगों से, जिन्हें इस अधिनियम की क्रियाशीलता के विषय में पर्याप्त अनुभव था, सभी प्रकार की रायें जानने का और तब कोई विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रयत्न किया होगा। वह विधेयक सभा के सभी भागों से लिये गये ४९ सदस्यों की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और अब इस रूप में आने पर जब हम उस विधेयक की आलोचना करते हैं, तो वह आलोचना गृह मंत्री अथवा सरकार के विरुद्ध नहीं है किन्तु इस सभा के कतिपय चुने हुए व्यक्तियों के सामूहिक ज्ञान से जो निर्माण किया गया है उस के विरुद्ध है। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहता क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जिसे लोग विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। अब इस दशा में हमें यह देखना है कि वह ठीक और उचित है अथवा नहीं। अतः मेरे विचार से व्यक्तियों, दलों आदि के विरुद्ध की गयी सभी आलोचना विचार क्षेत्र से बाहर कर देनी चाहियें और हमें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि प्रवर समिति ने हमारे सामने जो विधेयक रखा है वह कहां तक ठीक है, उस में सुधार किया जा सकता है, अथवा नहीं, और यदि हां तो वह क्या सुधार होना चाहिये, वह न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का, जिन पर वह आधारित होना चाहिये, उल्लंघन करता है अथवा नहीं क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक है जो बहुत दिनों तक चलता रहेगा और इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि हम लोग इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखें।

मैं प्रारम्भ में कुछ विवादास्पद खंडों का निर्देश करने का प्रयत्न करूंगा :

सर्व प्रथम खंड २५ के अधीन विषय है। सब से अधिक विवादास्पद खंड जो पुरःस्थापित किया गया है और जो पहले की दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है, खंड २५ और धारा १९८ख है अर्थात "सरकारी कार्यों की पूर्ति में सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के विरुद्ध मानहानि का अभियोग।" जहां तक मैं देखता हूं यह एक संरक्षण है अथवा तीन वर्गों के लोगों को कतिपय उद्देश्यों के लिये दिया जाने वाला उपाय है। प्रथमत :

> "इस संहिता में किसी चीज के बावजूद जब भारतीय दंड विधान (१८६० का अधि-नियम १४) के अध्याय २१

के अन्तर्गत आने वाला कोई अपराध राष्ट्रपति के विरुद्ध किया हुआ बनाया जाये....

मैं देखता हूं कि जहां तक राष्ट्रपति को संरक्षण देने का प्रश्न है, अधिक चर्चा नहीं हुई है ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से इन्हें अधिक समय लगेगा । अतः हम कल जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।